खण्ड-195, अंक-8
गुरूवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1880
(31 जुलाई, 1958 ई0)

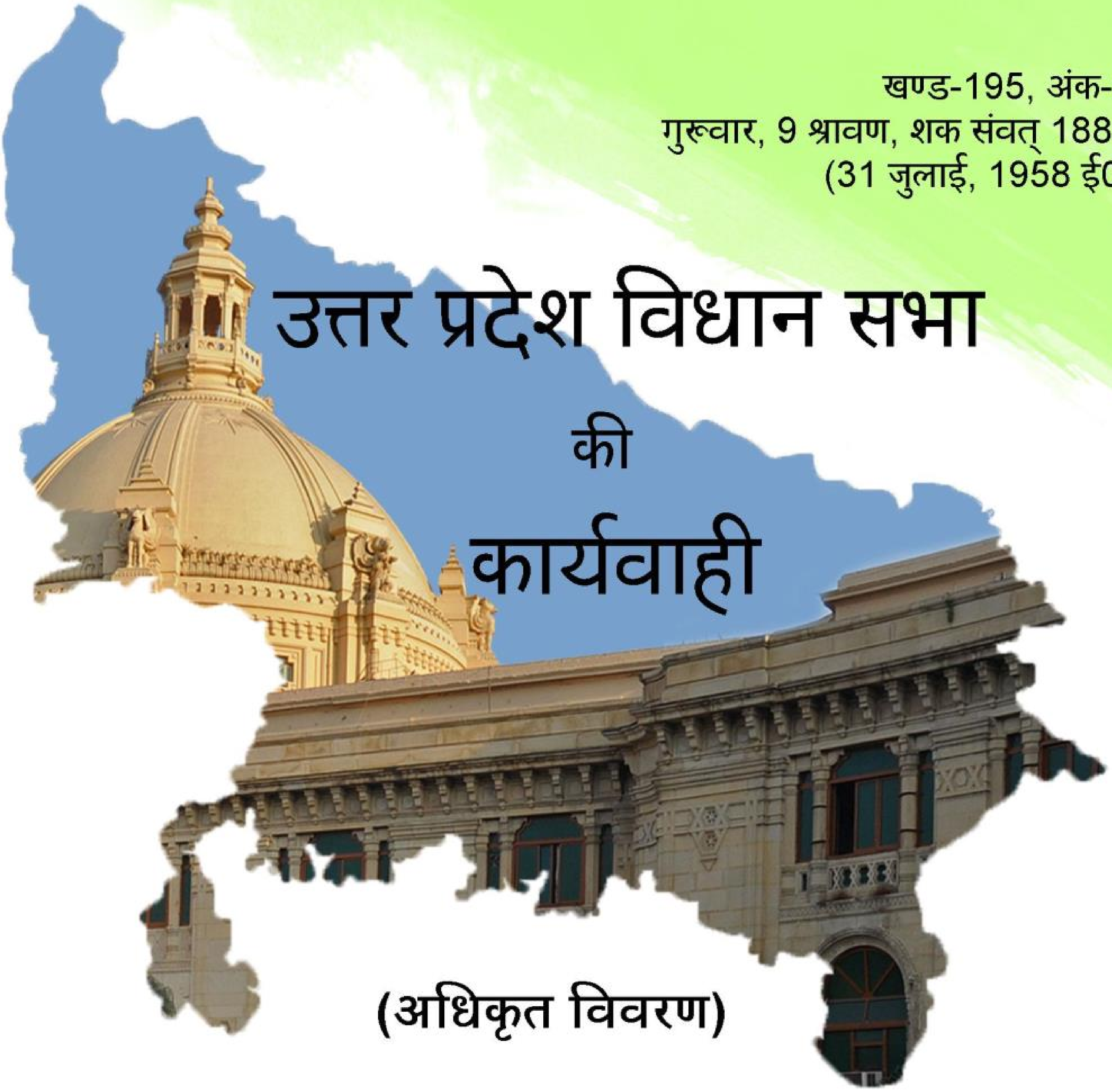

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३४७)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)

रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुरसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३१ जुलाई, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बलिया जिले में हैजे की रोकथाम की व्यवस्था

**१---श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि बलिया नगर में तथा आस-पास के कुछ गांवों में हैजे का भीषण प्रकोप है? अगर हां, तो इसके रोकथाम की क्या व्यवस्था की गई है?

स्वास्थ्य उप-मन्त्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---जी हां। बलिया नगर तथा आस-पास के कुछ गांवों में हैजा फैला हुआ है। राज्य सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिये निम्नांकित व्यवस्था की गई है:--

१---एपीडेमिक डीजीजेज ऐक्ट के अन्तर्गत हैजे का टीका अनिवार्य (Compulsory) कर दिया गया है और अब तक नगर में २२,००० टीके लगाये जा चुके हैं।

२---हैजे से ग्रसित मरीजों को जिला चिकित्सालय में पृथक रख करके उनका उपचार करने का प्रबन्ध संतोष-जनक रूप में किया गया है।

३---२६० कुओं में जो कि रोग ग्रसित आबादी अथवा पड़ोस में है, बराबर दवा डाली जा रही है।

४---रोग-ग्रसित मकानों की सफाई के लिये ८ भंगियों और एक जमादार की विशेष टोली का प्रबन्ध कर दिया गया है।

५---मक्खियों को कम करने के लिये दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है।

६---सिनेमा में स्लाईड तथा इस्तेहार द्वारा सफाई रखने का प्रचार किया जा रहा है।

७---खाने की सामग्रियों के बेचने पर विशेष प्रतिबन्ध लगाया गया है।

८---एक मोबाइल वान भेज दी गई है जो मरीजों को अस्पताल लाने-ले-जाने के काम में लाई जा रही है।

९---उप-संचालक, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश ने वहां का निरीक्षण किया तथा सहायक संचालक चौथे विभाग ने वहां पर डेरा डाला है तथा वहां के काम की देखभाल कर रहे हैं।

१०---बलिया जिला सब रोग-ग्रसित गांवों में रोग ग्रस्त मकानों तथा कुओं को रोग के कीटाणुओं से मुक्त किया जा चुका है तथा डी० डी० टी० का छिड़काव किया जा रहा है। अब तक ४६,००० टीके लगाये जा चुके हैं तथा गांव से

ग्रसित व्यक्तियों को सदर चिकित्सालय लाकर उनका उपचार किया जा रहा है ।

गांवों में भी रोग अब काबू में है ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को जानकारी है कि दवा के छिड़कने के बावजूद मक्खियां मर नहीं रही हैं बल्कि एक नये प्रकार की हरी मक्खियां पैदा हो गई हैं जिनकी तादाद नित्य प्रति बढ़ती चली जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--अभी तक इसकी जानकारी मुझे नहीं हुई ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस रोग से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग इस रोग में पकड़े गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--बलिया शहर में या जिले में ?

श्री गौरीशंकर राय--बलिया शहर और आस-पास के गांवों में ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--बलिया शहर में १४० सीजर हुये और २३ की मृत्यु हुई और जिले में २६१ सीजर हुये और ७८ की मृत्यु हुई ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया नगर और आस-पास एकाएक हैजा फैलने का क्या विशेष कारण हो गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुछ ऐसे कीटाणु पैदा हो गये कि इत्तिफाक से जिनका असर हो गया ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार, अन्न संकट के कारण वहां की जनता ने अखाद्य वस्तुओं का प्रयोग किया इसको हैजा फैलने का कारण समझती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी तो हमें सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से हैजे की रोकथाम की व्यवस्था की गयी है तब से जिनको हैजा हो गया था उनमें से कितने अच्छे किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है । वह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार ने मक्खियों के ब्रीडिंग सेंटर्स को समाप्त करने की कोई व्यवस्था करने की योजना बनायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--छिड़काव कर रहे हैं ।

श्री गौरीशंकर राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि बलिया नगर में ड्रेन्स न रहने से बरसात के महीनों में मक्खियों के ब्रीडिंग सेंटर्स बढ़ जाते हैं? अगर हां, तो उनको समाप्त करने की कौन-सी व्यवस्था है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस पर विचार किया जा सकता है । इस वक्त व्यवस्था बताना नामुमकिन है ।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐंटी मलेरिया आफिसर, डी० एम० ओ० एच० और नगरपालिका के हेल्थ आफिसर सभी इस कार्य में क्रियाशील हैं या कोई शिथिल हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सब कोशिश कर रहे हैं हत्तुलवसा ।

नैनी, जिला इलाहाबाद में आप्टिकल इन्डस्ट्री खोलने का विचार

**२---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में उसके द्वारा कहीं आप्टिकल इन्डस्ट्री खुलने जा रही है ? यदि हां, तो कहां ?

उद्योग उपमन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---जी नहीं । नैनी (इलाहाबाद) में एक Optical and Opthalmic Glass Factory स्थापित करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनी, इलाहाबाद में जो आप्टिकल इंडस्ट्री खोलने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, इसमें केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से कोई विचार-विमर्श किया है ? यदि हां, तो उसका संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसमें करीब-करीब रशन एक्सपर्ट्स ने कह दिया और एक सैंपलिंग भी लगा दिया है । गवर्नमेंट आफ इंडिया का फार्मल ऐप्रूवल आने की देर है ।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो फैक्टरी खोलने का विचार विचाराधीन है इसके व्यय के विषय में कोई सरकार के पास सूचना आयी है कि कितना व्यय होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---लगभग पांच करोड़ के है ।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पांच करोड़ का व्यय होगा इसमें केन्द्रीय सरकार ने प्रदेशीय सरकार से भी कुछ वहन करने के लिए कहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिए फिर से नोटिस की आवश्यकता है ।

नैनीताल तहसील में कथित अभाव

**३---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष नैनीताल तहसील की पट्टी पूर्वी झागर, रामगढ़, बिस्चुला, चौभेंसी, पूर्वी छखाता आदि पट्टियों में सूखा पड़ जाने के कारण अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)---नैनीताल तहसील की किसी भी पट्टी में अभाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है ।

**४---श्री नारायणदत्त तिवारी---यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में टेस्ट वर्क तथा अन्य सहायता-सम्बन्धी कार्य चालू किये जाने-हेतु विचार रखती है ?

श्री चरण सिंह---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि नैनीताल तहसील की किसी पट्टी में जिनका नाम दिया हुआ है, किन्हीं गांवों में अभाव की स्थिति हुई है, यदि हां तो उन गांवों का नाम बतलायेंगे ?

श्री चरणसिंह---मैं यह कह रहा हूं कि किसी पट्टी में नहीं हुई है । पट्टी की इनक्वायरी की है, गांव की नहीं की । अगर किसी गांव में नहीं हुई है तो सवाल यह होगा कि किसी घर में हुई या नहीं । जो मेरे पास इत्तला है, जो डिप्टी कमिश्नर से मालूम हुआ है वह यह है कि

१६ हिल पट्टियां नैनीताल में हैं। उनमें से पांच पट्टियों में कोई नुकसान नहीं है। ग्यारह पट्टियों में दो आने से चार आने का नुकसान है और रामगढ़ और पूर्वी झागर में बगीचों का छः आने का ओले की वजह से नुकसान है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि डिप्टी कमिश्नर नैनीताल ने यह भी रिपोर्ट उनके पास भेजी है कि बहुत से गांवों में १२ आने और ११ आने फसल का नुकसान हुआ है ?

श्री चरणसिंह--मैं तो डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट से ही पढ़ कर सुना रहा हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी डिप्टी कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट का मुख्य अंश पढ़ देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मुख्तसर में मंत्री जी ने बता ही दिया है, और कोई विशेष बात रह गई हो तो उसको अब बता दें।

श्री चरणसिंह--मेरे पास १४ जुलाई की डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट है। हमने २६ जून को हर एक जिलाधीश को लेटर भेजा था कि हमारे पास पूरी तफसील भेज दें, उस खत का जवाब उन्होंने दिया। फिर १८ जुलाई को जिला नैनीताल की हर तहसील की स्थिति की बाबत लिखा और फिर पट्टी की बाबत लिखा। वह जवाब मैंने सुना दिया है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभाव-ग्रस्त होना और बात है और गल्ले की कीमत बढ़ जाने से गल्ले की कमी हो यह दूसरी बात है। बहुत से जिलों में अभाव नहीं है। दाम बढ़ गये जिसकी वजह से गवर्नमेंट को दुकानें खोलनी पड़ी। नैनीताल में २८ दुकानें गवर्नमेंट की तरफ से आज चल रही हैं और २७,६६२ मन गेहूं वहां के लिये रिलीज किया जा चुका है। अप्रैल से १९ जुलाई तक केवल पहाड़ी जिलों के लिये ५ हजार टन चावल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज करने का वादा किया है। एक हजार मन चावल बहुत जल्द पहुंचने वाला है।

राज्य की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया

५--श्री उग्रसेन**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों पर १९५७-५८ सीजन का किसानों का कितना गन्ने का दाम बाकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--१ जुलाई, १९५८ को इस प्रदेश की चीनी मिलों पर १९५७-५८ सीजन का किसानों के गन्ने का निम्नलिखित रुपया बकाया था--

		लाख रुपयों में
गन्ने का मूल्य	.. ..	११९.९३
कमीशन	.. ..	३७.५२
	योग ..	१५७.४५

६--श्री उग्रसेन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना कीमत वसूल करने के लिये कितने मिलों के विरुद्ध रिकवरी की नोटिस दी जा चुकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, १९५३ की धारा १७-१८ के अन्तर्गत ४२ चीनी मिलों के विरुद्ध गन्ने के मूल्य की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकट जारी कर दिये हैं।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वे प्रदेश की कौन-कौन सी चीनी की मिलें हैं जिन पर गन्ने का दाम बाकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---ये कुल ४२ मिलें हैं जिन पर दाम बाकी है।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन सी चीनी मिल हैं जिन पर सब से ज्यादा गन्ने का दाम बाकी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इसके लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक कितना गन्ने का दाम पेमेंट हो चुका है ?

†श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह अभी तक कुल रुपया ३३६६·५९लाख रुपया था। इसमें से ३२४६·६६ लाख रुपया वसूल हो चुका है। बाकी ११९·९३ लाख रुपया गन्ने की कीमत तथा ३७·५२ लाख रुपया कमीशन इतना रह गया है जो अभी नहीं दिया है।

गोंडा जिले में सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या बढ़ाने की प्रार्थना

**७---श्री शीतलाप्रसाद सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में बलरामपुर उतरौला, गोंडा और तरबगंज तहसील में कितनी-कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं ?

न्याय उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---गोंडा जिले में कुल ७१ सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने के आदेश दे दिये गये हैं। लेकिन इस समय यह सूचना नहीं है कि किस तहसील में कितनी दुकानें हैं।

श्री शीतलाप्रसाद सिंह---क्या सरकार सूचना प्राप्त करने के बाद तरबगंज और गोंडा में और अधिक दुकानें बढ़ाने की कृपा करेंगी।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अलीजहीर)---सूचना पहले मालूम हो जाय और यह मालूम हो कि वहां पर बहुत जरूरत है तो उस वक्त जरूर इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ७१ दुकानें खोली गई हैं इसके बाद डिप्टी कमिश्नर का तार सरकार के पास आया है कि एक सौ दुकानें और बढ़ा दी जायं ?

श्री सैयद अलीजहीर---जी नहीं, ऐसी कोई इत्तला मुझे इस वक्त नहीं है।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---क्या सरकार को सूचना है कि गोंडा जिले की ७१ दुकानों में एक सप्ताह से गल्ला नहीं बिक रहा है और इसकी सूचना जिलाधीश ने तार के जरिये सरकार को दी है ?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त यह इत्तला मेरे पास नहीं है लेकिन यह होता है बाज वक्त कि चूंकि ट्रांसपोर्ट की मुश्किल पड़ जाती है गल्ला पहुंचाने में और इस वजह से दो-एक दिन गल्ला पहुंचने से रुक जाता है। बहुत मुमकिन है कि इस की वजह से वहां गल्ला बिकना रुक गया हो। अब वाकई कितनी दुकानों पर गल्ले की कमी है इसकी इत्तला मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री शीतलाप्रसाद सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दुकानों पर प्रति दिन बेचने क लिय कितना गल्ला दिया जा रहा है ?

---

†४ सितम्बर, १९५८ को उद्योग उपमंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री सैयद अली जहीर--इन खास दुकानों की तो मुझे इत्तला नहीं है लेकिन अमूमन जो दुकानें शहर में होती हैं उनमें २५ से लेकर ३० मन तक गेहूं रोज बेंचा जाता है और देहाती दुकानों पर २० मन गेहूं और २० मन मोटा अनाज रोज बेंचा जाता है। इसमें कहीं कुछ अन्तर भी हो सकता है, लेकिन अमूमन यही रहता है।

श्री रघुनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--क्या सरकार को पता है कि तहसील उतरौला के अन्तर्गत परगना बूढ़ापार और सादुल्लानगर में अब तक कोई सस्ते गल्ले की दुकान नहीं खोली गई है?

श्री सैयद अली जहीर--जवाब में कह दिया गया है कि किस तहसील में कितनी दुकानें खुली हैं इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री बलदेवसिंह--क्या सरकार हम लोगों की जानकारी को सही मान कर इस बात की चेष्टा करेगी कि उन दूकानों पर शीघ्रातिशीघ्र वह गल्ला पहुंचा दे?

श्री सैयद अलीजहीर--जी हां, इसकी बराबर कोशिश है कि एक दिन का नागा भी न होने पाये।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार ने इस बात का कोई आदेश दिया है कि देहात की दुकानों पर २० ही मन अनाज दिया जाय?

श्री सैयद अलीजहीर--जी नहीं। ऐसा नहीं है। मैंने यह बतलाया था कि वहां गेहूं और मोटा अनाज दोनों होता है और २० या २५ मन गेहूं और २० मन मोटा अनाज यह दोनों मिल कर तकसीम होता है।

श्री गेंदासिंह--जहां पर मोटा अनाज नहीं है वहां के लिये क्या आदेश हैं? केवल २० मन दिया जाय या ४० मन गेहूं दिया जाय?

श्री सैयद अलीजहीर--वहां तो गेहूं २५ से लेकर ३० मन तक तकसीम होता है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास गोंडा जिले के जनप्रतिनिधियों और जन-संस्थाओं की ओर से इस प्रकार की मांग आयी है कि अन्नाभाव की स्थिति की गंभीरता को देखते हुये एक पंचायती अदालत के एरिया में एक दुकान खोली जाय?

श्री सैयद अलीजहीर--गोंडा का मुझे खास खयाल नहीं है लेकिन इस तरह की मांग कई दफा और कई जगहों से आयी थी और आखिर में यह तय हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टीज को देखते हुये दो पंचायतों में एक दुकान जहां तक हो सके खोली जाय और वह काफी होनी चाहिये और अब तो स्थिति ऐसी हो गयी है कि खाली पूर्वी जिलों का मामला नहीं है बल्कि पूरे सूबे में हमको इंतजाम करना है इसलिये इस वक्त एक पंचायत पर एक दुकान रखना बिलकुल मुमकिन नहीं है।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)--क्या दुकान खोलते समय स्थान के संबंध में क्षेत्रीय विधान सभा के सदस्यों से भी परामर्श किया जाता है?

श्री सैयद अलीजहीर--आम तौर से जिलाधीश जो मुकामी लोग हैं उनसे जरूर मशविरा कर लेते हैं?

श्री शिवप्रसाद नागर--क्या मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि दुकानें खोलने की विधि क्या है? वह किस की रिपोर्ट पर और किसकी आज्ञा से खुलती हैं?

श्री सैयद अलीजहीर--पहले तो यही था कि चूंकि पूर्वी जिलों में फसल खराब हो गयी थी और यह समझा गया कि वहां पर दुकानों की जरूरत है चुनान्चे एक अरसे से वहां दूकानें खुली हुई है। लेकिन बाद में जून के महीने से गल्ले की कीमतें पूरे सूबे में बढ़ना शुरू

हो गयीं और खास कर पश्चिमी हिस्से में दाम बढ़े। लिहाजा यह समझा गया कि जनता की सुविधा के लिये वहां भी दूकानें खोली जावें। चुनान्चे अब करीब-करीब हर जिले में थोड़ी बहुत दुकानें खोली जा चुकी हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने अभी कहा कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी के कारण हर पंचायती अदालत में गल्ले की दुकान नहीं खोली जा रही है, तो क्या अगर हर पंचायती अदालत में गल्ले की दुकान खोली जावे, तो अन्न की कमी तो नहीं पड़ेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---अध्यक्ष महोदय, यह हाइपौथैटिकल सवाल है। अगर खोलने का फैसला किया जायगा तो उसका इन्तजाम किया जायगा।

श्री गेंदासिंह---वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी क्या है जिससे हर पंचायत में दुकान नहीं खोली जा सकती है ?

श्री सैयद अली जहीर---वह तो खुली हुई बात है कि इतनी ज्यादा पंचायतें हैं, ७२,००० कि इतनी दुकानों पर अनाज पहुंचाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसलिये वह इमकान के बाहर है।

श्री शिवप्रसाद नागर---अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---जो मिला वह ठीक ही मिल गया।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के विद्यार्थियों की भूख-हड़ताल

****८---पद्माकरलाल श्रीवास्तव** (जिला आजमगढ़)---क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ कितने समय से बन्द है और उसके क्या कारण हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---२५ फरवरी, १९५८ से बन्द है।

छात्रों ने निम्नलिखित मांगें पेश की थीं:---

(१) कालेज का नाम State Ayurvedic College बदल कर State College of Medicine (Ancient and Modern) कर दिया जाय ताकि लोगों की यह भावना न रहे कि कालेज के स्नातक वैद्य हैं।

(२) कालेज के स्नातकों को पी० एम० एस० (P. M. S.) में लिया जाय और उनका वेतन-क्रम, अधिकार और सुविधायें वही हों जो कि मेडिकल कालेज के स्नातकों को मिलती है।

(३) इन छात्रों का यह भी कहना था कि आधुनिक वैज्ञानिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त होने के कारण तथा संस्कृत साहित्य से अनभिज्ञ होने के कारण कालेज के छात्र आयुर्वेद की शिक्षा के लिये तथा वैद्य बनने के लिये अयोग्य हैं। उनके कथनानुसार उनकी भर्ती बी० एम० बी० एस० में मार्डर्न मेडिसिन तथा सर्जरी की सम्पूर्ण शिक्षा के लिये की गई थी। अतः उनकी मांग थी कि मार्डर्न मेडिसिन में शिक्षा प्राप्त करने के लिये कालेज में नये-नये विभागों के खोलने की तथा उन विभागों में शिक्षकों की नियुक्तियां किये जाने की व्यवस्था एक करोड़ रुपये की लागत में की जाय और यदि यह न हो सके तो उनकी शिक्षा का कोई अन्य प्रबन्ध किया जाय जैसे इस कालेज को मेडिकल कालेज, लखनऊ या मेडिकल कालेज कानपुर से मिला दिया जाय।

इस मांग की पूर्ति के लिये उन्होंने २ दिन का नोटिस दिया था जिसकी पूर्ति न होने के कारण उन्होंने कालेज में हड़ताल कर दी है।

**९--श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपा करके यह भी बतायेंगे कि इस कालेज के कुछ विद्यार्थी अनशन कर रहे हैं? यदि हां, तो उसका क्या कारण है तथा उसकी क्या मांगे हैं?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी--जी हां। कालेज के कुछ छात्रों ने अपनी निम्नलिखित मांगों की पूर्ति के लिये अनशन कर रक्खा है:--

(१) कालेज में पूर्ण रूप से साज-सज्जा तथा शिक्षकों की व्यवस्था की जाय।
(२) कालेज के स्नातकों को तुरन्त पी० एम० एस० ग्रेड दिये जाने का प्राविधान किया जाय।
(३) कालेज के प्राचीन तथा आधुनिक चिकित्सा-प्रणालियों में पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय।
(४) बी० एम० बी० एस० डाक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिये एक अलग कौंसिल की स्थापना की जाय।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक कालेज खोलने के लिये सरकार की तरफ से क्या-क्या प्रयत्न किये गये हैं और कालेज न खुल सकने के क्या-क्या कारण हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--लड़कों से बात की गई, उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज से बात की गई। लड़कों की जिद है, इस वजह से कालेज नहीं खुला।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--विद्यार्थियों द्वारा जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उनमें से कौन-सी मांगें ऐसी हैं जो सरकार को अस्वीकार हैं तथा उसके कारण क्या हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन--एक तो मैं यह नहीं कह सकता कि उनको वैद्य न कहा जाय, मैं यह भी नहीं कर सकता कि "आयुर्वेद" का शब्द कालेज के नाम से पहले निकाल दिया जाय, मैं यह भी नहीं कर सकता कि उनके रजिस्ट्रेशन के लिये कौंसिल कायम की जाय। जैसे बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन द्वारा हर जगह बाहर स्टेटों में होता है और यहां भी, वैसे ही रहना मुनासिब है। जहां तक पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग का सवाल है, वह मांग प्रिमैच्योर है। जब पास हो जावेंगे, सरकार इसका प्रबन्ध स्वयं नहीं कर सकेगी तो और स्टेट्स में जो संस्थायें हैं उनके जरिये से करेगी।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कालेज की स्थापना के समय कोई प्रासपैक्टस और कैरीकुलम भी बना था और उनकी मांगें क्या उनसे भिन्न हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रासपैक्टस तो बना था। ये मांगें बिलकुल वैसी ही हैं, अलग।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस कालेज के संचालन के लिये सरकार ने कोई ऐडवाइजरी कमेटी बनाई और क्या कभी उसकी बैठक बुलाई गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन--नोटिस की आवश्यकता है।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कार्यकाल में यह एलान किया था कि बी० एम० बी० एस० वाले विद्यार्थियों को पी० एम० एस० २ का ग्रेड दिया जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—समझना चाहिये कि कुछ को किया था, हमने भी किया था और उस पर हम कायम हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आश्वासन देंगे कि अब भी वह कोई विशेष प्रयत्न करेंगे जिससे कालेज के छात्र पढ़ने के लिये वापस आ सकें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम हमेशा तैयार हैं बशर्ते कि हमारे मित्र भी कोशिश करें। हमारी तनहा कोशिश से अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जब तक उधर के माननीय सदस्य कोशिश नहीं करेंगे शायद हम कामयाब न हों।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतावेगी कि इसी सदन में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त ने एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा था कि बी० एम० बी० एस० के पासशुदा लोगों के एमोल्यूमेंट्स वही होंगे जो पी० एम० एस० २ ग्रेड के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वे प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं, हमारे मित्र उन्हें पढ़ लें।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि मैंने उन प्रोसीडिंग्स को स्वतः माननीय स्वास्थ्य मंत्री को परसों चार बजे से लेकर छः बजे तक दो घंटे उनकी खिदमत में लाकर पढ़कर सुनाया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार को नहीं पता है, मुझे पता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार अब भी कृपा करके एमोल्यूमेंट्स के क्या अर्थ होते , इसे स्पष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एमाल्यूमेंट्स के अर्थ में, डियरनेस एलाउन्स, सर्विस एलाउन्स, यही सब बातें हैं।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एमाल्यूमेंट्स में क्या राइट्स और प्रिविलेजेज भी आते हैं ?

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अंग्रेजी में प्रश्न कर रहे हैं मुझे इसमें एतराज है।

श्री अध्यक्ष—(श्री राजनारायण से) आप राइट्स और प्रिविलेजेज की हिन्दी कर दीजिये।

श्री राजनारायण—एमाल्यूमेंट्स तो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री का ही शब्द है मेरा शब्द नहीं है। तो क्या एमाल्यूमेंट्स में कर्त्तव्य और अधिकार भी आते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा मेरा खयाल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो विद्यार्थी बी० एम० बी० एस० की डिग्री लेते हैं भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्त के आश्वासन के अनुसार उनको पी० एम० एस० का ग्रेड दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, अगर वे पब्लिक सर्विस कमीशन से चुने जायेंगे तो उनको २००–४०० का ग्रेड दिया जायगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस तरफ के बैठने वाले, इस मामले को निबटाने के लिये किस प्रकार की सहायता दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो सहायता माननीय सदस्य देना उचित समझें।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--क्या सरकार ने कोई ऐसी गारन्टी दे रखी है कि जो विद्यार्थी इसमें पास होंगे उनको सरकारी नौकरी दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी गारन्टी तो एम० बी० बी० एस० को भी नहीं होती है।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि ५ महीने के भीतर जब से यह हड़ताल चल रही है, विद्यार्थियों की मांगों की ओर, कि उनको इक्विपमेंट दिया जाय, प्रयोगशाला सामान से लैस की जाय, अच्छे प्रोफेसर्स रखे जायं, आदि सरकार ने क्या प्रगति की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम यह करने के लिये बिलकुल तैयार हैं बशर्ते कि कालेज खोलने की नौबत आये।

श्री चन्द्रजीत यादव--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि गत वर्ष जो कालेज के छात्रों को सरकार ने आश्वासन दिये थे क्या सरकार ने उनको पूरा किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे याद नहीं कि क्या आश्वासन दिये थे, पहले मुझे बताया जाय।

श्री गेंदासिंह--क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस कालेज के झगड़े को खत्म करने के लिये इधर के लोगों को बुला कर वे बातचीत करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हम काफी बात कर चुके हैं, बात करते-करते थक गये हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि २२ मार्च को उन्होंने इसी सदन में जो यह आश्वासन दिया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड प्रिन्सिपल उनको दिया जायगा, क्या उसको कार्यरूप में परिणत किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रिन्सिपल के एप्वाइन्टमेंट के बारे में एक स्टेट्यूट है जिसकी रू से स्टाफ के लोगों में से ही प्रिन्सिपल बन सकता है। वहां स्टाफ की तादाद बहुत कम है, इस प्रकार से सेलेक्शन का स्कोप बहुत कम है। लिहाजा सरकार ने यूनिवर्सिटी से यह रिक्वेस्ट की कि उस स्टेट्यूट को बदल दें ताकि डायरेक्टली रिक्रूटमेंट एडवर्टिजमेंट करके कर सकें। यूनिवर्सिटी ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब विभाग से राय लेकर उस स्टेट्यूट को अमेंड करने जा रहे हैं ताकि प्रिन्सिपल के चुनाव के लिये ज्यादा स्कोप मिल सके। अब हम पब्लिक सर्विस कमीशन को इसके बारे में लिख रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह--२२ मार्च को जो उन्होंने कहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है और आज जो बयान दिया जा रहा है, इन दोनों में कौन सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--वह गलत बात मेरे मुंह से निकल गयी थी उसकी तरमीम की जा रही है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विद्यार्थियों को उस कालेज में समुचित शिक्षा देने के लिये अभी तक न तो पूरा स्टाफ ही है और न मेटिरियल ही है ? इस विषय में इसकी पूर्ति सरकार कब तक कर देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--हमारे पास सामान अब भी है और जो कुछ खामी थोड़ी-बहुत होगी, उसे मैं बहुत जल्द पूरा करने वाला हूं।

तारांकित प्रश्न

ग्राम सेवकों के लिये सहायक विकास अधिकारी पद प्राप्त करने के नियम

*१—श्री भूपकिशोर (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नार्मल ब्लाक, अलीगंज, जिला एटा से कितने ग्राम-सेवकों (V.L.Ws.) के नाम A.D.Os. के लिये सिफारिश होकर B.D.O., अलीगंज द्वारा सरकार के पास आये हैं ?

मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अलीगंज ब्लाक, जिला एटा से ग्राम-सेवक का कोई नाम क्षेत्र-विकास अधिकारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी के पद के लिये सिफारिश होकर सरकार के पास नहीं आया है ।

*२—श्री भूपकिशोर (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि V.L.Ws. से A. D. Os. के पद पर नियुक्ति किये जाने के लिये किन-किन आधारों पर B. D. Os. द्वारा सिफारिशें की जाती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—क्षेत्र विकास अधिकारी उन्हें ग्राम-सेवकों के नाम सहायक विकास अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु अपनी सिफारिश के साथ भेजते हैं जो नियोजन विभाग में ग्राम-सेवक पद पर कम से कम दो वर्ष की सेवा कर चुके हों और जिनका काम सन्तोषजनक हो ।

पी० सी० एस० इमर्जेन्सी रिक्रूटमेंट में लिये गये तहसीलदार तथा नायब-तहसीलदार

*३—श्री राजेद्रसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने तहसीलदार तथा नायब-तहसीलदार P. C. S. एमर्जेन्सी recruitment में १९५७ वाली इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये थे, और उनमें से कितने लिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तेरह तहसीलदार तथा सैंतालिस नायब-तहसीलदार बुलाये गये थे जिसमें से केवल चार चुने गये ।

भारतीय विद्या-शास्त्र, संस्कृति एवं वैज्ञानिक गवेषणा विभाग के कार्य

*४—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भारतीय विद्या-शास्त्र, संस्कृति एवं वैज्ञानिक गवेषणा विभाग कितने वर्षों से किन-किन स्थानों पर क्या-क्या काम कर रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—भारतीय विद्या-शास्त्र, संस्कृति एवं वैज्ञानिक गवेषणा विभाग अक्तूबर, १९५७ से कार्य कर रहा है । इसके अन्तर्गत सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य संलग्न विवरण के अनुसार सम्पन्न होते हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६५३ पर)

*५—श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या उसने भारतीय भवन, वाराणसी में संग्रहीत हस्तलिखित ३०,००० पुस्तकों के प्रकाशन की कोई योजना बनाई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक सरकार को ज्ञात है वाराणसी में भारतीय भवन नाम की कोई संस्था नहीं है ।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिये उसने किन-किन संस्थाओं को अनुदान के लिये स्वीकार किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---साइंटिफिक रिसर्च के लिये कोई संस्था स्वीकार नहीं की जाती। शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि सन् १९४७-४८ में कौंसिल आफ साइंटिफिक रिसर्च की स्थापना हुई, उसमें इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा भेजे हुए उसके प्रतिनिधि होते हैं, उनका एक सभापति होता है। कौंसिल कुछ रुपया उस संस्था के हाथ में देती है और वह संस्था निश्चित करती है प्रदेश के जिन लोगों से रिसर्च कराना होता है, वे वैज्ञानिक उसके पास दरख्वास्तें देते हैं और वह कौंसिल जिस-जिस को उचित समझती है रुपया देती है और उनको यह आदेश देती है कि आप अमुक विश्वविद्यालय या अमुक कालेज में रिसर्च करें।

श्री मदनगोपाल वैद्य---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लखनऊ और मथुरा के संग्रहालयों को छोड़ कर बाकी जगह के संग्रहालय भी इसी विभाग के अधीन कार्य करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे तो पता नहीं कि इन दो संग्रहालयों के अलावा और कौन से संग्रहालय इस प्रदेश में हैं। अगर माननीय सदस्य का तात्पर्य सारनाथ के संग्रहालय से है तो वह भारत सरकार के अधीन है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार को विदित है कि वाराणसी के किसी संग्रहालय में तीस हजार संस्कृत की पुस्तकें जमा हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा तो नहीं पता है लेकिन जो विश्वविद्यालय के साथ सरस्वती भवन है उसमें ६०, ७० हजार पुस्तकें हैं, मैं ठीक नहीं बतला सकता कि कितनी प्रकाशित हुई हैं और कितनी प्रकाशित नहीं हुई हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जो पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, उनमें से महत्वपूर्ण पुस्तकों को प्रकाशित करवाने का सरकार प्रबन्ध करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, बहुत दिनों से प्रबन्ध करने का खयाल है लेकिन रुपये की दिक्कत हो रही है।

गोरखपुर जिले में करघा-उद्योग के लिये सहायता

*६---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में १९५२ से १९५७ तक कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि करघा-उद्योग के लिये दी गई ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---गोरखपुर जिले में करघा-उद्योग के लिये एक व्यक्ति को १०,००० रुपये का ऋण तथा १,००० रुपये का अनुदान दिया गया।

*७---श्री अमरनाथ---इस अवधि में उक्त धनराशि से कितनी प्रगति करघा-उद्योग में हुई ?

श्री रऊफ जाफरी---उक्त धनराशि पाने वाला व्यक्ति अपना कार्य सुचारु-रूप से चला रहा है।

श्री अमरनाथ---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि करघा-उद्योग को एड देने में क्या उसूल रखा गया है ?

श्री रऊफ जाफरी—जो उसूल अनुदान कमेटी के रूल्स के अन्दर है उसके अनुसार एड दी जाती है। कुछ औजारों के लिये और कुछ कारोबार को बढ़ाने के लिये यह एड दी जाती है।

श्री अमरनाथ—जिस व्यक्ति को ऋण दिया गया उसका नाम क्या है?

श्री रऊफ जाफरी—फैयाज अहमद।

श्री मदन पांडेय—सन् १९५२ से इस वक्त तक कितनी दरख्वास्तें कर्ज के लिये करघा-उद्योग के सिलसिले में आईं?

श्री रऊफ जाफरी—सन् १९५२ से इस वक्त तक की सूचना मेरे पास नहीं है। इसके लिये आप नोटिस दें तो दरयाफ्त किया जा सकता है।

श्री अमरनाथ—क्या और व्यक्तियों ने भी प्रार्थना-पत्र दिये थे? यदि हां, तो उन प्रार्थना-पत्रों पर क्या हुआ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये भी नोटिस की जरूरत होगी।

*८-९—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले में खुलने वाले उद्योग-धंधे

*१०—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन उद्योग-धंधे जिला बुलन्दशहर में खोले जा रहे हैं?

श्री रऊफ जाफरी—चर्म-उद्योग, हथ-करघा-उद्योग, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग।

श्री जगवीरसिंह—क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि किस-किस स्थान पर खोलने की बात है?

श्री रऊफ जाफरी—इसकी सूची इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री जगवीरसिंह—इन उद्योगों में कौन-कौन से खुल चुके हैं और कौन-कौन से खोलने बाकी हैं?

श्री रऊफ जाफरी—चर्म-उद्योग के सिलसिले में तो एक सहकारी-समिति चल रही है और चीनी मिट्टी के बर्तनों का जो काम है वह वहां खुर्जे में हो ही रहा है। हथ-करघा-उद्योग भी हैंडलूम स्कीम के मातहत जगह-जगह चल रहा है।

श्री जगवीरसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि चीनी बर्तनों का उद्योग वहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं, बल्कि पहले से ही वहां चल रहा है?

श्री रऊफ जाफरी—चीनी के बर्तनों का काम पुराना है। इस साल वहां एक इंस्टीट्यूट भी खोली गयी है चीनी के बर्तनों के सिलसिले में।

*११—श्री नारायणदत्त तिवारी—[इसका उत्तर २९ जुलाई, १९५८ को प्रश्न-संख्या २९ के अन्तर्गत दिया जा चुका है।]

*१२-१३—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

अलीगढ़ से लखनऊ तक सीधी एक्सप्रेस बस चलाने की मांग

*१४--श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अलीगढ़ से लखनऊ तक सीधी एक्सप्रेस बस चलाने पर वह विचार कर रही है ?

परिवहन राज्य-मन्त्री (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलायेगी कि अलीगढ़ से लखनऊ तक सीधी एक्सप्रेस बस चलाने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर सीताराम--कठिनाई यह है कि धनाभाव के कारण वह सड़क इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं ली गई है।

बाराबंकी जिलान्तर्गत फतेहपुर तहसील के एजेन्ट को चुर्क सीमेंट फैक्टरी का पूरा कोटा न मिलना

*१५--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत चुर्क सीमेंट फैक्टरी के फतेहपुर तहसील के एजेन्ट को पिछले ८ महीनों में कितने वैगन सीमेंट मिली है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में चुर्क सीमेंट फैक्टरी के स्टाकिस्ट सर्वश्री सागरमल झुनझुनवाला को गत ८ महीनों में १९ वैगन सीमेंट एलाट किया गया था, जिसमें से ७ वैगन फर्म को भेजा जा चुका है। शेष १२ वैगन अभी भेजना बाकी है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह १२ वैगन्स सीमेंट कब तक पहुंच जायेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी जो पैसा एडवान्स पेमेंट करना पड़ता है वह भेजा ही नहीं इसलिये जब पेमेंट कर दिया जायगा तब व्यवस्था हो जायगी।

श्री जंगबहादुर वर्मा--जब एडवान्स नहीं भेजा गया और वहां की जनता को सीमेंट के सम्बन्ध में परेशानी है तो दूसरा एजेन्ट क्यों नहीं किसी को बनाया जाता ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसके लिये जब जनता शिकायत करेगी तो विचार किया जायगा।

श्री उग्रसेन--क्या मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी के जो एजेन्ट या डीलर्स होते हैं उनको सिक्योरिटी के अलावा एडवान्स देना पड़ता है ? तो उसमें सरकार कुछ सहूलियत कर देगी ताकि वह जल्दी से मंगा सकें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अभी इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है।

*१६-१८--श्री गौरीशंकर राय--[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा-खण्ड, मिसरिख, जिला बुलन्दशहर के कर्मचारियों के क्वार्टरों का ठेका

*१९--श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मिसरिख N.E.S. ब्लाक, जिला बुलन्दशहर के कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने का ठेका काफी समय से दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्यों कार्यारम्भ नहीं हो सका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इन इमारतों के बनने का ठेका अक्तूबर, १९५७ में दिया गया था। और उनके निर्माण का कार्य फरवरी, १९५८ में आरम्भ हो गया था।

हाथरस में परगनाधीश का दफ्तर स्थायी रूप से रखने की प्रार्थना

*२०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में परगनाधीश को स्थायी रूप से रहने तथा वहां पर ही अपने मुकदमे करने के आदेश कब तक जारी होने की आशा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न विचाराधीन है परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण निकट भविष्य में इस योजना को कार्यान्वित करना सम्भव न होगा ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि स्थायी निवास बनने तक किसी योग्य किराये की इमारत को इस कार्य के लिये स्वीकार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ऐसी व्यवस्था हो सकेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—किराये की इमारत से काम नहीं चल सकता, इसलिये कि महज एक अफसर के रहने और दफ्तर के मकान की बात नहीं है । जब एस० डी० एम० का दफ्तर स्थायी रूप से होगा तो पुलिस का भी दफ्तर रखेंगे, सब-जेल होनी चाहिये, मुहाफिज-खाना रखना पड़ेगा । किराये पर इतनी जगह नहीं मिल सकती ।

अलीगढ़ जिले में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कम्प्लेंट्स के पास गजटेड अफसरों के खिलाफ शिकायतें

*२१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट) के पास किन्हीं गजटेड अफसरों के विरुद्ध भी कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाहियां हुईं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, केवल तीन शिकायतें गजटेड अफसरों के विरुद्ध प्राप्त हुईं । उनमें से दो जिलाधीश के पास भेजी गईं तथा तीसरी जांच के बाद गलत पायी गयी ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि गजटेड अफसरों के जो मामले जिला मैजिस्ट्रेट को दिये गये उनमें क्या हो रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जो जिला मैजिस्ट्रेट के पास भेजे गये उनमें क्या हो रहा है, मैं नहीं बतला सकता । सूचना की जरूरत है ।

हमीरपुर जिले के पहाड़ी भिटरी ग्राम का प्राचीन भूगर्भ मन्दिर

*२२—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में तहसील मौदहा, ग्राम पहाड़ी भिटरी में जो एक जमीन के अन्दर इमारत है, जिसमें कुछ पत्थर की मूर्तियां भी रक्खी हैं, उसके सम्बन्ध में पता लगाने की कृपा करेगी कि इस इमारत को किसने बनवाया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी तक इस विषय में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल रहा है कि इस मन्दिर को किसने बनवाया था । स्थानीय किम्बदन्तियों के अनुसार इस मन्दिर को महोबा के चन्देले राजा ने आल्हा ऊदल के समय में बनवाया था ।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि ठीक-ठीक पता लगाने के लिये कि यह मन्दिर किसने बनवाया था, अब भी जांच जारी रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हम कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस विषय के जानकार हैं वह देखें और कुछ पता लगा सकें तो बतलाय ।

निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में पात्र कला विकास हेतु औद्योगिक सहकारी समिति की स्थापना

*२३—श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह आजमगढ़ जिले में कस्बा निजामाबाद व ग्राम शहरोज, तहसील घोसी में मिट्टी के बर्तनों और खिलौना आदि के उद्योग की उन्नति के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—पात्र कला विकासहेतु निजामाबाद में एक औद्योगिक सहकारी समिति की स्थापना की गई है जो उत्पादन के अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री आदि का प्रबन्ध करती है। निजामाबाद में एक पात्र कला शिक्षण शिविर खोला गया है जहां शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। उनको २५ रुपये माह छात्रवृत्ति भी दी जाती है। कामर्शियल आधार पर कार्य करने के लिये सरकार द्वारा २०,००० रुपये की मशीनें भी प्रदान की गई हैं।

उक्त समिति तथा शिक्षण शिविर की सुविधायें शहरोज के निवासियों को भी उपलब्ध हैं।

*२४—श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार आजमगढ़ जिले में सुअरों के बालों का कोई उद्योग खोलने का विचार करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रऊफ जाफरी—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*२५—श्री मुक्तिनाथराय—यदि नहीं, तो इस उद्योग के न खोलने का क्या कारण है ?

श्री रऊफ जाफरी—कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के साधन नहीं हैं। ना ही यह उद्योग दूसरी योजना में सम्मिलित है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शहरोज में शिक्षण शिविर कब से खुला और वहां कितने लोग प्रशिक्षित हुये और कितने रुपये की मशीनें प्रदान हुईं ?

श्री रऊफ जाफरी—मैंने निजामाबाद के बारे में बताया कि वहां शिविर है और शहरोज में तो केवल वह सुविधायें हासिल हैं।

श्री मुक्तिनाथराय—अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि कितने व्यक्ति प्रशिक्षित हो गये हैं और कितने लोगों को मशीनों के लिये सहायता दी गई ?

श्री रऊफ जाफरी—निजामाबाद में जो शिक्षण शिविर है उस में सन् १९५६–५७ में ११ ट्रेनीज आये थे जिनका प्रोडक्शन १,७१२ रु० १२ आना का हुआ और फाइनेन्शियल ईयर के खत्म होने तक उसमें केवल ४ आदमी रह गये। इसी तरह से सन् १९५७–५८ में ८ ट्रेनीज आये और आखिर में ३ रह गये। निजामाबाद का जो शिक्षण शिविर है उसकी सुविधायें दूसरी जगह वालों के लिये भी हासिल हैं, वह भी वहां सीख सकते हैं।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि निजामाबाद और शहरोज से मिट्टी के बरतन विदेशों में भेजने की कोई व्यवस्था प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से करने को कहा है ?

श्री रऊफ जाफरी—इस तरह की व्यवस्था की बात खास तौर से निजामाबाद के बरतनों के सिलसिले में नहीं है लेकिन जितनी भी ग्राम उद्योग की चीजें हैं उनकी बिक्री की बाहर कोशिश की जाती है, केवल वहीं के लिये कोई खास स्कीम नहीं है।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार इस प्रश्न को एक सुझाव मानकर केन्द्रीय सरकार का शहरोज और निजामाबाद से मिट्टी के बरतनों के निर्यात के लिये ध्यान आकर्षित करेगी ?

श्री रऊफ जाफरी—जब यह अन्दाज होगा कि वहां ऐसी चीजें बनने लगीं जिनकी बाहर मांग है तो सोचा जायगा ।

जुडीशियल आफिसर्स के तबादले से संबंधित आदेश

* २६—**श्री बलवानसिंह** (जिला कानपुर)—क्या सरकार ने जुडिशियल आफिसरों के तबादले सम्बन्धी ऐसे नियम बनाये हैं कि उनका तबादला कितने साल के बाद होना चाहिये ? यदि हां, तो कृपया उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसे आदेश सभी सरकारी अफसरों के लिये जारी किये गये हैं । उनकी एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६५४–६५५ पर)

हाथरस में खुलने वाला ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर

*२७—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कटलरी के अतिरिक्त जिन अन्य उद्योगों का वह हाथरस क्षेत्र में विकास करने जा रही है उन उद्योगों में से प्रत्येक में कितने नये लोगों को काम मिल सकेगा ?

श्री रऊफ जाफरी—हाथरस में विभिन्न उद्योगों के ४ प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र खोले जाने वाले हैं जिनमें कुल ८० व्यक्ति काम में लगेंगे ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ४ प्रकार के शिक्षण केन्द्र किन-किन उद्योगों की शिक्षा के लिये खोले जा रहे हैं और उनमें अलग-अलग क्या उत्पादन होगा ?

श्री रऊफ जाफरी—साबुन बनाने का उद्योग एक होगा, सिलाई कटाई का दूसरा, तीसरा लोहारी और औजार बनाने का काम और चौथा पीतल का इमारती सामान बनाने का ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन उद्योगों को वहां बढ़ावा दिया जायगा उनके प्रशिक्षण के लिये भी वहां कोई व्यवस्था होगी ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो कहा ही गया कि वह ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेंटर होगा । ट्रेनिंग भी होगी और प्रोडक्शन भी होगा ।

बाराबंकी जिले को मद्य निषिद्ध घोषित करने की प्रार्थना

* २८—**श्री जंगबहादुर वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह जिला बाराबंकी में नशीली वस्तुओं के बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बाराबंकी में हत्याएं अधिक होती हैं, वहां नशे पर रोक लगाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—यह तो मुझे पता नहीं कि हत्याएं वहां पर ज्यादा होती हैं, यह तो असत्य प्रतीत होता है, लेकिन सरकार को ४,६६,१३३ रुपये का नुकसान होगा, अगर मद्य-निषेध योजना लागू कर दी जायगी, इसलिये उसको लागू करने का प्रश्न नहीं है ।

मोटर मैजिस्ट्रेटों से न्याय मिलने में असुविधा की शिकायत

* २९--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हर एक रीजन में कितने-कितने मोटर मैजिस्ट्रेट नियुक्त हैं और उनका वेतन स्केल क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हर एक रीजन में एक। इनका वेतन-क्रम रु० २५०-८५० है।

* ३०--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त मैजिस्ट्रेट अपने-अपने रीजन के मुकदमें सदर मुकाम पर करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सदर मुकामों के अलावा अन्य निर्धारित स्थानों पर भी करते हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मुख्य मंत्री जी के पास इस आशय की शिकायतें आयी हैं कि विभिन्न स्थानों पर मुकदमों की सुनवाई होने के कारण मोटर वालों को बड़ी असुविधा होती है तथा फैसले में भी बहुत देर लगती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हो सकता है कुछ थोड़ी सी असुविधा हो, लेकिन अगर हर स्थान के लिये इन्तजाम किया जायगा तो बहुत से मैजिस्ट्रेट रखने पड़ेंगे और बहुत खर्चा हो जायगा।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी--क्या मुख्य मंत्री जी के पास इस बात की शिकायतें आयी हैं कि कानपुर रीजन के मैजिस्ट्रेट झांसी मेल से दो बजे दिन में झांसी पहुंच कर रात तक मुकदमे करते हैं, जिससे लोगों को असुविधाएं होती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त तो मुझे याद नहीं पड़ता है कि कोई ऐसी शिकायत आयी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी इन मैजिस्ट्रेटों का काम स्थानीय मैजिस्ट्रेटों के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ऐसा नहीं हो सकता। यह रेल विभाग और प्रादेशिक सरकार दोनों के बीच की बात है। मैं समझता हूं, यह सम्भव नहीं है।

सिनेमा कर घटाने के लिये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के आवेदन-पत्र

*३१--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले मर्तबा चलचित्रों पर कर बढ़ाते समय उसको कितनी आमदनी बढ़ने का अनुमान था और उस समय से अभी तक आय के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--२३ सितम्बर, १९५७ से मनोरंजन कर की दर बढ़ाते समय इस जरिये से लगभग ४० लाख रुपये वर्ष भर में बढ़ने का अनुमान था।

अक्तूबर, १९५७ से मई, १९५८ तक केवल मनोरंजन कर से ९१,६६,२७०.८२ रुपये की आमदनी हुई जब कि पिछले वर्ष इतने ही समय में कुल ६४,५४,६७३.०५ रुपये की आमदनी हुई थी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई आवेदन-पत्र उनके पास आया था ? यदि हां, तो कब और उसका आशय क्या है ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कब आया, यह तो नहीं मालूम है, लेकिन इस प्रकार के कई आवेदन-पत्र आये हैं कि कर घटा दिया जाय।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उन आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में उन्होंने क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वही निर्णय किया है, जो मैंने आंकड़े कहे हैं उनको देखकर माननीय सदस्य स्वयं क गे।

*३२-३३--श्री जगदीशनारायणदत्त सिंह (जिला खीरी)--[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

केन सोसाइटी, जंगबहादुरगंज, जिला खीरी के किसानों का महोली मिल पर बकाया

*३४--श्री जगदीश नारायण दत्त सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन सोसाइटी, जंगबहादुरगंज, जिला खीरी के कृषकों का गन्ने का रुपया महोली मिल पर शेष है ? यदि हां, तो कब तक चुकता हो जावेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--१ जून, १९५८ को महोली शुगर मिल पर केन सोसाइटी, जंगबहादुरगंज के किसानों के गन्ने का निम्नलिखित रुपया बकाया था :

	रुपया	नया पैसा
गन्ने का मूल्य	४३,९२२	.९९
कमीशन	४३,६३१	.०
योग ..	८७,५५३	.९९

गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा १७-१८ के अन्तर्गत गन्ने की कीमत का यथा समय भुगतान न होने के कारण रिकवरी सर्टीफिकेट जारी कर दिये हैं और इसके शीघ्र ही वसूल होने की आशा है।

ललितपुर तहसील में न्याय मन्त्री के दौरे की सूचना

*३५--श्री रमानाथ खैरा (जिला झांसी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्याय मंत्री ने १६ मार्च, सन् १९५८ को सरकारी मंत्री की हैसियत से ललितपुर तहसील (जिला झांसी) का दौरा किया था उसकी सूचना जिले के किन-किन लोगों या राजनीतिक पार्टियों को दी गई थी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--न्याय मंत्री के दौरे की सूचना जिले के सम्बन्धित सरकारी अधिकारियों, श्री गज्जूराम, एम० एल० ए०, प्रिंसिपल, वारनी जैन इन्टर कालेज, ललितपुर और झांसी जिले तथा शहर की कांग्रेस समिति एवं अन्य सम्बन्धित मडंल कांग्रेस समितियों को दी गई थी। इसके अतिरिक्त जिलाधीश को लिखा गया था कि वे जिले के आल इंडिया जमीयत-उर-राईन के पदाधिकारियों को भी न्याय मंत्री जी के दौरे से सूचित कर दें।

बाराबंकी जिले के बदीपुर ग्राम में शराब की कथित तलाशी

*३६--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या परिवहन राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी, थाना सुबेहा में माह मार्च सन् १९५८ में ग्राम बदीपुर में गैर-कानूनी शराब की तलाशी कितने घरों में हुई ?

डाक्टर सीताराम—माह मार्च,१९५८ में बदीपुर ग्राम में किसी के घर गैरकानूनी शराब के सम्बन्ध में तलाशी नहीं ली गई ।

*३७—श्री लक्ष्मणराव कदम—[इसका उत्तर २४ जुलाई, १९५८ को प्रश्न संख्या ५१ के अन्तर्गत दिया जा चुका है ।]

*३८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आंगरा)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३९—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

राज्य में चालू अम्बर चर्खे तथा नवीन खादी केन्द्र

*४०—श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७–५८ में प्रदेश भर में ६,००० अम्बर चर्खे चलाने की जो योजना थी उसमें कितने चर्खे किन-किन जिलों में चलाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—शासन द्वारा ६,००० अम्बर चर्खे १९५७–५८ में चलाने की योजना बनाई गई थी परन्तु खादी कमीशन ने ३,००० चर्खे चलाने के लिये ही स्वीकृति दी । इनमें से १,२६१ चर्खे ही निम्नलिखित जिलों में चलाये जा सके :—

१—गोरखपुर	८४
२—इटावा	९०
३—बुलन्दशहर	८३
४—फैजाबाद	९७
५—देवरिया	९३
६—इलाहाबाद	८१
७—बलिया	९९
८—कानपुर	९२
९—फतेहपुर	९९
१०—आगरा	७६
११—हमीरपुर	९४
१२—वाराणसी	९३
१३—उन्नाव	९०
१४—मुरादाबाद	६६
१५—बरेली	२४
योग ..	१,२६१

*४१—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो १०० खादी केन्द्र प्रदेश में खुलने को हैं उनमें से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कितने केन्द्र खोले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्य के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में ८५ खादी केन्द्र चल रहे थे । उन को कथित १०० केन्द्रों में विलीन कर दिया गया तथा सन् १९५७–५८ में शेष १५ नये ऊन कताई केन्द्र खोले गये ।

*४२—श्री गनेशीलाल चौधरी—यह केन्द्र किन-किन जिलों में और कहां-कहां खोले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त १०० केन्द्रों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६५६–६५८ पर)

"हिन्द फ्लाइंग क्लब" के एक जहाज का पुवायां कस्बे में दुर्घटना-ग्रस्त होना

*४३—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार के पास कुछ समय पूर्व शाहजहांपुर के पुवायां कस्बे में "हिन्द फ्लाइंग क्लब" के एक हवाई जहाज के चूर-चूर हो जाने के सम्बन्ध में कोई जांच रिपोर्ट आई है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*४४—श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जांच रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६५९ पर)

*४५—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या केंद्रीय सरकार के Accidents Inspector द्वारा उपर्युक्त दुर्घटना की जांच भी कराई गई थी ?

डाक्टर सीताराम—भारत सरकार के Directorate General of Civil Aviation के अधिकारी ने दुर्घटना की जांच की थी। उनकी रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

उन्नाव जिले में चालू होने वाले उद्योग-धंधे

*४६—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से उद्योग-धंधे उन्नाव जिले में सरकार की ओर से चलने वाले हैं, और कहां-कहां ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) चर्म उद्योग, गुड़ उद्योग, ताड़ गुड़ उद्योग, हथकरघा, उद्योग तथा अम्बर चर्खा उद्योग।

(ख) इस समय ताड़ गुड़ उद्योग रसूलपुर, गुराया कलां, बझेरा, जैतीपुर, दाराहाटा लछीपुर तथा बांगरमऊ में; गुड़ उद्योग उन्नाव, पुरवा तथा सफीपुर तहसीलों में; हथकरघा उद्योग बांगरमऊ तथा उन्नाव में और अम्बर चर्खा उद्योग सफीपुर में चल रहा है। भविष्य के विषय में अभी निर्णय नहीं किया गया है।

जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील में खादी केन्द्र तथा गन्ने की खेती

*४७—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अब तक कितने खादी केंद्र खोले गये हैं तथा उनमें से कितने शाहगंज तहसील के किन-किन गांवों में खुले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जौनपुर जिले में तीन खादी केन्द्र सरकार द्वारा खोले गये हैं। इनमें से एक शाहगंज में है।

*४८—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के शाहगंज मिल क्षेत्र में इस वर्ष कितना गन्ना बोया गया था? उसमें से ३०-४-५८ तक कितना पेरा गया तथा कितना खेतों में खड़ा रह गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५७-५८ सीजन में जौनपुर जिले की शाहगंज शुगर मिल के क्षेत्र में कुल १९.८४ हजार एकड़ भूमि में गन्ना बोया गया था और यह मिल अपने क्षेत्र का लगभग सभी उपलब्ध गन्ना अर्थात् २२.०१ लाख मन पेर कर ११ मार्च, १९५८ को बन्द हुई। अतः खेतों में गन्ना खड़ा रह जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*४९—कुंवर श्रीपाल सिंह—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*५०—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—[११ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१-५२—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[१ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ८६-८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५३—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

एटा-लखनऊ बस सर्विस की मांग

*५४—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार एटा से लखनऊ तक सरकारी बसें चलाने पर विचार करने की कृपा करेगी?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

*५५—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (अनुपस्थित)—[स्थगित किया गया।]

पर्यटन विभाग से ब्लिट्ज विज्ञापन मिलना

*५६—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही है कि प्रदेशीय सरकार के नियोजन विभाग द्वारा 'Blitz' अखबार को हाल में कई बड़े-बड़े विज्ञापन दिये गये हैं? अगर हां, तो उनका कितना बिल या कीमत है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, हाल ही में पर्यटन विभाग से संबंधित एक पृष्ठ का विज्ञापन 'Blitz' अखबार को दिया गया था। इस विज्ञापन की कीमत केवल ९६८.७५ रुपया है।

छोटे उद्योग-धंधों के लिये जिलेवार अनुदान

*५७—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ व १९५७-५८ में सरकार द्वारा कौन-कौन बड़े उद्योग, कहां-कहां व किस-किस लागत से खोले गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त वर्षों में सरकार द्वारा कोई बड़े उद्योग नहीं खोले गये।

*५८—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् १९५६-५७, १९५७-५८ में उनके विभाग द्वारा प्रदेश के निवासियों को छोटे उद्योग-धंधों के लिये अलग-अलग जिलेवार कितना-कितना रुपया अनुदान स्वरूप दिया गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१९५६-५७ तथा १९५७-५८ में उत्तर प्रदेश के निवासियों को छोटे उद्योग-धंधों के लिये अनुदान स्वरूप दिये गये धन की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६६०-६६१ पर)

धोर्रा, जिला झांसी में इमारती पत्थर के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये प्रार्थना

*५९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार धोर्रा, तहसीलपुर ललितपुर, जिला झांसी में इमारती पत्थर के उद्योग को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*६०–६१—श्री गज्जूराम—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२–६३—श्री मदन पांडेय—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*६४–६६—श्री गरीबदास (जिला जालौन)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*६७—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)—[२२ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६८–६९—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला वाराणसी)—[८ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७७–७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

*७१–७२—श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७३—श्री देवकीनन्दन विभव—[हटा दिया गया।]

*७४–७५—श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*७६—श्री गनेशचन्द्र काछी—[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

*७७—कुंवर श्रीपालसिंह—[माननीय सदस्य के तीन प्रश्न से अधिक होने के कारण ७ अगस्त, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० में पिछड़ी तथा परिगणित जातियों के व्यक्ति

*७८—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने बी०डी०ओ०, ए०डी०ओ० कार्य कर रहे हैं, उन में कितने पिछड़ी जाति और कितने परिगणित जाति के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस समय प्रदेश में कुल ३२७ बी० डी० ओ० कार्य कर रहे हैं जिसमें से २७ परिगणित व १० पिछड़ी जाति के हैं। प्रदेश में कुल १,५०२ ए०डी०ओ० र्यका कर रहे हैं जिसमें से ५३ परिगणित व ५९ पिछड़ी जाति के हैं।

अवैतनिक मद्य-निषेध प्रचारक

*७९--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के किन-किन जिलों में अब तक अवैतनिक मद्य-निषेध प्रचारक की नियुक्ति नहीं हुई है ?

डाक्टर सीताराम--अभी तक इटावा, अलीगढ़ तथा गोंडा जिलों में अवैतनिक मद्य-निषेध प्रचारकों की नियुक्ति नहीं हुई है।

वाराणसी जिले में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र

*८०--श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला वाराणसी)--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में खादी कमीशन बोर्ड की तरफ से सघन विकास क्षेत्र किस-किस तहसील में कितने खोले जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

*८१--श्रीमती सज्जन देवी महनोत--क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केंद्र किस-किस तहसील में, कितनी संख्या में खोले जा रहे हैं तथा उनसे कितनी महिलायें तथा पुरुष लाभ उठा सकेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वाराणसी जिले में सहसेपुर, डाकघर औराई, में एक अम्बर परिश्रमालय चल चुका है, जहां ९३ शिक्षार्थी शिक्षित किये गये हैं। १०० शिक्षार्थियों का दूसरा बैच गत मई से शिवपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य केन्द्र खोलने का सरकार का विचार नहीं है।

*८२--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--[१४ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित मार्गों को पक्का करने का विचार

*८३--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कों में कितनी सड़कों के पक्के करने के मामले सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६६२ पर)

डीजिल इंजनों की ट्रेनिंग जर्मनी व इंगलैंड में दिलाना

*८४--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निकट भविष्य में डीजल इंजनों के चलाये जाने तथा उनके मरम्मत किये जाने की ट्रेनिंग के हेतु कुछ व्यक्तियों को जर्मनी या रूस भेजे जाने का विचार किया जा रहा है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां। जर्मनी व इंगलैन्ड में।

*८५--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९५७ में कुछ व्यक्तियों को उपरोक्त ट्रेनिंग के हेतु पश्चिमी जर्मनी भेजा भी गया था ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

श्री कृष्णदास माथुर, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर का हरदोई जिले में ३ वर्ष से अधिक कार्य-काल

*८६--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या सरकार कृपया यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में किन-किन एस० डी० ओज० को तीन वर्ष या उससे अधिक कार्य करते हुये हो चुका है और उनको ट्रांसफर न करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिला हरदोई में केवल श्रीकृष्ण दास माथुर, स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर, तीन साल से अधिक समय से हैं। प्रशासन के हित में जिलाधीश, हरदोई की सिफारिश पर उनको शीतकाल तक वहां रहने की अनुमति दे दी गई है।

रोडवेज विभाग में परिगणित जाति के कर्मचारी

*८७--श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रदेश के प्रत्येक डिवीजन में रोडवेज विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और कितने क्लर्क, कंडक्टर, चपरासी तथा ए० टी० आई० सुपरिंटेंडेंट परिगणित जाति के कार्य कर रहे हैं और उनका प्रतिशत क्या है ?

डाक्टर सीताराम--जनवरी १९५८ में रोडवेज से संबंधित वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६६३ पर)

स्टाम्प विभाग से आय

*८८--श्री गंगा प्रसाद--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्टाम्प विभाग में १९५७-५८ ई० में कितने रुपयों की स्टाम्प और टिकट से आमदनी हुई है ?

डाक्टर सीताराम--अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार स्टाम्प विभाग को १९५७-५८ में स्टाम्प से ३,१२,१६,१२० रुपये की आय हुई। अंतिम आंकड़ों के प्राप्त होने पर संभव है कि आय की उपरोक्त राशि में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाय।

अतारांकित प्रश्न

राज्य के चीफ इंजीनियर

१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों के कितने चीफ इंजीनियर हैं ? उनमें कितने परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त चीफ इंजीनियरों की कुल संख्या ८ है। इनमें कोई व्यक्ति परिगणित जाति या पिछड़े वर्ग का नहीं है।

२-३--श्री गरीब दास--[हटा दिये गये।]

सरयू नदी में पानी बढ़ने के कारण गोरखपुर तथा देवरिया जिलों में कटाव होने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--कल एक कामरोको प्रस्ताव, राजनारायण जी का, आज के लिये स्थगित कर दिया गया था, इस कारण से कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उनके पास कामरोको प्रस्ताव पहुंचा नहीं है। लेकिन बाद में तत्काल ही मैं यहां से उठकर जब गया तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि उनके दफ्तर में वह आ गया था और उनकी नजर उस पर पड़ नहीं पायी, इस कारण उन्होंने यह बयान इस तरह का दे दिया था, लेकिन वह आ चुका था। तो मैं उनसे अब इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जानकारी हासिल की कि मामला क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, कल देवरिया और गोरखपुर जिलों के जिलाधीशों से टेलीफोन के जरिये सम्पर्क स्थापित किया गया। देवरिया जिले के जिलाधीश भी उस वक्त गोरखपुर में मौजूद थे। उन दोनों ने यह बतलाया कि उनके पास ऐसी इत्तला नहीं थी और अगर गांवों में पानी चढ़ गया होता और नुकसान होता दो दिन के अन्दर भी, तो उनको इत्तला मिल जाती। और उन्होंने कहा कि हम इसकी तहकीकात करके गवर्नमेंट को इत्तला कर देंगे।

आज सवेरे जिलाधीश देवरिया ने हमको यह बतलाया कि वह खबर जो इस एडजर्नमेंट मोशन के जरिये यहां दी गयी है, सही नहीं है। यों तो हर नदी बरसात में चढ़ जाती है, बस उसी तरह का चढ़ाव या उफान नदी के अन्दर है। जब नदी चढ़ती है तो थोड़ी बहुत जमीन जरूर कट जाती है। इसके अलावा कोई असाधारण बात नहीं है। यही नहीं, उन्होंने यह भी बतलाया है कि एस०डी०ओ० उस हलके के इलाफाक से उन्हीं गांवों के अन्दर एक रोज पहले थे, यानी परसों उन्हीं गांवों में होकर आये हैं और उनके इल्म में यह है कि इस तरह का कोई पानी चढ़ा नहीं है और गांव वालों ने कोई दरख्वास्त इस किस्म की नहीं दी क्योंकि जरूरत नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---तो अनिश्चितता के कारण मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---सूचना के लिये श्रीमन्, यहां माननीय उग्रसेन सशरीर मौजूद हैं, उनसे आप मालूम कर लें।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें, यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि अनिश्चित है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री सरकारी कर्मचारियों द्वारा दी गयी सूचना से भ्रमवश कोई बात कहें . . . .

श्री अध्यक्ष---मैंने तो उसको अनिश्चित समझा, कल ही मैं इसको अनिश्चित कह सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मंत्री जी जानकारी हासिल कर के आपको सूचना दे दें, तब मैं उसके ऊपर कहूं। वह बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि इस तरह की बात नहीं हुई है।

श्री राजनारायण---बाढ़ नहीं, श्रीमन्, कटाव है।

श्री अध्यक्ष---इतना कटाव नहीं है, जिसकी वजह से खतरा पैदा हो। यह सबको अनुभव है कि हर नदी से कटाव होता है। हर नदी से बरसात में कटाव होता है, लेकिन वे कहते हैं कि यह कटाव उस तरह का नहीं है जिससे खतरा हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, जिलाधीशों ने बिल्कुल गलत खबर दी है।

श्री अध्यक्ष---यह दूसरी बात है, लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता।

प्रादेशिक सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन १०० रुपये न करने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक और कामरोको प्रस्ताव श्री राजनारायण जी ने यह दिया है कल। माननीय माल मंत्री ने अपने प्रश्नोत्तर में स्वीकार किया कि १०० रुपये माहवार सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने में जो अतिरिक्त रुपया लगेगा उसका दो तिहाई केंद्रीय सरकार देगी और केंद्रीय सरकार द्वारा दो-तिहाई की अतिरिक्त रकम देने के निर्णय के बाद भी राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को कम से कम १०० रुपये मासिक देने की नीति को कार्यान्वित न करने से जो परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है उसके ऊपर विचार करने के लिये वे कह रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इस विषय पर अगर उनको विचार करना हो तो नियम ४२ में स्पष्ट दिया हुआ है कि कोई महत्वपूर्ण विषय जिस के ऊपर प्रश्न पूछे जायं अगर माननीय सदस्य चाहें कि उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिये तो आध घंटे का वाद-विवाद हो सकता है। यह विषय इतने महत्व का नहीं हो सकता और कोई तात्कालिक भी नहीं है अभी हाल में ही पैदा नहीं हुआ है। यह तो महीनों पूर्व की करेस्पांडेंस होगी और इसके विषय में माननीय सदस्यों को जिक्र करने का राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय मौका भी मिला था। अगर कल कोई प्रश्न पूछा जाय और उस से कोई शंका उठती है तो उसके ऊपर आप आध घंटे के वादविवाद की मांग कर सकते हैं। वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता।

लखनऊ के छात्रों द्वारा कौंसिल हाउस के सामने प्रदर्शन के समय बन्दूकधारी पुलिस की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--श्री राजनारायण का और भी एक कामरोको प्रस्ताव है, कल जो प्रदर्शन हुआ विद्यार्थियों का और उसमें जो पुलिस ने इन्तजाम किया उस सम्बन्ध में। यह रोज की शासन व्यवस्था के सम्बन्ध में है, कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं है। इसलिये इसकी भी मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--जरा हम लोगों के ऊपर जो बीती उसको तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। आप व्यवस्था के बारे में टीका कर रहे हैं।

श्री राजनारायण--यह केवल विद्यार्थियों का सवाल नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा कर बैठें।

इलाहाबाद जिले में गंगा-यमुना की बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय कल्याण चन्द मोहिले जी का एक कामरोको प्रस्ताव है कि इलाहाबाद जिले में गंगा-यमुना नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से भयानक खतरा पैदा हो गया है जिसके फलस्वरूप बहुत से गांव तथा नगर के मकान धराशायी हो गये हैं और बहुत-सी जान माल को हानि होने की आशंका है। भीषण स्थिति पैदा होने के कारण सदन आज का कार्य उस स्थिति को विचार करने हेतु स्थगित करता है।

कितनी हानि हुई, यह कहां से सूचना आयी, आदि के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। मैं समझता हूं अखबार की खबर होगी और करीब-करीब सभी लोगों ने उसको पढ़ा होगा कि इलाहाबाद और बनारस में डेन्जर प्वाइंट को गंगा पार कर गयी है। उसी के आधार पर मैं समझता हूं यह दिया है। आजकल रोज पानी बरस रहा है, तो हर जगह इस तरह की बाढ़ के संबंध में अखबारों में आयेगा। इसलिये इतने महत्व का विषय वह नहीं हो जाता। बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में, नुकसान को बचाने के सम्बन्ध में हर साल जिस तरह से चर्चा होती है वह एक आम चर्चा होना दूसरी बात है। लेकिन एक-एक जगह के लिये, जहां कहीं बाढ़ आ जाय उसके लिये काम रोको प्रस्ताव नहीं आ सकता जब तक कि उससे एक असाधारण परिस्थिति किसी जगह न पैदा हो जाय। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं लेकिन माननीय मंत्री जी को अगर कुछ इलाहाबाद के सम्बन्ध में सूचना हो तो वे दे सकते हैं।

*वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)---श्रीमन्, ऐडजर्नमेंट मोशनके बाद मैंने सूचना मालूम करने की कोशिश की तो सेक्रेटेरियट में तो कोई इत्तला नहीं आई थी। लेकिन इस खयाल से कि मुमकिन है कि हमारे रेडियो आफिस में कुछ खबर आई हो, वहां से मालूम करने की कोशिश की। उनके पास यह मेसेज आया था जो कि सेक्रेटेरियट में भेजा जा रहा था कि पानी खतरे के बिन्दु तक पहुंच गया है और ४ गांव चैन में, दो गांव सोरों में और ५ गांव फूलपुर में बाढ़ आ गई है और रेस्क्यू आपरेशन्स यानी आदमियों के निकाले जाने तथा जानवरों को निकाले जाने की कार्यवाही की जा रही है और हर प्रकार की सहायता दी जा रही है। श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों को इतना और बतला देना चाहता हूं कि दस हजार रुपया जिलाधीश इलाहाबाद के पास पहले से ही मौजूद है, इस तरह की तात्कालिक कार्यवाही करने के लिये।

गोंडा में सरकारी दूकानों पर गल्ला न मिलने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---एक कामरोको प्रस्ताव श्री बलदेवसिंह जी का गोंडा के बारे में है जो इस प्रकार है कि:---

"गोंडा जिले में अन्नाभाव के संकट को दूर करने के लिये जो सरकारी दुकानें खोली गई हैं उनमें पिछले एक सप्ताह से गल्ले का अभाव हो गया है, फलस्वरूप तारीख २९-७-५८ तक सरकारी दुकानों पर गल्ला मिला ही नहीं। जिले के कोने-कोने से गरीब जनता गल्ला खरीदने आती है, उसे सरकारी दुकानों से गल्ला न मिलने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ रहा है जिससे आम जनता में व्यापक असंतोष है।

अतः जनहित की दृष्टि से उपर्युक्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिये यह सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह भी प्रश्न ऐसा है कि जिसके ऊपर कामरोको प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो सकता है, क्योंकि इस विषय पर आज ही प्रश्नोत्तर हो चुके हैं और उनके ऊपर माननीय न्याय मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य समझते हों कि जो दिक्कत हो रही है वह आध घंटे की बहस से दूर की जा सकती है तो वह ऐसी मांग कर सकते हैं, लेकिन कामरोको प्रस्ताव की मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, मेरे कहने का इतना ही मतलब है कि या तो जानकारी बतला दी जाय या आध घंटे की बहस के लिये अवसर दिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---यह यदि आप लिख कर भेजेंगे तो मैं देख लूंगा।

समाचार-पत्रों में ठीक से कार्यवाही न छपने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण के पत्र पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---कल माननीय राजनारायण जी ने समाचार-पत्रों में यहां की कार्यवाही ठीक तरह से न छपने के संबंध में शिकायत की थी। उसके बाद मैंने भी थोड़ा-सा जिक्र कर दिया था कि परसों मैंने जो फैसला दिया था वह पायनियर में सही नहीं छपा था। मैंने कल मेरे निर्णय का सही अर्थ क्या है इसका जिक्र किया था और मैं आज पायनियर को बधाई देता हूं कि आज जो स्पष्टीकरण उन्होंने मेरे फैसले के बारे में छापा है वह बहुत संक्षेप में और स्पष्ट, अच्छे शब्दों में मेरा सही फैसला छापा है।

यहां की कार्यवाही समाचार-पत्रों में ठीक से न छपने के संबंध में जो शिकायत श्री राजनारायण द्वारा की गई थी उस विषय में मैंने उनसे कहा है कि एक किसी विषय को लेकर किसी रोज काम-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रोको प्रस्ताव आये और आपका कामरोको प्रस्ताव अखबार में न छपे तो उस पर शिकायत नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आपकी पार्टी का कोई ब्लैक आउट किया जा रहा हो या जान-बूझ कर आपकी पार्टी द्वारा जितनी बहस होती है या प्रस्ताव आते हैं उनको लगातार कई रोज तक कोई अखबार न छापता हो ऐसी कोई शिकायत हो तो आक्षेप हो सकता है और यदि आप मुझे सूचना दे देते तो मैं ऐसी अवस्था में कोई कार्यवाही करता या अखबार वालों से बातचीत करता। राजनारायण जी ने कहा कि ऐसी ही बात है और उन्होंने कुछ कागजात दिये नहीं थे। उन्हें वे मेरे कमरे में छोड़ गये थे। मैं अपने कमरे से यहां चला आया और वह उनको वहां भूल गये और वह समझे कि वह मुझे दे गये। तब मैंने कहा कि अच्छी बात है। आप फिर से वे कागजात ले आइये। उस पत्र पर तो कोई कार्यवाही नहीं होगी जो कि उन्होंने कल पत्र मुझे लिखा था। यदि उनको कोई आक्षेप हो और उनके पास कोई ऐसे प्रमाण हों कि कई रोज तक लगातार उनकी पार्टी की कार्यवाही किसी अखबार ने नहीं छापी तो मुझे उदाहरणयें। तो मैं उन अखबार वालों से बातचीत कर सकता हूं। उनके कल के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जरा एक निवेदन मैं कर रहा हूं। मैं पहले ही आप से स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने निवेदन के द्वारा किसी अखबार के प्रतिनिधि के प्रति कार्यवाही करने की मांग नहीं कर रहा था, न मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जो यहां पत्रकार बैठें और यह भी हो सकता है कि यहां के पत्रकार तो भेजते हैं, लेकिन उनके पेपर की ऐसी पालिसी होती है कि वह टाल देते हों, ऐसा भी पत्रकार भाइयों ने कहा. . . .

श्री अध्यक्ष—जब आपकी शिकायत आयेगी तब कह लीजियेगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, एक व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी अखबार को यहां कोई ऐसी आज्ञा हो सकती है कि कोई अखबार किसी माननीय सदस्य का कितना भाषण छापें, कितना प्वाइंट छापे और कितना न छापे ?

श्री अध्यक्ष—मैंने यह स्पष्ट कह दिया कि अगर आप यह कहें कि किसी का भाषण छापा और मेरा क्यों नहीं छापा इसका यदि एक-आध उदाहरण दें तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई पक्षपात हुआ। मैंने यही कहा कि किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष सदस्य के भाषणों के लिये आम तौर पर ब्लैक आउट-सा हो जाय यानी कोई अखबार डेलीबरेटली वह छापता ही नहीं, ऐसा मुझे प्रमाण दें या गलत बात छाप देता है उसका यदि एक ही उदाहरण दें तो काफी है। उसमें मैं कह सकता हूं कि इस तरह से गलत मत छापो या प्रतिवाद छाप दो अगर गलत छपा है तो माननीय सदस्य स्वयं पहले प्रतिवाद के लिये अखबार को पत्र भेजें। अगर प्रतिवाद न छापें तो मेरे पास उसकी शिकायत भेजें कि इस तरह का अखबार का रवैया है, तब मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं। लेकिन एक आध भाषण न छापने पर मैं हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता। अखबार में कभी स्पेस रहती है, कभी नहीं रहती है। पूरी की पूरी कार्यवाही हर एक अखबार नहीं छापता। इसलिये अगर कुछ कार्यवाही किसी दिन छपे और कुछ नहीं छपे तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि मैं उसमें कार्यवाही नहीं करूंगा और न मुझे करनी ही चाहिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह तो पूरा विवाद आपने बाद के लिये छोड़ दिया, क्योंकि जनतंत्र की परम्परा क्या है, सदन का जब भी कोई वक्ता बोले, कोई गवर्नमेंट की प्रोपेगैंडा मशीनरी तो सदन है नहीं . . . . . .

श्री अध्यक्ष—जी नहीं पहले आप उदाहरण बतायेंगे।

श्री राजनारायण—हम उनको आज्ञा छापने के सम्बन्ध में तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उनका बैठना रोक सकते हैं। यह मैं उनको बता रहा हूं जिन्होंने प्रश्न किया।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, आपसे प्रश्न नहीं किया।

खाद्य समस्या पर विवाद के लिये समय निर्धारण की सूचना

*मुख्य मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सूचना देना चाहता हूं । विरोधी दल के माननीय नेता से मुझ से बातचीत हुई और यह तय हुआ कि ४ अगस्त को इस खाद्यान्न के सम्बन्ध में पूरा दिन प्रश्न के बाद दे दिया जाय । उस दिन के लिये जो शायद एजेंडा बना था उसमें शायद ऐसा है कि प्रश्न के बाद कुछ समय पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर वाद-विवाद हो । मेरा निवेदन है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर वादविवाद किसी दूसरे रोज रख दिया जाय ताकि इसके लिये पूरा दिन मिल जाय ।

श्री अध्यक्ष---वह दिन भी आपने निश्चय कर लिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह तो मैंने नहीं सोचा है ।

श्री अध्यक्ष---वह भी सोच कर मुझे बतला दें ।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---एक थोड़ा सा निवेदन आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से करूंगा कि खाद्य की परिस्थिति का सम्बन्ध न केवल पूर्वी अंचल से है, बल्कि पश्चिमी अंचल जो कि अन्न का गढ़ था वहां से भी भुखमरी और अन्न की कमी के प्रश्न आ रहे हैं और दक्षिणी अंचल से भी आ रहे हैं । मैं यह चाहता था कि एक दिन की डिबेट न हो कर तीन दिन की डिबेट कर दी जाय क्योंकि जीवन और मरण का प्रश्न है, अगर जनता ही नहीं रहेगी तो शासन हम किस पर करेंगे, ताकि सभी सदस्यों को अपने-अपने अंचल के अपने-अपने अनुभव और सुझाव देने का मौका मिले । नहीं तो एक दिन में केवल नेता ही बोल कर रह जायेंगे । बैक बेंचर्स और दूसरे सदस्यों को मौका ही नहीं मिलेगा । जहां पहाड़ी क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है उनके लिये आज तक मौका नहीं मिला कि यहां पर कुछ बहस की जा सके ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें । मतलब यह है कि विरोधी दल के नेता और नेता सदन ने मिलकर जो तय किया है वह तो एक रोज का है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---हम लोगों की राय नहीं ली गई ।

श्री अध्यक्ष---अब आपका सुझाव उनके सामने आ गया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, यह जो खाद्य समस्या पर विवाद के लिये एक दिन रखा गया है उस सम्बन्ध में एक निवेदन मुझे भी करना है । ३ दिन अधिक हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दो दिन का समय उसके लिये हो तो ज्यादा अच्छा है । वह इसलिये कि खाद्य समस्या के सम्बन्ध में राजनीतिक पार्टियों की तो तीव्र भावना और बहुत मतभेद है ही सरकारी खयालों में और विरोधीदल के खयालों में, किन्तु इसके अलावा जनता में भी तीव्र भावना है । इतनी महत्वपूर्ण समस्या के सम्बन्ध में एक दिन का विवाद पर्याप्त नहीं होगा । इसलिये यह भी अगर सदन के नेता कृपा कर मान लें कि एक दिन के बजाय २ दिन रख दिये जायं, पहली और ४ तारीख नियुक्त कर दी जायं तो उनकी बड़ी कृपा होगी । मैं समझता हूं कि विरोधी दल के नेता भी मेरे सुझाव से सहमत होंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---जिस दिन माननीय मुख्य मंत्री से बातचीत की, मैं समझता हूं उस दिन भी यही संकेत रहा कि बहस १ या २ दिन जो भी तय हो । तो हम यह समझते हैं कि करीब-करीब सभी लोग इसको मानते हैं कि एक दिन का समय इसके लिये बहुत ही अपर्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष---आपने अपना केस कमजोर कर दिया है । आपने कहा कि एक या दो रोज हो सकते हैं । तो दोनों नेताओं ने तय कर दिया है कि एक दिन का समय हो ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजनारायण--इसलिये मैं कह रहा हूं कि एक दिन का समय बहुत ही कम है। इस सम्बन्ध में एक दिन का समय वादविवाद] के लिये बांध देना बहुत ही कम है और जैसा कि अन्य लोगों ने कहा २ दिन का समय इसके लिये दिया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, पालीवाल जी ने जो सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं भी चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कृपाकर २ दिन का समय निर्धारित करें। ३ दिन अधिक हो सकते हैं और सम्भवतः अन्य कार्यों के लिये समय कम पड़ जाय, लेकिन २ दिन यदि मंजूर हो जायेंगे तो हम लोग सन्तुष्ट हो जायेंगे। इस समस्या पर प्रकाश भी पड़ जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि पालीवाल जी का सुझाव स्वीकार कर लिया जाय।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अध्यक्ष महोदय, यों तो मैं इस निश्चित मत का हूं कि एक दिन इस बहस के लिये बिलकुल काफी है, क्योंकि जो महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर बहस हुई है उसमें भी ३ दिन का समय खाद्य समस्या के ऊपर ही लगा है। मेरा ऐसा विश्वास भी है कि शायद ही कोई नई चीज हो जो कही जा सके। वैसे तो हर एक सदस्य अपने-अपने जिले की बात कह सकता है और करीब-करीब प्रत्येक व्यक्ति शायद वही बात दोहराये जो पहले कही जा चुकी हैं अभी मेरे पास विरोधी दल के नेता ने कहलाया है कि चूंकि और सब लोग इस बात का आग्रह करते हैं कि २ दिन का समय दिया जाय तो इसको मान लेना चाहिये। ऐसी अवस्था में फिर भी मैं यह विश्वास रखते हुये कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा, मैं उनके अनुरोध को मान लेता हूं और यह चाहता हूं कि १।। दिन इसके लिये दिया जाय और दूसरे दिन आधे समय पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करने की बात हो। वह भी उस दिन समाप्त कर दी जाय। उसी दिन दोनों बहस समाप्त कर दी जायं।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--मेरा एक सुझाव है कि दूसरे दिन ५ बजे के बाद दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हो जाय।

श्री अध्यक्ष--आपको यहां की कार्यवाही का स्वयं अनुभव है। जब समय बढ़ाना होता है तो तत्काल आप प्रस्ताव कर देते हैं और समय बढ़ जाता है सदन की मर्जी से। तो पहले से यह सब तय करने की जरूरत नहीं है। दो रोज इसके लिये हैं और उसमें यह सब हो जायगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--तो इसके लिये डेढ़ दिन न कह कर दो दिन कहा जाय।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। डेढ़ दिन इसके लिये और दो दिन कुल के लिये। आप दो घंटे का समय किसी दिन भी बढ़वा सकते हैं। यह तो उन्होंने सदन के ऊपर छोड़ दिया। उनकी तरफ से दो दिन की इजाजत है।

श्री राजनारायण--तारीख के बारे में भी निश्चित हो जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि जब ४ तारीख को बहस शुरू होगी तो ५ को पब्लिक सर्विस कमीशन और यह बहस दोनों समाप्त हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--तो यह ठीक है।

श्री राजनारायण--एक शंका रह गई कि चार तारीख पब्लिक सर्विस कमीशन के लिये रखी गयी थी और उसको हम केवल दो घंटे के लिये ले रहे हैं। तो क्या अगर उस पर अधिक समय लगे तो क्या वह दूसरे दिन भी चलेगी ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं। ४ तारीख को खाद्य की बहस शुरू होगी और उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन की बहस होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजनारायण—तो उसके लिये दो ही घंटे मिले ।

श्री अध्यक्ष—जी हां । उस के लिये दो ही घंटे का समय था । पूरे दिन का समय उसके लिये नहीं था । तो यह तय हुआ । अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी ।

आगरा जिले के भारा बांध में दरार पड़ने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—श्रीमन्, कल जो मैंने कामरोको प्रस्ताव दिया था उसके संबंध में प्रार्थना भी थी और मुख्य मंत्री जी ने वचन भी दिया था कि वे वहां की स्थिति के बारे में अपनी पूरी जानकारी सदन को बतलायेंगे । मैं चाहता हूं कि विवाद शुरू होने के पहले माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी जानकारी उस संबंध में यहां दें ।

*वित्त मन्त्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को बतलाया था, आगरे में २४ इंच औसत वर्षा होती है साल भर में, लेकिन पिछले १० दिन में वहां २० इंच वर्षा हुई और पड़ोस के इलाके में, राजस्थान में भी ऐसी ही भीषण वर्षा हुई । उसका नतीजा यह हुआ कि उटंगन और किवर नाम की दो नदियों में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया और वाराह या भारा नाम का जो एक बांध है जगनेर के इलाके में उसमें काफी पानी आया और वहां के गांवों में, खैरागढ़ तहसील के १० गावों में, २६, २७ जुलाई को पानी भर गया । ९ गांवों में पानी चारों तरफ से घिरा हुआ है । २५,००० आदमियों पर इसका असर पड़ रहा है और १०,७०० एकड़ जमीन की फसल पर इसका असर है । वहां सहायता कार्य हो रहा है, लेकिन इससे पहले मैं बांध के बारे में बतलाना चाहता हूं । उसमें २३ फीट पानी की सीमा रखी गयी थी कि इसमें इतना पानी आ सकता है, यह इतना पानी बरदाश्त कर सकता है, लेकिन उसमें २८ फीट पानी आ गया है और जो स्केप बने हुये थे वे ज्यादा पानी को ड्रेन नहीं कर सके और एक स्लुइस गेट भी बना हुआ था लेकिन उन्होंने कुछ काम किया और बाद में उन्होंने काम करना छोड़ दिया और फिर बाद में बड़ी इमदाद मंगा कर उस फाटक को तोड़ा गया या खोला गया और अब बांध से जो पानी निकला और नदियों से जो पानी आया और बाहरी और मुकामी बारिश जो हुई उस सब से इतना नुकसान पहुंचा है जो मैंने अभी अर्ज किया । लेकिन २७ तारीख की शाम को पानी घटना शुरू हो गया । यह २६ और २७ तारीख की स्थिति है । जैसा मैंने अर्ज किया सहायता का काम हो रहा है । कलेक्टर ने २८ तारीख को वहां से तार दिया था, २९ तारीख को वह हमारे पास आया । जितना रुपया उन्होंने मांगा था वह भेज दिया गया है । एक हजार फ्लड आपरेशन्स के लिये, ढाई हजार ग्रेचुट्स रिलीफ के लिये, ३,५०० रुपया मकान बनाने के लिये अनुदान देने के लिये, और ३० हजार रुपया तकावी के लिये दिया गया है । कलेक्टर ने लिखा है कि वे टेलीग्राम भेज रहे हैं, तफसील बाद में लिखेंगे ।

२९ तारीख को उन्होंने दूसरा टेलीग्राम दिया जो हमें कल मिला । अब उन्होंने यह लिखा है कि राजस्थान में भरतपुर जिले के अधिकारियों ने अपने अजान बांध को खोल दिया है—(टूटा नहीं है, जैसा कि उनके लिखने से ज्ञात होता है)—तथा खलवान बांध राजस्थान में टूट गया है, इसकी वजह से डाबर और तेरह मोरी बांध के इलाके के ४१ ग्राम प्रभावित हुये हैं । इनमें से १६ अधिक प्रभावित हुये हैं । ३० हजार की आबादी एफेक्टेड हुई है । लेकिन उन्होंने लिखा है कि इन दोनों इलाकों में किसी आदमी या जानवर की जान जाया नहीं हुई है । कलेक्टर की यह इत्तला है । यहां भी सहायता का काम किया जा रहा है । उसके लिये उन्होंने १ हजार फ्लड रिलीफ के लिये, चार हजार ग्रेचुट्स रिलीफ के लिये, ३,५०० हाउस बिल्डिंग सहायता के लिये, और ३० हजार रुपया तकावी के लिये मांगा था । वह भी बजरिये टेलीग्राम उसी वक्त भेज दिया गया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज सवेरे हमने टेलीफोन पर सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उनसे कान्टेक्ट नहीं हो पाया । टेलीफोन लाइन इन-आर्डर नहीं है, जैसा जिलाधीश कहेंगे, वैसी कार्यवाही की जायगी ।

*उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल सदन के उठने के पहले, प्रस्तुत अंतरिम जिला परिषद् विधेयक पर, जो विरोधीदल को संदेह है, उसका जिक्र करते हुये, अपने जिले के बारे में चर्चा कर रहा था । और जिलों में चाहे जो भी हालत रही हो, मैं नहीं कह सकता कि वहां के जिलाधीशों ने इस अध्यादेश को किस तरीके से देखा, परन्तु मैं अपने जिले शाहजहांपुर के बारे में कह सकता हूं । वहां के जिलाधीश ने इसको एक इनायत और बरकत समझी ।

श्री अध्यक्ष—श्री सुरथ बहादुर शाह जी आप स्वयं पंखा ठीक न करें, आप मुझ से कह दें, मैं उसको ठीक करा दूंगा । इसके लिये दूसरे आदमी मौजूद हैं । मैं सदस्यों से नहीं चाहूंगा कि बीच-बीच में वे ऐसा कार्य करें ।

श्री देवनारायण भारतीय—ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों उसके पास कोई दूसरा कार्य ही नहीं था और वे इस चीज की प्रतीक्षा में ही बैठे हुये थे कि यह अध्यादेश जारी होगा तथा उनको जिला बोर्ड के कार्यक्षेत्र पर अधिकार मिलेगा । मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सदन को विदित करा देना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के जिलाधीश ने इस अध्यादेश के जारी हो जाने के पश्चात् जिले के नार्मल के चुनाव में, अध्यापकों के सालाना इन्तजाम में, तथा और दूसरे उम्मीदवारों के चुनाव में न तो वहां के पार्लियामेंट के किसी सदस्य की सहमति प्राप्त की, न वहां के किसी विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य की सहमति प्राप्त की और न जिला बोर्ड से अन्तरिम जिला परिषद् में आये हुये सदस्यों से ही परामर्श लिया । केवल अपनी तानाशाही से उसने पिछले दो तीन महीने में अध्यादेश जारी होने के पश्चात् जितना भी प्रबन्ध है, उसने किया है । इस परिस्थिति में इस अध्यादेश को विधिवत् बनाकर, आज यह अधिनियम इस सदन के सामने उपस्थित है ।

आज मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि यह जिला परिषद् विधेयक अन्तरिम है । मुझे स्मरण है कि फरवरी में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विधेयक हमारे सामने आया तो मैंने स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि चाहे आप चार महीने के बजाय ६ महीने ले लें, साल भर लें ले, लेकिन जब भी आप लायें तो पूर्ण सुधार करके, संशोधित करके पूरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विधेयक लावें, जिससे एक विकेन्द्रीकरण का भाव आपकी ओर से हम देख सकें । लेकिन आज इतने समय के बाद भी, ६ महीने बीत जाने के बाद भी जो विधेयक सदन के सामने उपस्थित है वह अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक ही है ।

माननीय मंत्री जी ने कल सदन को यह बतलाया कि वे आगामी मार्च, अप्रैल तक पूर्ण जिला परिषद् विधेयक सदन के सामने ले भी आयेंगे और उसके मातहत चुनाव भी करा लेंगे । मैं श्रीमन्, अत्यन्त नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उनके इस कथन पर सन्देह है । मैं समझता हूं कि यह अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक पास हो जाने के बाद इतनी जल्दी इसको पूर्ण जिला परिषद् विधेयक में बदला नहीं जायगा । यह अन्तरिम विधेयक सन् १९५९–६० की सीमा पार करके सम्भव है, सन् १९६२ के बाद तक चलता रहे । ऐसा सन्देह हम लोगों का है और ऐसे सन्देह के वातावरण में इस विधेयक का समर्थन करने के लिये हम किसी भी दशा में तैयार नहीं हैं । कल सरकारी पक्ष की ओर से जिन सदस्यों के भाषण हुये, उन्होंने अपनी ओर से ये बातें कहीं कि क्यों उन्होंने मई में चुनाव नहीं कराया, इसकी प्रार्थना विरोधी दल की ओर से की गयी थी और विरोधी दल की प्रार्थना को सरकार ने स्वीकार कर लिया, विरोधी दल को इसके लिये उसका कृतज्ञ होना चाहिये । मैं श्रीमन्, इस बारे में कहना चाहता हूं कि विरोधी

*२४ जुलाई, १९५८ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री देवनारायण भारतीय]

दल के किसी दल ने भले ही इस बात की प्रार्थना सरकार से की हो कि यह चुनाव मई में न कराया जावे, लेकिन जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सम्बन्ध है, मैं इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझते हुये सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी मार्च में, अप्रैल में, और मई में, जल्दी से जल्दी जितना जल्दी चुनाव हो सके और उसका होना सम्भव हो, चुनाव कराया जाय, इसके पक्ष में थी ।

हमारे माननीय नेता राजनारायण सिंह जी ने जो अपने भाषण में कहा था, आपकी आज्ञा से मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं । "हम तो चाहते हैं कि जनतांत्रिक प्रणाली और पद्धति का विकास हो, हम तो चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो, हम तो चाहते हैं कि नये रक्त का संचार हो, हम तो चाहते हैं कि मई के बजाय जल्दी से जल्दी चुनाव करा सकें । हमारे लिये मई, मार्च और अप्रैल का कोई सवाल नहीं है । मगर श्रीमन्, जब मैं इस बात को कहता हूं तो कुछ लोग सोचते होंगे कि वे ज्यादा इधर उधर की बातें ही कह गये और शायद हमारे विभाग में कोई नक्शा नहीं है ।" मैंने जो उद्धरण माननीय राजनारायण जी का दिया उससे यह बात स्पष्ट है कि जो सोशलिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के उस चुनाव को जो सन् १९४८ में हुये थे और जिनको हुये १० वर्ष बीत चुके थे उनको खत्म करके उनकी जगह नये चुनाव कराना चाहती थी । लेकिन यह बात जो सरकारी पक्ष की ओर से कही गयी कि उसके लिये हमें कृतज्ञ होना चाहिये तो कृतज्ञ वे लोग हों जिन्होंने सरकार से प्रार्थना की हो अथवा सरकारी पक्ष कृतज्ञ हो जो इस चुनाव को टालते रह कर कांग्रेस की प्रतिष्ठा को, जो अब मृतप्राय हो चुकी है, जीवित रखना चाहता है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९४८ में जब चुनाव हुये थे उस समय से उनको उत्तरोत्तर टालते रहना, १० वर्ष तक कोई भी ऐसा विधेयक सदन के सामने न लाना जिससे चुनाव जल्दी हो सके और पुराना कानून खत्म हो, ये सारी बातें इस बात का प्रमाण हैं कि सरकारी पक्ष यह चाहता था कि कांग्रेस के हाथ में जो शक्ति सन् १९४८ के चुनाव के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के द्वारा आ गयी थी वह बनी रहे और उसके आधार पर जितनी अधिक देर तक वह सत्ता का उपभोग कर सकें करते रहें, असली कारण यही था । इसके लिये कृतज्ञ होना चाहिये सरकारी पक्ष को जिसने विरोधी पक्ष की आड़ लेकर उस चुनाव को गर्मी के कारण टाल दिया ।

जहां तक गर्मी का प्रश्न है, मैं बतलाना चाहता हूं कि सन् १९४८ का चुनाव भी अप्रैल, १९४८ के अन्तिम सप्ताह में हुआ था और यह चुनाव भी मई के प्रथम सप्ताह में होने वाला था । गर्मी उस चुनाव को नहीं रोक सकती थी, लेकिन वास्तविक कारण यह था कि सरकार उस चुनाव को कराना ही नहीं चाहती थी, उसको टालना चाहती थी । यही कारण है जिससे हमें सन्देह है कि जो पूर्ण जिला परिषद् विधेयक है उसे माननीय मंत्री जी हमारे सामने लायेंगे भी अथवा नहीं और अगर लायेंगे भी तो उसके मातहत वे चुनाव कब तक करायेंगे ।

मान्यवर, जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ का प्रश्न है, मैं सदन के सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं । और भी माननीय सदस्यों ने, जो मुझ से पहले बोले हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को स्वराज्य की छाया कहा है । परन्तु मैं उससे भी आगे एक दूसरा शब्द प्रयोग करना चाहता हूं कि वह स्वराज्य का धोखा था । मांटेग्यु चेम्सफोर्ड रिफार्म्स के बाद पहले सन् १९०८ में मार्ले मिन्टो रिफार्म के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की रचना हमारे प्रान्त में हुई । उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के सदस्य मनोनीत होते थे, और जिलाधीश चेयरमैन होता था लेकिन मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफार्म्स के बाद जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के कुछ अधिकार बढ़ाये गये उसके लिये भी मैं यही कह सकता हूं कि उस समय की जो जनक्रान्ति थी उसके तूफान को शान्त करने के लिये यह स्वराज्य का धोखा दिया गया था और उत्तेजित जनता को बहकाने के लिये यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट सन् १९२२ में बनाया गया था ।

मैं इस बात को कुछ गर्व के साथ कह सकता हूं कि सन् १९२२ के पश्चात् सन् १९२५, १९२८, १९३१ और १९३५ में जितने भी चुनाव हुये उन सब में मैं शुरू से आखिर तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सदस्य निर्वाचित होता रहा और मुझे इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का व्यावहारिक रूप से काफी तजुर्बा

है। मैं अपने तजुर्बे पर यही कह सकता हूं कि यह केवल भुलावा था स्वराज्य का और इसके द्वारा जिन लोगों के अन्दर राष्ट्रीयता के भाव जाग्रत हो रहे थे उनको इस ओर भुलावा, बहकावा, देकर भटकाने की कोशिश की गयी थी। मुझे यह भी गर्व प्राप्त है कि श्रीमान् की अध्यक्षता में उस समय की सरकार ने सन् १९३८ में जो एक कमेटी बनायी थी उसका भी मैं एक सदस्य था। और मैं यह भी आज कह सकता हूं कि उस कमेटी के जो सुझाव हैं उनको इस अध्यादेश को बनाते हुये अथवा इस विधेयक को बनाते हुये ध्यान में नहीं रखा गया। एक माननीय सदस्य ने कल यह बतलाया था कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट के सिद्धान्त के अनुसार जो एक चुनाव प्रणाली का समर्थन खेर कमेटी ने किया था, उसका भी इस विधेयक में ध्यान नहीं रखा गया है और बहुमत के द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव की बात इस विधेयक के द्वारा होनी बतलायी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट इतनी सड़ी, गली और गंदी चीज थी कि वह जितनी जल्दी नाश होती उसके लिये हम तैयार थे। समय के बाहर उसको केवल इस-लिये जीवित रखा गया कि जिससे हमारी सत्ताधारी पार्टी अपनी सत्ता को कायम रख सके और इस टालन के लिये उसे कृतज्ञ होना चाहिये न कि विरोधी दल को।

मान्यवर, मंत्री जी ने कल कहा था कि वह विकेन्द्रीकरण की ओर पहला कदम उठा रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। अगला जिला परिषद् विधेयक जो सदन में वह लाने को हैं, मैं उनसे कहूंगा कि उसको लाते समय, उसका ड्राफ्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो विकेन्द्रीकरण हो, वास्तविक विकेन्द्रीकरण हो। कल मंत्री जी ने कहा जिस प्रकार केन्द्र में पार्लियामेंट होती है और उसका मंत्रिमंडल है, जिस प्रकार प्रान्त में विधान सभा है और उसका मंत्रिमंडल है, जिस प्रकार हमारे ग्रामों में ग्राम पंचायतें हैं और उनका एक प्रधान है उसी प्रकार वह जिले में एक जिला परिषद् बनाना चाहते हैं और उसको पूर्ण अधिकार देना चाहते हैं, जहां तक कि जिले के प्रबन्ध का सवाल है। मैं उनके इस विचार की प्रशंसा करता हूं और उनको बधाई देता हूं, लेकिन मैं फिर अपनी आशंका और भय प्रकट करता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि उस विधेयक के आते समय तक मंत्री जी विकेन्द्रीकरण की बात को भूल जायं और जो सत्ता प्रान्त से हट करके जिलों में जाने वाली है उसको फिर कहीं प्रान्त में ही न रोक लें, क्योंकि मैं समझता हूं उन्हें डर है कि प्रान्त की सत्ता दिनों दिन क्षीण होती जा रही है।

श्री अध्यक्ष--आप इसी विधेयक पर कायम रहें। किसी अन्य बात की कल्पना करके उसकी टीका न करिये।

श्री देवनारायण भारतीय--जैसी आज्ञा। कल श्रीमन्, यह जिक्र किया गया कि प्लानिंग कमेटीज कांग्रेस कमेटीज हैं। सरकारी पक्ष की ओर से इसके उत्तर में यह कहा गया कि अगर वह कांग्रेस कमेटीज हैं तो इसलिये हैं कि प्रान्त में कांग्रेस की सत्ता है और उसका स्वाभाविक प्रतिबिम्ब जिलों में पड़ना चाहिये था और इसलिये कांग्रेस का मताधिक्य है। परन्तु श्रीमन्, मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि प्लानिंग कमेटी में ९,१० मनोनीत सदस्यों को स्थान न दिया गया होता तो अधिकांश जिलों की प्लानिंग कमेटी में अथवा अंतरिम जिला परिषद् में कांग्रेस का बहुमत न होता। लेकिन मनोनीत करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार ने अपने हाथ में रखा है और जिलाधीश को भी दिया। जिसका परिणाम यह है कि वह काफी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर चुके हैं जिनसे जिला प्लानिंग कमेटी में कांग्रेस वालों का मताधिक्य हो गया है। और अब आगे चल कर वही प्लानिंग कमेटी के सब सदस्य जिला परिषद् के सदस्य हो जायेंगे लिहाजा उनका मत कांग्रेस मतों के साथ जायगा, परन्तु मैं यह कहता हूं कि यदि मनोनीत होने की बात न होती तो अधिकांश जिलों में कांग्रेस का मताधिक्य न होता। जहां तक कि शाहजहांपुर का सम्बन्ध है मैं कहूंगा कि बावजूद इन मनोनीत सदस्यों के भी वहां पर कांग्रेस को कार्यकारिणी में एक सीट भी नहीं मिलेगी।

मैं बहुत नम्रता के साथ कहता हूं कि जहां तक अध्यक्ष का प्रश्न है, इस विधेयक में अध्यक्ष जिलाधीश को बनाया गया है। माननीय दुबे जी ने कल इस बात का सरकारी पक्ष की ओर से खंडन किया। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकारी पार्टी के सदस्य होते हुये भी स्पष्टतया

[श्री देवनारायण भारतीय]

अपने हृदय की बात कहने का साहस किया और सच्ची बात कहना सीखा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिलाधीश को अध्यक्ष बनाना सर्वथा जनतांत्रिक प्रणाली के विपरीत है। सरकार या तो उपाध्यक्ष को ही उस जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाती और यदि उसे यह स्वीकार नहीं था तो जिला परिषद् को ही अधिकार देती कि वह अपने में से ही जिसे योग्य समझे उसे चुन ले। यह इससे कहीं अधिक श्रेयस्कर बात होती। लेकिन जिला अधिकारी को जो जिले में सर्वेसर्वा है उसको अध्यक्ष बनाने का परिणाम बुरा होगा। नौकरशाही का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे जिलाधीश हो या नीचे का या ऊपर का व्यक्ति हो, उन सब की केवल एक नीति रहती है और वह एक ही बात जानते हैं कि अपने से नीचे के लोगों पर गुर्राना और अपने से ऊपर के नौकर को सलाम करना। इन बातों के अतिरिक्त नौकरशाही का सदस्य दूसरी बात नहीं जानता। उदाहरण के रूप में मैं बताऊं कि इसी मास की ११ तारीख को जो जिला अन्तरिम परिषद् की बैठक हमारे यहां हुई...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं यह अप्रासंगिक हो रहा है, जिला परिषद् की बैठक के अन्दर की बात यदि आप यहां लाते हैं तो उसका इस बहस से ताल्लुक न होगा।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं श्रीमन्, जिस बात का जिक्र कर रहा था वह केवल उदाहरण की बात थी, बहस नहीं थी, परन्तु यदि आप की आज्ञा है तो वह शिरोधार्य है। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि जिले के एक वयोवृद्ध पुराने कांग्रेसी सदस्य हैं, उन्होंने कहीं यह आक्षेप कर दिया कि आप जो अंग्रेजी भाषा में बोल रहे हैं इसको हममें से अधिकांश नहीं समझ पा रहे हैं। उसके उत्तर में प्लानिंग अधिकारी ने उसी वक्त कहा कि नहीं समझते तो सदन से बाहर चले जाइये या चुप बैठे रहिये। मैं इस चीज को दुख के साथ सदन के सामने रख रहा हूं, मुझे इसके कहने में कुछ हर्ष नहीं हो रहा है, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता था कि यह व्यवहार अधिकारी वर्ग का है और वे विरोध को तो किसी तरह से सहन कर ही नहीं सकते, उन्होंने कभी जनतांत्रिक सभाओं में भाग नहीं लिया, वह दूसरों के बहस मुबाहिसे को सुनना गवारा नहीं करते। इसलिये मेरा निवेदन है कि जिलाधीश को जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाने का अर्थ यह होगा कि जो सदस्य होंगे या तो वह जिलाधीश से लड़ने को तैयार हों अथवा उनके मुंह पर तालाबन्दी हो जाय कि वह बोल ही न सके। इसलिये मैं जिला परिषद् का अध्यक्ष जिलाधीश को बनाने की बात का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप संक्षेप में बोलिये क्योंकि अभी और लोगों को भी बोलना है।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं श्रीमन्, थोड़ा ही समय लूंगा। एक बात कल माननीय मंत्रीजी ने सदन को बताई थी कि सेक्रेटरी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रहेगा और जिला प्लानिंग आफिसर भी रहेगा, यह दो व्यक्ति बड़ा वेतन पाने वाले, एक ही सभा के २ स्तम्भ होंगे और दोनों बड़ा बड़ा वेतन पायेंगे। मैं इसका भी विरोध करता हूं। मेरा निवेदन है कि इन दो में से आप चाहे प्लानिंग आफिसर को मंत्री रखें और चाहे जो अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी थे उनको उसका मंत्री रखें। दोनों को रक्खेंगे और दोनों में कार्य विभाजन कर देंगे, इससे जिले में एक ऐसी दुविधात्मक नीति पैदा होगी जिससे वहां का काम ठीक ढंग से नहीं चल सकेगा। इसके अलावा हमारे कोष का धन दो बड़े अधिकारियों पर अनावश्यक व्यय होगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि उन दो में से एक ही रखा जाय, दो को न रखा जाय।

जहां तक जिले के अधिकारियों के सदस्य होने का सवाल है, मैंने श्रीमन्, इस पर भी विचार किया। माननीय त्रिलोकी सिंह इस बात के पक्ष में थे कि या तो वे रखे ही न जायं और अगर रखे जायं तो उनको मताधिकार हो। मुझे इससे विरोध है। मैं चाहता हूं कि उनको मताधिकार न हो, वे अंतरिम परिषद् के सदस्य हों या आने वाली जिला परिषद् के सदस्य भले ही हों। अगर कोई सदस्य किसी बात का जवाब मांगे तो वह सदन में उपस्थित हों, उसका जवाब दें, अपनी नीति का स्पष्टीकरण करें। इसके लिये वे उस परिषद् के सदस्य तो रहें, मैं इसका स्वागत

करता हूं कि सरकार ने उन सभी जिले के अधिकारियों को उस जिला परिषद् में सम्मिलित कर दिया है। मुझे प्लानिंग कमेटी का अनुभव है कि अधिकांश अधिकारी उनमें से वहां उपस्थित नहीं होते। वह इस बात से डरते हैं कि वहां पर हम जायेंगे तो हमसे जवाब तलब होगा, इसलिये वह आते ही नहीं हैं। मैं श्रीमन्, यह उचित समझूंगा कि यह आवश्यक कर दिया जावे कि प्रत्येक जिले का अधिकारी जिस दिन जिला परिषद् की मीटिंग हो उस दिन अपने सारे काम छोड़ करके, चाहे वह जिला परिषद् की मीटिंग छुट्टी के दिन ही क्यों न हो, जरूर वहां जाय। अगर छुट्टी न हो तो कचहरियां सब बन्द रहें और प्रत्येक अधिकारी परिषद् में उपस्थित हो ताकि उसके सामने जो विषय उपस्थित हो उसका वह स्पष्टीकरण कर सके। इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि उसमें अधिकारी वर्ग हो और उसको सम्मति देने का अधिकार न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सदन भी उसी दृष्टि से इस विधेयक पर विचार करेगा जो मैंने सदन के सामने रखने का प्रयत्न किया है।

गृह मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, मेरा कोई इरादा इस बहस में हिस्सा लेने का नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा समझता था कि (व्यवधान)। हम नहीं बोलेंगे तो प्रकाश कैसे मिलेगा, आप अंधेरे में पड़े हुये हैं। जो प्रश्न उठाये गये हैं उनका उत्तर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री दे लेंगे पर कुछ थोड़ी सी बहस कल सुनी और आज भी भारतीय जी का भाषण मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन के सम्मुख कुछ अपने विचार रखूं।

श्री भारतीय जी सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं और उसी की ओर से विधान सभा के सदस्य हैं। सोशलिस्ट पार्टी जनतंत्र का बड़ा दावा करती है और हर मामले पर, आवश्यक हो, अनावश्यक हो, जरूरत हो, न हो, दाहिने, बायें जनतंत्र का नारा बुलन्द करती रहती है। अगर कार्य स्थगन का प्रस्ताव आता है तो सबकी बुनियाद जनतंत्र की रक्षा का दावा ही होता है। पर मेरी ऐसी धारणा है कि जनतंत्र की यह बुनियाद रही है कि मतभेद हो, परस्पर मतों की अभिव्यक्ति हो, एक दूसरे अपने मतों को प्रकट करें, पर मत प्रकट करते हुये किसी की नीयत पर आक्षेप न किया जाय। यदि नीयत पर आक्षेप शुरू हो जायगा तो जनतंत्र की हत्या मूल से ही हो जाती है। यह स्वीकार करके ही जनतंत्र चल सकता है कि किसी सवाल पर भिन्न मत हो सकते हैं और जो राय जिसकी होगी वह उसकी पुख्ता राय है और समझबूझ और ईमानदारी की राय है। और भिन्न होते हुये भी अपनी राय एक दूसरे के सामने प्रकट करें, विचार-विमर्श करें, बहस मुबाहिसा करें और "वादे वादे जायते तत्वबोधः" कहीं किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचे। यदि आरम्भ से ही बहस शुरू हो जाय कि तुम्हारी सारी नीयत बेईमानी से भरी है, तुम्हारी बदनीयती रही है, तुमने जानबूझ कर यह नीति इस कारण से अख्तियार की, तो मैं समझता हूं कि जनतंत्र की हत्या हो जायगी। मुझे खेद है कि जनतंत्र का इतना नारा उठाने वाली सोशलिस्ट पार्टी जब किसी विषय को उठाती है तो उसका आधार नीयत पर आक्षेप होता है। हमारे भारतीय जी का सारा भाषण शुरू से आखिर तक, जब से मैं सुन रहा हूं, सरकार की नीति पर आक्षेप करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मार्च में चुनाव करा रहे थे, नहीं कराये। फिर मई में चुनाव करा रहे थे, नहीं कराये। सरकार की नीति यह है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स पर अपना आधिपत्य जमाये रहे। खैर, मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि उन पुरानी बातों को उभारने से कोई फायदा नहीं। अब परिस्थिति बदल गयी है। अब परिस्थिति यह है कि पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग किये जा चुके हैं और राज्यपाल महोदय के अध्यादेश के द्वारा अन्तरिम जिला परिषदें बनायी जा चुकी हैं और नियम के अनुसार जब कोई अध्यादेश जारी किया जाय तो जो पहला अधिवेशन हो विधान मंडल का उसमें उसे बिल के रूप में ले आना चाहिये। वह अध्यादेश जारी हुआ और अब एक अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक के रूप में हमारे आदरणीय सदन के सम्मुख विचार करने के लिये प्रस्तुत है। पुरानी बातों में यदि आपको कभी कोई बदनीयती दिखायी देती रही हो तो मुबारक हो आपको इस भावना को कि इधर जितने बैठे हुये हैं सब बेईमान हैं। परन्तु अब वह परिस्थिति रही नहीं। उन बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जो प्रश्न सम्मुख है उस पर विचार करना चाहिये।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

जहां तक मैं जानता हूं ये जो परिषद् आये वह विरोधी दल के लोगों की राय से आये।

(व्यवधान)

मैं समझता यह हूं कि यदि आप धैर्यपूर्वक सुनते रहें तो बड़ी कृपा होगी। यह भी जनतंत्र की हत्या ही है कि कोई आदमी बोलता हो तो बोलने न दीजिये। आपकी बात मैं चुपचाप बैठ कर सुन रहा था।

तो मैं, मान्यवर, यह निवेदन कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भंग किये जायं कि न भंग किये जायं, चुनाव के बारे में दो रायें थीं कि मई में चुनाव करा दिया जाय या अगले जाड़े में हो। इस पर माननीय नेता सदन ने बहुतों से विचार मश्विरा किया। यह खुली हुई बात है और अन्ततः यह निश्चित हुआ कि मई में चुनाव तो हो नहीं सकता पर जो जिला बोर्ड्स इस समय हैं जिनकी उम्र १०–१२ वर्ष के करीब हो गयी है इनको तुरन्त भंग कर दिया जाय और उसी राय के मुताबिक जिला बोर्ड भंग किये गये। मुझे स्मरण है कि जब जिला बोर्ड भंग करने की बात हुई थी तो माननीय नेता सदन ने, मुख्य मंत्री ने इसी सदन में एक वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य में जो बातें उन्होंने कही थीं उन्हीं के आधार पर अध्यादेश निकला और उसी के आधार पर आया हुआ यह बिल है। मेरे सामने उस समय की प्रोसीडिंग मौजूद है, ३ अप्रैल, १९५८ की। उसमें माननीय मुख्य मंत्री के वक्तव्य की कुछ लाइनें आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं:—

"डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आयु, जिसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जानकारी के लिये बताता हूं कि ३० जून को खत्म होती है और उनके न रहने पर जो नये डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का कानून है उसको बनाने में कुछ देर लगेगी। हमारा विचार है कि जुलाई का जो सदन हो, उसकी जो बैठक हो उसमें बड़े-बड़े शहरों की म्युनिसिपैलिटियों के सम्बन्ध में जो कारपोरेशन वाला बिल है वह आ जाय और इस बीच में हम डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वाला बना लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का कानून आ जाय, आपके दोनों सदनों से पास हो जाय तो चुनाव हो जायगा। लेकिन सवाल है कि इस बीच में क्या होगा। इसके लिये हमने निश्चय किया है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में रहेगा। उनको सलाह देने के लिये जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हैं वह रहेंगी और इसके अलावा जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं वे अपने में से ५ सदस्य चुन लेंगे। तो प्लानिंग कमेटी और पांच सदस्य मौजूदा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से चुने हुये दोनों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सलाह देंगे। इस सम्बन्ध में मुझे विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने यह सुझाव दिया कि जो पांच सदस्यों का चुनाव है यह प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के तरीके से हो तो अच्छा है। इसको हमने स्वीकार कर लिया है कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेन्टेशन के तरीके पर पांच सदस्यों का चुनाव हो और मैं आशा करता हूं कि यह जो प्रबन्ध है इंटेरिम यह भी अधिकांश माननीय सदस्यों को—यदि सबको नहीं—स्वीकार होगा।"

यह स्टेटमेन्ट माननीय नेता सदन ने दिया था अप्रैल में जब कि इस पर विचार हुआ था और उसी के अनुसार कार्यवाही हुई, अध्यादेश निकला और आज यह बिल आपके सामने है। अब यह एक अंतरिम बिल है। मेरी समझ में अब तक यह नहीं आया कि इस पर अत्यधिक विवाद की आवश्यकता क्या है? एक बहुत थोड़े दिन के लिये प्रबंध हुआ है। जब अंतरिम प्रबंध होता है तो उसकी व्यवस्था भी अंतरिम होती है और जो बिल पेश है उसका जीवन बहुत कम होगा जैसे कि अंतरिम जिला परिषदों की आयु बहुत कम है। मुझे स्मरण आ रहा है कि अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किसी प्रश्न के उत्तर में या बहस के दौरान में यह कहा था कि हमारा इरादा यह है कि जनवरी या फरवरी में चुनाव करा दें। अब उनका यह वक्तव्य है और ८–९ महीनों की बात है। इस बिल के लाने की आवश्यकता न होती यदि कानून में यह आवश्यकता नहीं होती कि जो अध्यादेश निकले तो विधान सभा के बैठने पर पेश किया जाय, जैसा कि यह बिल है। यह बिल बहुत थोड़े दिन के लिये आया है। इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, इसकी छानबीन की जाय या इसमें नीयत देखी जाय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी।

जिला परिषद् चल रहे हैं, किस तरह से संगठन होगा, इसका रूप किसी से छिपा हुआ नहीं है। वह आदरणीय सदन के सामने आया था और उसी आधार पर इसकी रूपरेखा बनाई गई है जो आधार सदन के सम्मुख कई महीने पहले उपस्थित किया जा चुका है।

एक दो प्रश्न और इस सम्बन्ध में उठाये जाते हैं और वह यह हैं कि जैसा माननीय भारतीय जी कह रहे थे कि जिला मैजिस्ट्रेट को क्यों अधिकार दिये गये हैं और नौकरशाही के काम करने के ढंग पर आक्षेप था और उनकी नीयत पर भी आक्षेप था। इसका उत्तर देने के लिये तो मैं खड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सदन के सम्मुख यह घोषणा हो चुकी थी कि थोड़े दिनों के लिये जिला परिषदों का प्रबंध डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में रहे। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है।

आज भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चेयरमैन होता था वह प्लानिंग कमेटी का उपाध्यक्ष रहता है। यह एक अंतरिम व्यवस्था है। अगली जो व्यवस्था होगी उसमें क्या व्यवस्था सामने आती है, उस पर विचार करने का आपको अवसर होगा और आपको अधिकार होगा। उस समय आप समझें कि कोई ऐसा आफीशियल चेयरमैन बनाया जा रहा है जो सिद्धांत के प्रतिकूल है तो आप उसका विरोध करें और अगर आप किसी नान-आफीशियल को बनाना चाहें तो वैसी राय दें। आज तो बना बनाया संगठन तोड़कर अगले चुनाव होने तक कोई प्रबंध करने की आवश्यकता है। इसलिये इसके सिवाय और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सम्मुख कहा था और मैं देखता हूं कि इसमें कोई सम्मान का प्रश्न उठाया जाता है तो वह उठता भी नहीं है। प्लानिंग कमेटी में हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन उपाध्यक्ष का काम करते थे। यह जिला परिषद् केवल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का काम नहीं कर रहे हैं। यह सारी प्लानिंग कमेटी का भी काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का भी काम करेंगे यानी इनका दुहरा काम है। जिस तरह से प्लानिंग कमेटी का काम हो रहा है, होता रहेगा और सरकारी अनुदान भी मिलते रहेंगे और जिला बोर्ड की आमदनी की देखरेख भी यह करेंगे। इस समय सिवाय इसके और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती थी कि अंतरिम बोर्ड बना दिया जाय और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में अधिकार दे दें, उनको सलाह देने के लिये, उनको मश्विरा देने के लिये प्लानिंग कमेटी में हमारे एम० एल०एज० हैं, एम० एल०सीज० हैं।

इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधि हैं। सब की राय से, सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट और प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनाव हो जाय और प्लानिंग कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दोनों का काम करें। इसमें कोई प्रश्न ऐसा नहीं था जो हमारे प्रदेश में न होता रहा हो। कार्पोरेशन बनाने के लिये म्युनिसिपैलिटियों को भंग किया गया। कारपोरेशन बिल आपके सामने आने वाला है। यहां आपने यह तय किया बोर्ड तोड़े जांय और अगले बोर्ड के लिये नया कानून बनाया गया। बीच के लिये छोटा-सा प्रबंध किया गया जिसमें कोई नवीनता नहीं। फिर इसका विरोध करने का क्या कारण हो सकता है यह मेरे लिये समझना कठिन हो रहा है।

एक बात और निवेदन कर दूं। जो कुछ भी इधर से पेश किया जाय उसका विरोध कर दिया जाय और विरोध चाहे सकारण हो या अकारण, चाहे आवश्यक हो अथवा अनावश्यक, विरोध किया जाय, अगर यह नीति हो तो विवाद करें और अगर नहीं है तो सिवा इसके और कोई उचित मार्ग नहीं हो सकता कि एक जाब्ते का बिल है। अध्यादेश के आधार पर आया हुआ है। अध्यादेश निकला है उस नीति के अनुसार जिसकी यहां घोषणा हो चुकी है जिसमें प्रायः सब का मत था कि तत्काल बोर्ड को तोड़ दिया जाय। अब जाब्ते का बिल सामने है जिसे स्वीकार करना है जिसकी बहुत थोड़े दिन की अवधि है, छः महीने, आठ महीने, इससे ज्यादा नहीं। इस बिल को स्वीकार करें ताकि आगे की कार्यवाही कर सकें। जैसे ही यह स्वीकार होगा वैसे ही जो स्थायी विधेयक जिला परिषद् का होगा वह सदन के सम्मुख आयेगा। और आगे चूंकि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री यह घोषणा कर चुके हैं १९५९ के आरम्भ के ही महीनों में हम चुनाव कराने का इरादा रखते हैं, बहुत जल्दी ही वह बिल आपके सामने आयेगा। उसके

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

मूलभूत सिद्धांतों और उसके आकार और विस्तार पर हम बहस कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार और सम्मानित सदन की सम्मति के अनुसार उसके स्वरूप को निखार सकते हैं।

एक बात यह और है कि इस विषय में विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि एक बड़ा भारी नया प्रयोग उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है जैसे अक्सर प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुये हैं। उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य रहा है कि इस आदरणीय सदन के नेतृत्व में, जो हमारे विरोधी दल के नेता रहे हैं, जो हमारे नेता रहे हैं उन लोगों की राय से जो सदन के नेता हैं उनके परिश्रम से दूरदर्शिता से आज से नहीं कई वर्षों से प्रत्येक दिशा में जहां भी सम्भव रहा है प्रायः नये प्रयोग होते रहे हैं, चाहे भूमि सुधार का क्षेत्र रहा हो चाहे ग्राम पंचायतों का क्षेत्र रहा हो नये प्रयोग करते रहे हैं। मैं देखता हूं कि विकेन्द्रीकरण का एक नया प्रयोग होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इस विषय पर बहुत दिनों से चर्चा होती रही है। कोई इससे इनकार नहीं करता कि अधिकार और सत्ता का एक सीमा तक विकेन्द्रीकरण किये बिना आज के लोकतंत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। जिनको पिछले तीस चालीस वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके ऊपर जिस नेता का प्रभाव पड़ा, भले ही वह प्रभाव हमारे आदरणीय पालीवाल जी की दृष्टि में बहुत कम रहा हो, लेकिन जो कुछ भी रहा—"पारस परस कुधातु सुहाई", जिनके चरणों को छूकर कुछ छोटे आदमी भी ऊंचे उठ गये, उनकी विचारधारा का जिन पर प्रभाव रहा हो, वह एक सिद्धांत रहा है, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो उसमें अधिकार और सत्ता का नीचे से विकेन्द्रीकरण आवश्यक है, यदि हम अपने देश में लोकतंत्र के सच्चे स्वरूप को परिस्फुटित करना चाहते हैं। यह सात आठ वर्ष का संक्रान्ति का युग रहा है। कितनी समस्यायें हमारे सामने रही हैं, कितनी समस्यायें आज हमारे सामने हैं।

श्री अध्यक्ष—आप अपना भाषण जारी रखेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दो तीन मिनट में समाप्त कर दूंगा। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि कई समस्यायें हमारे सामने रही हैं और कितनी ही समस्यायें आज भी हमारे सामने हैं। सब से बड़ी समस्या और ऐसी समस्या जो जीवन से संबंध रखती है, शांति से सम्बन्ध में रखती है और एक रचना से सम्बन्ध रखती है ये सारी समस्यायें हमारे सामने रही हैं। इस युग में हम कितना केन्द्रीकरण करें और कितना विकेन्द्रीकरण करें यह प्रश्न विचारणीय रहा है, बड़े उच्च स्तर पर विचारणीय रहा है और अनुभवी लोगों के लिये विचारणीय रहा है फिर भी जब-जब अवसर मिला है विकेन्द्रीकरण के द्वारा हमने पावर बढ़ाई है। इसका पहला अनुभव गांव पंचायतों और आपकी गांव सभाओं में रहा है।

आज पंचायतों में प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता है कि एक लोकतांत्रिक पद्धति के ढंग से जिले जिले में जिला परिषदें स्थापित हों जिसको अधिक अधिकार हो, जिसका कार्य-क्षेत्र विस्तृत हो, जिसको अधिक साधन प्राप्त हो, जो अपने जिले की अधिक से अधिक सीमा तक स्वशासन के शासन की और वहां के लोगों के जीवन की समस्याओं को हल करे, उत्तरदायित्व उठा सकें और इस उत्तरदायित्व को उठाने का उनको अधिकार हो। इस प्रकार से एक प्रयोग उसका हम करने जा रहे हैं। इस पर केन्द्रीय सरकार की ओर से विचार हो चुका है। बलवन्त राय मेहता की सदारत में इसके लिये एक कमेटी बन चुकी है जिसने इसके ऊपर विचार किया है। हमारे प्रदेश में भी स्वतंत्र रूप से इसके ऊपर विचार हो चुका है। अब उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस तरफ से इस बात का संकेत मिलता है कि भावी जिला परिषदों को यह सदन और इस सदन के द्वारा संचालित यह सरकार एक बड़ी सीमा तक अधिकार प्रदान करने जा रही है कि वे अपने उत्तरदायित्व को उठावे और इस उत्तरदायित्व को वहन करने में हम और आप सब मिल कर उनकी सहायता करें। इतना बड़ा प्रयोग करने जा रहे हैं तो बाद को इसके लिये बिल बनेगा और वह आयेगा, आप पास करेंगे। सात, आठ महीने के बाद दूसरे अधिनियम के द्वारा सारे प्रदेश में जिला परिषदों को स्थापित करने का अवसर प्राप्त होगा।

ऐसी स्थिति में इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतना समय लगाया जाय यह कुछ उचित नहीं मालूम होता है। यह तो उसी अध्यादेश के आधार पर विधेयक आया है। यह छोटा सा विधेयक है जिसको आप समझ सकते हैं। इसको पास करने की कृपा करें और स्वशासन मंत्री को यह अवसर प्रदान करें कि वह जल्दी से इस काम को प्रारम्भ करें। इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध जनता के जीवन और भावी सन्तति से होगा। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को शीघ्रातिशीघ्र पास किया जाय और इसमें अधिक विलम्ब न करें। उनको अब अवसर प्रदान किया जाय, जिससे जनता को अपना शासन करने का सुअवसर प्राप्त हो।

श्री अध्यक्ष—अब यह बहस कब तक रहेगी। इसके लिये तीन रोज का समय था। यह कल ५ बजे सायंकाल तक समाप्त हो जाना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर उचित समझा जाय तो आज ४ बजे तक यह आम बहस समाप्त करदी जाय और इसका प्रथम वाचन समाप्त कर दिया जाय। किसी को आपत्ति है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी।)

किसी को आपत्ति नहीं है। यह ४ बजे बहस समाप्त होगी उसके बाद खंड-खंड पर विचार होगा।

(कुछ ठहर कर)

पालीवाल जी, आप अपना भाषण लंच के बाद कीजियेगा।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक के सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री और माननीय गृह मंत्री के जो भाषण हुये उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने अपने भाषण में जिस गांधीवादी और जनतंत्रीय मनोवृत्ति को प्रदर्शित किया उस के लिये मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने आपने भाषण में जो भावनायें व्यक्त कीं उनसे भी मैं अक्षरशः और पूर्णतः सहमत हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि विवाद का स्तर यह नहीं होना चाहिये कि हम अपने विरोधी या प्रतिपक्षी या अपने से भिन्न मत रखने वाले की नीयत पर हमला करें। वह किसी ओर से हो सर्वथा अनुचित है। माननीय त्रिपाठी जी और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री दोनों ही यह मानें जो की नीयत पर हमला उचित नहीं है, लेकिन नीति की आलोचना करना आवश्यक है, कर्त्तव्य है करणीय है। नीति की आलोचना और नीयत पर हमलेमें बिलकुल जमीन आसमान का अन्तर है। कृति की आलोचना की जा सकती है, नीति की आलोचना की जा सकती है। आपकी कृति और नीति के जो परिणाम होने वाले हैं और जो परिणाम हो रहे हैं उनकी आलोचना की जा सकती है और जब यह कहा जाता है जनतंत्र के नाम पर कि भिन्न मत वालों की बात को सुनना चाहिये तब मैं भी यह निवेदन कर सकता हूं आप के द्वारा उस पक्ष के साथियों से कि उनको भी इस आलोचना को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये और इस पर विचार करना चाहिये और जो कुछ भी इसमें मान्य हो, ग्राह्य हो उसको वह मानें और ग्रहण करें।

मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि पुराने जिला बोर्ड क्यों भंग किये गये। अगर कोई आपत्ति थी तो वह यह थी कि वह बहुत पहले भंग होने चाहिये थे और वह पहले भंग क्यों नहीं हुये। उनको भंग करने में इतनी देरी क्यों हुई। मुझे अन्तरिम जिला परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में भी आपत्ति नहीं है, लेकिन इस सम्बन्ध में माननीय त्रिपाठी जी ने जो बातें कहीं उनको सुन कर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरी धारणा उसके सम्बन्ध में बिलकुल दूसरी है माननीय उपाध्यक्ष जी, जहांतक मुझे याद है २६ नवम्बर, १९५७ को, तारीख के बारे में मुझ से गलती हो सकती है, किन्तु संभवतः तारीख भी सही है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विरोधी दल के नेताओं को बुलाया था और इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था और उस समय यह तय हुआ था कि इन जिला बोर्डों को भंग कर के अप्रैल तक चुनाव करा देने चाहिये उन्हीं जिला

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

बोर्डों का और वह चुनाव अधिक से अधिक दो साल के लिये होने चाहिये और इस बीच में एक विधेयक ला कर, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के अधिकारों को बढ़ाने वाला, विकेन्द्रीकरण करने वाला हो, उसको पास करा कर फिर नये चुनाव कराये जाने चाहिये। यह हमारी और उनकी बातचीत का परिणाम था। इस पर हम सब लोग सहमत थे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह जो अप्रैल में चुनाव नहीं हो पाया और जून में चुनाव कराने की जो बात आयी और जिसके लिये विरोधी दल के लोगों ने भी कहा कि मई और जून में चुनाव कराना ठीक नहीं होगा वह परिणाम था सरकार के उस कार्य का कि जो उसने अप्रैल में चुनाव न करा कर उसको मई और जून के लिये टाला और अब माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को सरकार की ओर से सदन के सामने और जनता के सामने यह सफाई देनी है कि जैसा कि तय हुआ था कि अप्रैल, १९५८ तक बोर्डों के दुबारा चुनाव वह करा लेंगे, उस कार्यवाही को वह क्यों पूरा नहीं करा सके। और उसके बाद, यह भी मुझे मालूम है, कि विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने यह कहा कि मई, जून में चुनाव नहीं होने चाहियें, शीघ्र ही नया विधेयक लाकर पूरे चुनाव शीघ्र कराने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं। जब पार्टी बेसिस पर पार्टी के नेताओं से बातचीत होती है, तब सरकार के लिये यह शोभाजनक नहीं है कि किसी पार्टी के किन्हीं सदस्यों की सलाह को मानकर उसे पार्टी के नेताओं की सलाह समझ लें। उदाहरण के लिये, कल भी और आज भी यहां जो कुछ विषय आये हैं उनके सम्बन्ध में बहुत से सरकारी दल के सदस्यों ने मुझसे कहा है कि वे सरकार से मतैक्य नहीं रखते। तो क्या इसके आधार पर मुझे अधिकार है कि मैं यह मान लूं कि माननीय मुख्य मंत्री की भी यही राय है? साधारण शिष्टाचार और नीति यह चाहती थी कि यदि सरकार ने विरोधी दल के नेताओं के कहे हुये कार्य में कोई परिवर्तन किया है तो विरोधी दल के नेताओं से परामर्श करके उनकी सम्मति लेनी चाहिये थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना और बता दूं कि मुझे मालूम है कि विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने सरकार को यह राय दी कि ये चुनाव मई-जून में नहीं होने चाहियें और कोई अन्तरिम व्यवस्था कर लेनी चाहिये। मुझसे जब लोगों ने इसके बारे में मेरी राय पूछी तो मैंने कहा कि उनको अपनी स्वतंत्र राय देने का पूरा अधिकार है लेकिन जब सरकार पार्टी की राय हमसे पूछेगी तो हम वह देंगे। मैं इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि पार्टी के नेता की हैसियत से मुझसे पूछा जाता। मैं इसका उलटा कह दूं कि मैं इस बात की सफाई दे रहा हूं कि जो दूसरी ओर से यह कहा जाता है कि विरोधी दलों से पहले इस बात के लिये पूंछ लिया गया था। मेरा कहना है कि वह मेरे दल के व्यक्तियों की राय हो सकती है, लेकिन मेरे दल की नहीं। उनकी पार्टी की हैसियत नहीं थी बल्कि व्यक्तिगत हैसियत थी। मैं तो इस बात पर भी आपत्ति न करता कि परिस्थितियों में आकर जल्दी में सरकार को अगर इन्टैरिम जिला परिषद् की स्थापना करनी पड़ी, चुनाव न कराने पड़े, तो मैं मान लूं कि थोड़े दिन के लिये जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, हमें इस व्यवस्था को बरदाश्त कर लेना चाहिये। लेकिन सवाल तो यह है कि अन्तरिम जिला परिषद् का गठन कैसे हुआ। उसका कन्स्टीट्यूशन क्या है और उसके परिणाम क्या हुये। इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। पुराने बोर्डों के बारे में भी एक शिकायत थी कि १९४८ में चुने हुये १० वर्ष तक जारी रहे। अपने में यह चीज कम बुरी नहीं थी। जनतंत्र में जनता को उसके चुनाव अधिकार से वंचित रखना अच्छी बात नहीं है सिवाय यदि कोई एमरजेन्सी हो, जैसे अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध हो या कोई और महान् संकट देश पर आ गया हो। ऐसी परिस्थिति में अल्पकाल के लिये चुनाव नहीं कराये गये होते तो समझ में आ सकता था। लेकिन यह कि सरकार नया विधेयक नहीं ला सकी इसलिये चुनाव न कराये जावें, यह बात गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। मेरा खयाल है कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री भी इसे स्वीकार करेंगे कि यह बात सरकार के लिये अच्छी और शोभाजनक नहीं थी कि अगर वे ५ साल के अन्दर नया विधेयक नहीं पास करा सके तो चुनावों को १० साल परे ले जाना उचित नहीं था। मैं कुछ अनौचित्य नहीं करूंगा यदि मैं कह दूं कि १९४८ में जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव

हुये तब मैं भी प्रादेशिक पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य था और मंत्रिमंडल का भी सदस्य था और मुझे मालूम है कि उस समय विचार था कि १९४८ के चुनाव के साल भर के अन्दर नया विधेयक लाकर १९४९-५० में नय चुनाव करा दिय जावेंगे। इस समय कहा जा रहा ह कि हम फरवरी तक नया विधेयक लाकर चुनाव करा देंगे। उस समय जो इरादा था, जो संकल्प था, जो सदिच्छा थी, उसे १० साल लग गये। अब आपत्ति यह थी कि यह कोई नहीं कह सकता कि १९५३ और १९५८ में जो चुनाव होते उनमें जनता का क्या मत होता और वह किन लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनती। संभव था कि जनता का मत १९५३ या १९५८ में बदल जाता लेकिन जनता को उन चुनावों से वंचित रखा गया।

इस समय अल्पकाल के लिये आपको विधेयक लाने की आवश्यकता थी तो दो बातों को ध्यान में रखना चाहिये था। पहली बात तो यह है कि इस अन्तरिम जिला परिषद् का गठन इस प्रकार का होना चाहिये कि जिस बात पर लोगों को आपत्ति है वह दूर हो जाय। सन् १९४८ में जनता ने एकाध जिले को छोड़कर सभी में एक ही पार्टी के लोगों को चुनकर भेजा था, तमाम जिला बोर्डों पर एक ही पार्टी का आधिपत्य था। जनता चाहती थी कि क्योंकि उसका मत बदल गया है, इसलिये दोबारा चुनाव होने चाहिये। इसकी कद्र करते हुये मंत्री जी को चाहिये था कि वह कम्पोजीशन और कम्पलैक्स अन्तरिम जिला परिषद् का बदल जाय जिस पर आपत्ति थी। मैं नीयत पर हमला न करते हुये नीति और उसके परिणामों के बारे में कुछ तथ्य और शुद्ध सत्य रखना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और जिला नियोजन समितियों से भी अधिक एक पार्टी का आधिपत्य अन्तरिम जिला बोर्डों के ऊपर कर दिया है। जितना आधिपत्य पहले नहीं था उतना अब हुआ है, जितना आधिपत्य जिला नियोजन समितियों में नहीं था, उतना अब हुआ है। यह जो परिणाम है वह सरकार की सदिच्छा और सद्भावना के विपरीत है। अब इसके नाम पर अपील की जा रही है कि जिला परिषद् के गठन को भी स्वीकार कर लेना चाहिये। मैं व्यवहार में थोड़े दिनों के लिये यह भी मान लूं और माने भी लेता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् का जो बनाव हुआ है वह रहे लेकिन यह तो होना चाहिये था कि जिस चीज के लिये परिवर्तन किया गया था उस चीज को तो बदल देना चाहिये था। ऐसा नहीं होना चाहिये था कि दवा बीमारी से भी ज्यादा भयानक सिद्ध हो जाती। आपने जो दवा की वह उस बीमारी से भी ज्यादा भयानक सिद्ध हुई और जिला अन्तरिम परिषद्, जिला नियोजन समिति और जिला बोर्ड से भी ज्यादा बुरी साबित हुई। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का जवाब चाहता हूं कि मेरा यह अनुमान सही है या गलत।

विकेंद्रीकरण की बात कही गयी। माननीय मंत्री जी इस बात को भली-भांति जानते हैं कि कम से कम इस बात में इधर के लोग भी किसी कदर उनसे पीछे नहीं हैं। हम भी इसको आवश्यक समझते हैं। यही नहीं हमें तो इस बात की शिकायत है कि सरकार ने अभी तक विकेंद्रीकरण क्यों नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक तीनों क्षेत्रों में ही विकेंद्रीकरण आवश्यक है। मैं तो उन लोगों में से हूं जो महात्मा गांधी की उस बात को मानते हैं कि सत्ता का स्रोत और केंद्र गांव होने चाहिये। आप तो केवल जिला के स्तर पर ही विकेंद्रीकरण करने जा रहे हैं। तो विकेंद्रीकरण से मैं असहमत नहीं हूं। लेकिन आपने जो विकेंद्रीकरण किया है वह किस के लिये? क्या यह विकेंद्रीकरण जनता के हित में किया गया है, क्या सत्ता जिले की जनता को सौंपी गयी है। यह तो विकेंद्रीकरण के नाम पर अधिकारीकरण कर दिया गया है, सत्ता अधिकारियों को सौंप दी गयी है। यह विकेंद्रीकरण नहीं है। इन दोनों शब्दों में परस्पर विरोध है। उदाहरण के लिये मैं दो बातें कह दूं। जिलाधीश को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन अंग्रेजी जमाने में जब कि ब्रिटिश साम्राज्यशाही का युग था, मुझे स्वयं अपना अनुभव है, उस समय एम०एल०एज० की पोजीशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ऊंची मानी जाती थी यानी एम०एल०ए० की सीट के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सीट लगती थी। एम०पीज० की प्रतिष्ठा, आदर और स्थिति कमिश्नर की प्रतिष्ठा से ऊंची समझी जाती थी। लेकिन आज एम०एल०एज० और एम० पीज०

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

जिन कमेटियों में होते हैं उनमें भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका प्रेसीडेंट बनाया जाता है। क्या आप यह विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। क्या जनता के प्रतिनिधियों का मान और सम्मान अंग्रेजी राज्य में उनके मान और सम्मान से घटा है या बढ़ा है? इसके बारे में माननीय मंत्री जी से मैं स्पष्टरूप से जानना चाहूंगा।

अब उसके गठन को देखिये। उसमें दो तिहाई सदस्य नामजद हैं और चुने हुये प्रतिनिधियों की संख्या आटे में नमक के बराबर है और यह सब आपने किया। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने यह स्पष्ट स्वीकार किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधि जो चुनकर भेजे गये हैं वे १० साल पुराने हैं, आज की जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं लेकिन उन्हीं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से आप आठ सदस्य चुनवा कर भेज देते हैं। पाँच तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से इस अध्यादेश के अनुसार चुने गये, दो को पहले ही से चुनकर भेज चुके थे और उपाध्यक्ष आपके पहले ही से थे। इसके बाद एक तमाशा और कर दिया गया। कहने को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को राइट्स दे दिये गये हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ध्यान इस बात की ओर दिला दिया गया है कि वह अगर अपने अधिकार को डेलिगेट करना चाहता है तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उसी पुराने उपाध्यक्ष को डेलिगेट कर सकता है। तो मैं फिर आपसे यह कहता हूं कि क्या यह विकेंद्रीकरण है, या अधिकारीकरण है, नौकरशाहीकरण है? हम इस पर अच्छी तरह से विचार करें और इस बात पर विचार करके माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय मुझे यह बतलावें। मैंने उनको यह संकेतमात्र में और संक्षेप में इसलिये कह दिया कि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि और भी सदस्य बोलना चाहते हैं।

एक बात मैं और साफ कर दूं कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने यह घोषणा की कि उनका यह प्रयत्न होगा कि अगले साल फरवरी में नया विधान बना कर वे नयी जिला परिषदों का चुनाव करा देंगे। मैं उन लोगों में हूं जो खासतौर पर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री की नीयत पर कतई संदेह नहीं करता, उनकी सच्चाई और उनकी सद्भावना में मेरा पूर्ण विश्वास है लेकिन बहुत लम्बे और कड़ुवे अनुभव के आधार पर मुझे इस बात में संदेह है कि अपनी पूरी सच्चाई के साथ भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ईमानदारी से कोशिश करके भी इस चुनाव को फरवरी या मार्च में करा सकेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं यह कहता हूं कि लम्बे और कड़ुवे अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं तो मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि इसी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पहले भी इसी तरह की घोषणायें की हैं। उनका क्या परिणाम हुआ है? जब माननीय मोहनलाल गौतम स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री थे तो सन् १९५३ में उन्होंने यह घोषणा की थी कि जो पाँच बड़े शहर यानी कबाल टाउन्स हैं, वहां प्रशासक मुकर्रर कर रहे हैं ताकि एक साल के अन्दर उनका शासन ठीक करके साल भर के बाद नगर निगम बना कर उनका चुनाव करा दिया जाय। यह घोषणा सन् १९५३-५४ में हुई थी और आज सन् १९५८ है और सन् १९५९ से पहले वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री भी यह नहीं कर सकेंगे कि इन नगर निगमों की स्थापना करा सकें और उनके चुनाव करा सकें। इसी तरह से बाद में श्री सैयद अली जहीर स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हुए तो उन्होंने भी इसी तरह की घोषणा की कि एक साल के अन्दर ही नगर निगम विधेयक की स्थापना हो जायगी लेकिन आज तक वह नहीं हो सका। इसके बाद और आगे आ जाइये।

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को भी यह याद होगा कि यह जो नगर निगम विधेयक है जिसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था, उसने अपना काम पिछले साल के अगस्त में ही समाप्त कर लिया था लेकिन आज १२ महीने बीत जाने के बाद भी उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई। प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट दे देने के बाद १२ महीने के अन्दर इस सदन में उस पर विचार नहीं हुआ है और शायद अगस्त के आखिर में साल भर के बाद ही वह यहां सदन के सामने लाया जायगा और फिर उसका जो कुछ भी परिणाम हो। तो इस तरह की बातें होते हुये भी, इन अनुभवों के होते हुये भी माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने जो यह

घोषणा की है वह उनके हृदय की सच्ची घोषणा है, लेकिन वे इसको पूरा कर सकेंगे इस बात में मुझे बहुत गहरा संदेह है और जैसा कि मैंने फिर कहा कि सवाल नीयत का नहीं है, नीयत किसी की अच्छी हो, लेकिन उस नीयत का परिणाम बुरा हो, तो वह बुरा है। हम नीयत को अच्छा मानते हुये भी उसकी कृति और उसके परिणाम को अच्छा कहने के लिये तैयार नहीं हैं, हमें तो उसका विरोध और उसकी आलोचना करनी ही पड़ेगी। इन अन्तरिम जिला परिषदों का जो गठन हुआ है, नीति के अच्छा होते हुये भी जो गठन हुआ है उसका परिणाम अच्छा नहीं है और उसकी नीयत अच्छी नहीं है क्योंकि विकेंद्रीकरण जनता के हित में नहीं है बल्कि अधिकारियों के हित में है और वह विकेंद्रीकरण एक पार्टी के हित में है इतना तो आप मानेंगे ही माननीय स्वायत्त शासन मंत्री और विशेषकर सत्ताधारी दल के संबंध में यह बात लागू है "सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव ससपीशन" जिससे उनका विरोधी पक्ष किसी प्रकार की शंका न कर सके। जब परिणाम प्रतिकूल हों तो अगर कोई शंका करे यह कुछ ज्यादा अनुचित नहीं होगा क्योंकि शंका करने का अवसर आपने अपने अपने कार्य से दिया, उनके मन में एक भ्रम और सन्देह पैदा किया। इसलिये उस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से सोच लेना चाहिये।

और बातें जाने दीजिये। अन्तरिम जिला परिषद् के संबंध में कार्यकारिणी आपने बनाई और वह इस तरह से बनायी कि जिला नियोजन समिति और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स में जितना कांग्रेस मेजारिटी थी अन्तरिम जिला परिषद् में उससे भी ज्यादा कर दी गयी। ऐसा होते हुये भी आपने सीधे बहुमत के आधार पर उस कार्यकारिणी का चुनाव करके इस बात की व्यवस्था कर दी कि विरोधी दल का या अल्पमत का एक भी व्यक्ति कार्यकारिणी में नहीं चुना जा सके, कार्यकारिणी सेंट परसेंट एक पार्टी की हो, तो आप खयाल कर लीजिये कि यह कहां तक ठीक है। इन सब बातों के होते हुये भी मैं कभी इसका विरोध नहीं करता लेकिन इस बात का विरोध करता हूं कि उन बातों को अगर इस विधेयक में दूर किया जा सके तो माननीय स्वायत्त शासन मंत्री एक दो जो बड़ी-बड़ी खराबियां हैं उनको दूर कर दें, क्लाज-वाइज डिसक्शन में दूर कर दें। माननीय स्वायत्त शासन मंत्री मानेंगे कि सदन के वातावरण और समिति के वातावरण में बड़ा अन्तर होता है। उनको स्वयं इस बात का अनुभव है कि समिति में चाहे आपस में कितना ही तीव्र मतभेद हो जितनी आसानी से सदस्य सहमत हो सकते हैं उतनी आसानी से यहां सहमत नहीं हो सकते। यह भी स्वायत्त शासन मंत्री मानेंगे कि १०-१२ वर्ष तक चुनाव न होने से अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर सात दिन के लिये विधेयक को प्रवर समिति में भेज देने से न धरती फट जायगी, न गोमती में आग लग जायगी और न आसमान गिर जायगा। गांधी जी के कथनानुसार अपनी भावना के अनुरूप ही विचार करना चाहिये अंग्रेजी की एक कहावत है "शुड नाट लीव ए बैड टेस्ट आर बिटर टेस्ट इन दी माउथ आफ दी अपोजीशन" तो दो तीन दिन की देरी की परवाह न करके इस सुझाव को मानकर यदि आप इसको पास करेंगे उनकी सम्मति और सद्भावना से तो इसका अच्छा परिणाम निकलेगा और यदि जैसा आपने कहा कटुता का वातावरण पैदा हो गया तो सद्भावना नहीं होगी और जो बात आप कहते हैं उसके वह प्रतिकूल होगी। इन शब्दों के साथ जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी, क्योंकि ४ बजे तक इस पर विवाद होना है इसलिये समय पर नियंत्रण होगा। अतएव आपको १५ मिनट मिलेंगे।

*श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित विधेयक और कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उपस्थित किये हुए संशोधन के संबंध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के इतिहास में दो विधेयकों का वर्णन स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। एक तो लेजिस्लेशन जमींदारी के खात्मे के सम्बन्ध में था और दूसरा वह विधेयक जो आने वाला है और यह प्रस्तुत विधेयक जिसका फोररनर है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

श्रीमन्, मैंने बहुत गौर से माननीय सदस्यों के भाषण, चाहे उस ओर के हों या इस ओर के हों, सुनें, और जब मैं उनके भाषण सुन रहा था तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ--शक के कारण हो, शंकाओं के कारण हो--सरकार की नीयत पर उनकी आशंका हो, उसके कारण हों, लेकिन वह अपना भाषण देते हुए यह भूल जाते हैं कि यह विधेयक अंतरिम जिला परिषद् विधेयक है। मैं समझता हूं कि बहुत कुछ जो सरगर्मी है या बहुत सी बातें जो कही गई वह न कही जातीं अगर यह आशंका न होती कि अंतरिम केवल अंतरिम ही है और असली विधेयक शीघ्र ही आने वाला है।

श्रीमन्, हमारे विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों का यह खयाल है कि सरकार डिसेन्ट्रलाइजेशन तो करती है और कहती है कि हम कर रहे हैं लेकिन जिस तरह का डिसेन्ट्रलाइजेशन करती है वह केवल नाममात्र का होता है। मैं समझता हूं कि यह आशंका करना सरकार पर कि वह डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं करना चाहती है, उचित नहीं है। यह हो सकता है जिस तेजी से डिसेन्ट्रलाइजेशन होना चाहिये उस तेजी से न हो रहा हो और अन्य कारण शासन के चाहे जो कुछ हों, मैं तो समझता हूं यह भी एक कारण हो सकता है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन का पहले कुछ थोड़ा प्रयोग करके देख लिया जाय कि उसका प्रयोग जनता द्वारा कैसे होगा। मैं जानता हूं हम स्वतंत्र हैं, हम जानते हैं कि हम सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए प्रयत्न है यह सब जानते हुए मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि अभी हमारी जनता पूर्णरूपेण इस काबिल नहीं हुई है कि वह सत्ता को संभाल सके। आपके सामने प्रधानों का और ग्राम समाजों का उदाहरण मौजूद है।

दूसरी आपत्ति कुछ विरोधी दलों के सदस्यों को यह है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत डिसेन्ट्रलाइजेशन होता भी है, सत्ता नीचे की ओर जाती भी है तो उससे लाभ केवल कांग्रेस दल को होता है। श्रीमन्, यह बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि उसका लाभ कांग्रेस वालों को होता है। किन्तु कारण उसका वह नहीं है जो वह समझते हैं जिनके कारण उन्हें शंका है। केवल इसका एक कारण यह है कि हमारे देश में जब कुछ राजनीतिक जागृति हुई, जबकि हमारा देश गुलाम देश था, तब कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसने कुछ राजनीतिक जागृति इस देश में की और स्वतंत्रता मिलने के बाद यह स्वाभाविक था कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता जाती। इसीलिये आप यह देखेंगे कि हमारे विरोधी दल में बैठे हुए नेतागण, या सामाजिक क्षेत्र में या पोलिटिकल क्षेत्र में इस सदन के बाहर जितने भी नेतागण हैं उनकी शुरूआत कांग्रेस ही से हुई है। अभी हमें आजादी मिले हुए ८-१० साल हुए हैं और प्रदेश में जब से आज दी मिली है तब से कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है और जो हमारे माननीय नेता विरोधी दलों के उधर बैठे हैं वह भी किसी न किसी समय, या छोटे से छोटे वर्कर जो हमारे यहां हैं, उसकी शुरूआत कांग्रेस पार्टी द्वारा हुई। अतः उनका यह कहना सत्य है कि विकेन्द्रीकरण होता है तो कांग्रेस जनों को लाभ होता है। किन्तु नीयत पर हमला करना उचित नहीं है। क्योंकि नीयत यह नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी के हाथ में रहे। जब किसी स्टेट्यूटरी बाडी का कांस्टीट्यूशन होता है तो यह नहीं देखा जाता है कि किस पार्टी को लाभ होगा। वहां तो देखा यह जाता है कि जनता का हित किसमें है। अब जनता का हित देखने में, ग्रेटेस्ट गुड आफ दी ग्रेटेस्ट नम्बर, इसको देखने में, यदि किसी एक पार्टी को लाभ हो जाता है तो उससे हमको विचलित नहीं होना चाहिये।

अभी एक शाहजहांपुर के माननीय सदस्य ने कहा था कि उनके यहां अंतरिम जिला परिषद् की कार्यकारिणी में एक भी कांग्रेस का वर्कर आने वाला नहीं है। बहुत से जिले ऐसे हो सकते हैं जहां पर कांग्रेस न पहुंच पाये, बहुत से जिले ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर विरोधी दल के लोग न पहुंच पायें। तो जब किसी स्टेट्यूटरी बाडी का कांस्टीट्यूशन बनाया जाता है तब यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि किस दल को कितना लाभ पहुंचेगा।

श्रीमन्, बार बार यह कहा गया कि हमारी प्लानिंग कमेटी और पुराने जिला बोर्ड के ५ सदस्यों के होने से जो अन्तरिम जिला परिषद् है इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत हो जायगा। कांग्रेस का बहुमत बहुत सी प्लानिंग कमेटियों में था इससे हम इन्कार नहीं करते लेकिन यह जो कहा जाता है कि कितने सरकार द्वारा नामजद मेम्बर हुआ करते थे और उन्होंने यानी सरकार की पार्टी ने अपना बहुमत बना लिया है यह चीज अनुचित और गलत है। लेकिन मैं अदब से कहूंगा कि उन्होंने यह जानने की तकलीफ गवारा नहीं की कि प्लानिंग कमेटियों का कांस्टीट्यूशन क्या था, इन प्लानिंग कमेटियों में एम० पीज० होते थे, एम० एल० एज० होते थे, राज्यसभा के सदस्य होते थे, कौंसिल के सदस्य होते थे। इससे भी किसी को आपत्ति नहीं होगी कि वहां भी वह पहुंचे, इसके बाद कोई सोशल और कांस्ट्रक्टिव कार्य करने वाली कोई महिला होती थीं, इसमें भी किसी को आपत्ति न होगी, ५ सदस्य ऐसे होते थे कि जिनको सरकार नामनेट करती थी और २ सदस्यों को जिलाधीश नामनेट करते थे। इस पर आपत्ति हो सकती है लेकिन इससे तो भार और बैलेन्स होता है। समय बहुत कम है मैं वह लिस्ट पढ़ना नहीं चाहता लेकिन लिस्ट में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिससे कांग्रेस के मेम्बर का ही होना एनश्योर हो जाय। यह तो विरोधी दल का हक है और कर्त्तव्य है कि वह सरकार पर या सरकार की पार्टी पर अपना मत प्रकट करे और कोशिश करे कि सरकार उनका सुझाव मान ले, किन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और जहां कि विरोधीदल के सदस्यों के भाषणों का सम्बन्ध है उनके बारे में मैं स्वयं आश्चर्य में हूं कि यदि सरकार उनके किसी सुझाव को मानना भी चाहे तो कैसे मानें।

यहां पर बार-बार यह कहा गया कि इस विधेयक में विरोधाभास बहुत है। विरोधी दल के माननीय सदस्य इस विधेयक में विरोधाभास तो पाते हैं परन्तु माननीय विरोधी दल के सदस्य क्षमा करें यदि मैं यह कहूं कि हमें तो उनके भाषणों में ही विरोधाभास मालूम पड़ता है क्योंकि सरकार यदि उनके किसी सुझाव को मानने के लिये तैयार भी हो जाय तो उसका मानना असभंव है। विरोधी दल को इस पर आपत्ति है कि अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष जिला मैजिस्ट्रेट हो और कहा गया कि हर समय सरकार एक एलेक्टेड आदमी के ऊपर आफिशियल्स को तरजीह देती है और तमाशा यह है कि साथ ही वह यह भी कह देते हैं कि जो आफिशियल मेम्बर्स हैं उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। एक ओर तो उन्हें जिला परिषद् का अध्यक्ष डी० एम० बने इसमें एतराज है और दूसरी ओर यह भी आपत्ति है कि अफसरों को वोट देने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया यह दोनों बातें समझ में नहीं आतीं।

श्री गोविन्द सिंह जी ने कहा कि हमें इस पर बहुत ही एतराज और यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है कि परिषद् में अफसरों को कोई इस तरह का स्थान दिया जाय और यह भी कहा कि अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष जिलाधीश न रहे लेकिन उसके बाद एक ही मिनट के अन्दर उन्होंने यह भी कह दिया और सुझाव दिया कि एक्जीक्यूटिव कमेटी में गवर्नमेंट के कर्मचारी यानी आफिशियल्स रख दिये जायं।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--यह मैंने नहीं किसी और ने कहा था। इतना स्पष्टीकरण मैं किये देता हूं।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि नौकरशाही को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक ओर तो कहा जाता है कि अफसरों को वोट का अधिकार क्यों नहीं दिया गया और जब हम जिलाधीश को जिला परिषद् का अध्यक्ष बनाते हैं तो कहा जाता है कि नौकरशाही को प्रोत्साहन दिया जाता है।

यह बात भी उधर से कही गई कि हमारे जिलाधीश आटोक्रेट्स है और इतना कहने के बाद यह भी कहा गया कि शायद ये जिला मैजिस्ट्रेट कांग्रेस के चूंकि ज्यादा होंगे तो कहीं अंतरिम जिला परिषद् के उपाध्यक्षों को पावर्स डेलीगेट न कर दें। श्रीमन्, आटोक्रेट्स तो पावर्स छीना करते हैं, डेलीगेट नहीं करते। अगर जिलाधीश आटोक्रेट्स है तो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट या जनसंघ दल का हो, किसी भी उपाध्यक्ष को कोई पावर डेलीगेट करने की बात नहीं सोचेगा और अगर आटोक्रेट्स नहीं है और जानता है कि आजकल के

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

डेमोक्रैटिक वातावरण में कैसे जिलाधीश को चलना चाहिए तो यदि वह डेलीगेट करेगा भी तो उस समय करेगा जब आवश्यकता होगी और इस पर कोई विचार नहीं करेगा कि यह किस दल का है ।

अन्त में इतना अवश्य कह देना चाहता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी से मैं सहमत नहीं हूं जब उन्होंने यह कहा कि अन्तरिम व्यवस्था के लिए कोई और व्यवस्था हो ही नहीं सकती थी, उनको जिलाधीश को अध्यक्ष बनाना ही पड़ा । मैं समझता हूं कि अंतरिम व्यवस्था, चाहे दो दिन की, दो महीने की या दो साल की हो रही हो, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अध्यक्ष बनाया गया है, नान-आफिशियल को भी बनाया जा सकता था और अन्तरिम व्यवस्था में ऐसा कहने से कोई ऐसी भारी हानि नहीं होती । लेकिन फिर भी चूंकि अंतरिम व्यवस्था है, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अध्यक्ष होना माने लेता हूं । एक घूंट कड़ुवा है, उसको भी पीए लेता हूं, लेकिन आशा करता हूं कि जो माननीय मंत्री जी का आश्वासन है वह होकर रहेगा कि फरवरी या मार्च तक हमारे चुनाव हो जायंगे और अंतरिम जिला परिषद् की व्यवस्था अंतरिम ही रहेगी परमानेंट ही न बन जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष---श्री झारखंडे राय ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---महोदय, मुझको कल भी अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी थी कि अपने संशोधन पर कुछ बोल सकूंगा. . . .

श्री उपाध्यक्ष---इनके बाद आपको १० मिनट मिलेगा ।

(श्री झारखंडे राय से) आप भी १५ मिनट बोलेंगे ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि हमारे देश में विदेशियों से सत्ता-हस्तांतरण समझौतावादी और सुधारवादी तरीके से हुआ था । वह परिवर्तन क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं था । क्रान्ति प्रक्रिया की दो मुख्य चीजें हुआ करती हैं । क्रान्ति एक तरफ पुरानी मेशीनरी, पुराने यन्त्र को नष्ट करती है, विनाश करती है और दूसरी ओर उसके साथ ही साथ नये यंत्र का निर्माण भी करती है । ये दोनों प्रोसेस, प्रक्रिया, साफ-साफ क्रान्तियों में हुआ करती हैं ।

हमारा देश क्रान्ति की ज्वाला से अपने को नहीं गुजरा इसलिए हमारे यहां आज जो भी सुधार या परिवर्तन हो रहे हैं पिछले १० वर्ष में उनकी गति बहुत ही धीमी और मध्यम है । उसी का एक उदाहरण यह जिला परिषद् सबंधी परिवर्तन । क्रान्ति अगर हुई होती ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर जनता अपनी संघर्ष समितियों के द्वारा क्रान्ति के भी कार्य को और निर्माण के भी कार्य को साफ-साफ दोनों किये होती और वही समितियां बाद में सत्ता का रूप बन जातीं । लेकिन ऐसी बात नहीं हुई । बना बनाया यंत्र, बनी हुई कमेटियां, बनी बनायी नौकरशाही, सब कुछ बना बनाया हमारे आज के हुकूमत करने वालों के साथ मिला । इसलिए उसका कूड़ा-करकट, खराबियां, या कहीं उसकी योग्यताएं और जो अच्छाइयां हैं वह सब आज के हुकूमत करने वालों को उसी प्रकार मिलीं ।

इस बात का विवाद यहां हुआ कि आखिरकार ८--१० साल तक जिला बोर्डों का चुनाव क्यों नहीं हुआ ? मैं खुद भी इस बात को नहीं समझ सका कि जब हमारे देश में दो-दो बड़े निर्वाचन किये जा सकते थे तो फिर जिला स्तर पर जिलाबोर्डों का चुनाव पुराने कायदे-कानून के अनुसार ४ साल तक क्यों नहीं हो सका, इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर सरकार की ओर से आज तक, जहां तक मैं जानता हूं, नहीं मिल सका है और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विषय में जरूर स्पष्ट करें कि क्यों उनकी सरकार पिछले १० साल में चुनाव नहीं करा सकी । एक झलक मुझको उस तारीख को जरूर मिली जब माननीय मुख्य मंत्री जी के निमंत्रण पर विरोधी दलों के नेता उनके आवास स्थान पर गये थे, जहां माननीय मंत्री जी भी मौजूद थे और

वहां इस बात पर विचार-विनिमय हुआ था कि जिला बोर्डों के भविष्य के बारे में क्या किया जाय। उस समय मुझे यह झलक मिली थी कि हमारे देश की हुकूमत करने वालों के दिमाग में, ऊपर से नीचे तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, हर प्रदेश में इस बात की कोई स्पष्ट रूपरेखा उस समय तक नहीं बन सकी थी कि जिला स्तर पर किस प्रकार का प्रशासन हो। देश के हुकमरां लोगों ने अंग्रेजों से, अमरीका से अपने संविधान की नकल और प्रेरणा प्राप्त की और उनके यहां इस प्रकार की कोई स्पष्ट रूपरेखा इनको नहीं मिल सकी। आज की प्रजातंत्रीय प्रणाली को देखते हुये कैसे हुकूमत चलायी जाय, कितनी शक्ति जनता के प्रतिनिधियों को दी जाय, कितनी नौकर-शाही के हाथ में रहे, इसकी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। मुझे पूरा विश्वास है और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जिला बोर्डों का चुनाव न होने का एक कारण यह भी रहा होगा। इसको मानते हुये भी दस साल से इसका विचार होता रहे, एक असमन्जस की स्थिति बनी रहे, प्रजातंत्र का गला घुटता रहे, वादे पर वादे हों और उनका पालन न हो सके, हम समझते हैं यह योग्यता के लक्षण नहीं हैं।

आज उस वाद-विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। उस पर काफी रोशनी डाली जा चुकी है कि किस प्रकार जिला बोर्ड के चुनाव की बात तय हुई थी। विरोधी पक्ष के लोगों ने उस समय यह स्पष्ट कहा था और हमको यह विश्वास था कि अप्रैल के पहले चुनाव हो जायगा। लेकिन जब अप्रैल के पहले चुनाव नहीं हुआ और प्रान्तीय विधान परिषद् और राज्य सभा के चुनाव बीच में आये तो या तो अगर जिला बोर्ड भंग करना ही था तो उन चुनावों के पहले भंग करते या अगर नहीं भंग करना था तो फिर उनका चुनाव कराया गया होता। अगर चुनाव गरमी की वजह से नहीं कराया जा सका, तो एक बहाना मात्र है। कांग्रेस पार्टी के दिमाग में भी यह बात स्पष्ट थी कि चुनाव नहीं होना चाहिये, मंत्री जी के दिमाग में भी यह बात आ चुकी थी कि इस साल गरमी में चुनाव न हो और कुछ माननीय मेम्बर जो इस तरफ बैठते हैं वे भी न चाहते थे, कि गरमी में चुनाव हो। इस प्रकार एक बहाना मिल गया। संदेह का आधार हुआ करता है और यहां संदेह का आधार यह है कि विधान परिषद् और राज्य सभा के चुनाव के पहले बोर्ड तोड़ दिये गये होते और यदि रख गये तो जाड़े के दिनों में चुनाव कराया गया होता, अन्यथा यदि यह भी नहीं था तो निश्चित आश्वासन इस बात का होना चाहिये था कि दिसम्बर के पहले नये ऐक्ट के मुताबिक जिला परिषदों का निर्माण हर जिले में हो जायगा। चूंकि कोई चीज स्पष्ट नहीं हुई है इसी कारण इतना विवाद खड़ा हुआ।

आज जो बिल हमारे सामने आया है, जिस पर यहां विवाद हो रहा है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आज के प्रजातंत्रीय युग में किसी भी तरीके से हमारे गले के नीचे नहीं उतर सकतीं। मैं नहीं समझता कि क्यों जिलाधीश को ही उसका अध्यक्ष बनाया गया। मुझे खुद एक जिला परिषद् की मीटिंग में जाने का मौका मिला यों तो जिला परिषद् की मीटिंग केवल दो ही हो सकी हैं, लेकिन जो वातावरण वहां है उसमें जन-प्रतिनिधियों की एक गैदरिंग को एक जिलाधीश प्रेसाइड करे यह स्थिति अच्छी नहीं मालूम होती। ऐसी स्थिति में सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये थी जबकि उन्हीं की पार्टी का बहुमत जिला बोर्डों में था और यह भी निश्चित था कि दो, चार जिलों को छोड़ कर बाकी परिषदें जो बनतीं उनमें इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष भी चुने जाते। तो कोई वजह नहीं थी कि जिलाधीश को इनका अध्यक्ष बनाया जाता। मैं समझता हूं इस स्थिति का अन्त होना चाहिये।

जहां तक उपाध्यक्ष का सम्बन्ध है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि उपाध्यक्ष की स्थिति का ऊपर से थोपा जाना अच्छा नहीं मालूम होता। इसका भी चुनाव हो सकता था। जो अन्तरिम जिला परिषद् बने हैं वह उपाध्यक्ष चुन सकते थे। चाहे जो उपाध्यक्ष आज है वही चुने जाते लेकिन उनको अधिकार होता और उनके काम की एक जांच भी हो जाती कि वह कितने योग्य हैं और इन दस सालों में उन्होंने कितना काम किया है? हम इसका स्वागत करते अगर इन खामियों को दूर करके इन परिषदों को बनाया गया होता।

[श्री झारखंडेराय]

श्रीमन्, हमें सरकारी रुख में एक बुनियादी खामी दिखाई पड़ती है और आपको भी दिखाई पड़ती होगी। वह यह कि सरकार का रुख हमारे प्रति ही नहीं बल्कि उधर के बैठने वालों के प्रति एक खास किस्म का रहता है। वह यह कि लेखपालों तथा कानूनगो की रिपोर्ट का सरकार ज्यादा विश्वास करती है बनिस्बत किसी माननीय सदस्य का, चाहे वह किसी तरफ के हों। इस स्थिति का अन्त हो जाना चाहिये था, लेकिन नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि यह चीज सरकार के लिये घातक सिद्ध हो रही है और वह इस हानि को समझ नहीं पा रही है। धीरे-धीरे उसकी प्रतिष्ठा खत्म होती चली जा रही है और हम समझते हैं कि यह ऐसी खोखली बन जायगी कि कुछ दिनों के बाद उसके गिरने में एक क्षण की भी देर नहीं लगेगी।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह परिवर्तन जो वांछनीय हैं, वह कैसे होंगे। हम यहां बैठ कर राजनीतिक माहौल में कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा विश्वास हो गया है कि बहुत सी बातें जो हम यहां नहीं कर सकते हैं वह छोटी-छोटी कमेटियों में बैठकर कर सकते हैं क्योंकि वहां हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अगर माननीय उदयशंकर जी बस्ती वाले कहते हैं प्रेसीडेंट का चुनाव होना चाहिये था और जिलाधीश को यह पद नहीं मिलना चाहिये था तथा उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिये था और वह पुराने अध्यक्ष को पद नहीं मिलना चाहिये था और हम भी यही कहते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार क्यों नहीं हमारी बात मानेगी। यदि हम इस पर विचार करेंगे तो जितनी इसमें खामियां हैं उनका सुधार हो सकता है और हमें विश्वास है कि इस कमेटी की आंच से निकलने के बाद यह विधेयक जो हाउस में आयेगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगी जो इस समय है और सबको खटक रही है।

मुझे मालूम है कि यह किसी को भाता नहीं है कि जिलाधीश अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष हो और पुराने अध्यक्षों को उपाध्यक्ष का पद मिल जाय। यह स्थिति किसी को पसन्द नहीं है और जो छोटे-छोटे परिवर्तन हैं जैसे जिलाधीश को जो पावर्स दी गई हैं उनको डेलीगेट करना आदि, इनका भी सुधार होना चाहिये।

कुछ मेम्बरों ने और माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि यह तो अन्तरिम बात है और कुछ महीनों की बात है और जल्दी ही इसकी समाप्ति हो जायगी जो पूर्ण विधेयक होगा वह मुमकिन है आखिरी विधेयक हो और १०० वर्ष के लिये लागू हो वह लाया जायगा। लेकिन हमें इस पर संदेह होता है क्योंकि हम विश्वास खो चुके हैं और कोई बात नहीं है। कारपोरेशन बिल की क्या गति हुई है। जिस तरह से वायदे किये गये थे वह किन्हीं कारणों से पूरे नहीं किये गये और वही प्रशासक म्युनिसिपल बोर्ड्स को तोड़कर नियुक्त किये गये और उनकी हुकूमत आज भी चल रही है। यह स्थिति प्रदेश की जनता को असह्य हो गई है। हमें डर है कि कहीं वैसी ही हालत इसकी न हो जाय। मैं चाहूंगा कि वह गारेन्टी करें कि कब तक चुनाव करायेंगे। पिछली बार भी मैंने उनसे कहा था कि आप गारेन्टी करें कि दिसम्बर तक जिला परिषदों का चुनाव करा सकेंगे। आपने कहा कि हमारे लिये शायद यह संभव न हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो हमारे बस की न हों, सरकार के बस की न हों, लेकिन जो हमारा पुराना अनुभव है उसके कारण हमें संदेह होता है कि अन्तरिम जिला परिषद् जो हैं, अन्तरिम होते होते वर्षों न गुजर जायं और १९६२ के चुनाव के बाद उनका चुनाव हो। इसलिये हम चाहते हैं कि इसके ऊपर माननीय मंत्री जी सहानुभूति से विचार करें और हमारे प्रस्ताव को मान लें। सेलेक्ट कमेटी में बैठकर हम उस पर ठंडे दिल से विचार करें। उसमें बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। सेलेक्ट कमेटी से निकलने के बाद जिस रूप में बिल आयेगा उसे इस सदन को मानने में समय नहीं लगेगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि यह बिल ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी या इस सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

श्री शिवप्रसाद नागर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा के लिये आभार प्रकट करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

कल माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय बहुत बड़ी-बड़ी कठिनाइयों और मुश्किलों का जिक्र किया। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कहना चाहता हूं कि इस कदर रोये कि मुश्किलें आसां बन गयीं, और जिला परिषद् भी तमाशा बन गयीं। जब कल दोनों तरफ से भाषण हो रहे थे तो हमारे एक माननीय सदस्य महीलाल जी ने विरोधी दल पर खुले आम हमला किया और इस तरह से हमला किया उस हमले में उन्होंने यह साफ-साफ कह डाला कि विरोधी दल इस विधेयक को और इस अध्यादेश को अपने प्रचार का साधन बना रहा है। लेकिन बात कुछ इसके विपरीत है। बात सिर्फ यह है कि बारह साल के पुराने इस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के काले कारनामों पर काला बुरका डालने के लिये यह अध्यादेश लाया गया और उसमें कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर यह विधेयक लाया गया। इस संबंध में मैं अपने भाई माननीय ऊदल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसका पूरा पूरा पर्दाफाश किया। उन्होंने साफ कह दिया कि बारह साल तक इसका चुनाव इसलिये नहीं कराया गया कि विधान परिषद् में उनका बहुमत बना रहे। इसलिये उन्होंने चुनाव नहीं कराया। बात बिलकुल साफ है। अगर इसका चुनाव कहीं ड्यू डेट पर करा दिया गया होता तो जिस तरह से ४४ के बजाय १४४ सदस्य विधान सभा में आ गये हैं इसी तरह से विधान परिषद में जिस चेयर पर उपाध्यक्ष महोदय आप बैठे हैं—चेयर पर विरोधी दल का अध्यक्ष बैठा होता और विधान परिषद में विरोधी दल का बहुमत होता। सिर्फ इस प्रलोभन से इसका ड्यू डेट पर चुनाव नहीं कराया और रफ्ता रफ्ता टालते चले आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा एक बात और कह देना चाहता हूं। शायद वह माननीय सदस्य इस वक्त सदन में तशरीफ नहीं रखते हैं। माननीय धनुषधारी पांडेय ने बड़े जोर से बेसाख्ता और बरहना तीर छोड़े और उन्होंने निशाना ही नहीं देखा कि यह तीर कहां जायेंगे, किधर चले गये। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश में और इस विधेयक में मजदूरों का भी प्रतिनिधित्व है। मैं चुनौती देता हूं सरकारी बेंचों के सदस्यों को और माननीय मंत्रियों को कि कोई भी खंड इस विधेयक से निकाल कर दिखायें जिसमें मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिया गया हो। २(१) से २(१९) तक किसी भी धारा में कहीं भी मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं केवल धारा २(६) में निर्वाचन संबंधी थोड़ा सा प्रतिबन्ध दिया हुआ है कि हायर सेकेंड्री स्कूल के प्रिंसिपल चुने जायेंगे। इसके अतिरिक्त एक जगह २(१३) में ग्रामसभाओं के सभापतियों को, ब्लाकों से चुना जायगा। वह प्रतिनिधित्व, चुनाव होने के बाद जनता का प्रतिनिधित्व मान सकते हैं।

इसके अलावा एक जगह पर और जो कि धारा २(१४) है उसमें बताया गया है कि शुगर केन सोसाइटी के डाइरेक्टर चुनकर आयेंगे। सोसाइटी उनको चुनकर भेजेगी। इन तीन जगहों पर प्रजातंत्र की प्रणाली से इसमें प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके अलावा सब जगह पदेन सदस्य होते हैं या मनोनीति सदस्य होते हैं। इस तरह से प्रजातंत्र की स्वस्थ परम्परा का हमारे देखते देखते सदन में हनन हो रहा है। फिर उधर से यह कहा जाता है कि विरोधीदल जो कहता है वह इसलिये नहीं माना जा सकता कि उसमें मानने की बात नहीं है। अभी माननीय सुरेश प्रकाश सिंह जी ने कहा कि सरकार अगर सुझाव मानना भी चाहे तो कैसे माने क्योंकि हम विरोध करते हैं इसलिये अगर सरकार कोई बात मानना चाहे तो क्यों न माने वह जरूर माने। अगर "यार से मिलना मंजूर है तो क्या खीरी से टिकरी कुछ दूर है" अगर मानना चाहे तो मानें और न मानना चाहें तो न मानें। अगर नीयत मानने की हो तो फिर माना जाय।

एक बात हमारे माननीय सदस्य उदय शंकर जी और सुरेश प्रकाश सिंह जी ने जो यहां पर साफतौर पर कहा उसके लिये विरोधीदल उनका आभार प्रकट करता है। उन्होंने यहां पर मुंह खोलकर कहा कि डिप्टी कमिश्नर बेजा तरीके पर हमारे ऊपर लाद दिये गये हैं। अध्यक्ष, डिप्टी कमिश्नर हो और उसके बाद फिर वह सब पावर डेलीगेट करे उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि पावर डेलिगेशन

[श्री शिवप्रसाद नागर]

के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ४३ में साफ-साफ प्राविजन है। फिर यह बात साफ हो गई कि यहां पर नीयत पर शंका का कारण क्या है? अगर नीयत पर हमारी शंका है तो हमारे ऊपर यह हमला क्यों किया जाता है कि नीयत पर जो इधर से शंका है वह बेजा है। कोई भी माननीय सदस्य उधर से शंका नहीं करता है। हमको शंका है और चेतावनी के के साथ शंका है। शंका का जो कारण है वह आपने क्रियेट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को जो शंका का कारण है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह कारण इसलिये है कि जिस वक्त जिला परिषदों की बैठक हुई उस वक्त यहां से एक गोपनीय आदेश जारी कर दिया गया जो कि प्रजातांत्रिक संस्थायें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं उसमें एक विधान प्रस्तुत करता है। उस वैधानिक संशोधन के लिये वह गोपनीय आदेश जारी कर दिया गया। पता नहीं है वह क्या था। उस गोपनीय आदेश के बारे में जिला परिषदों में एक एक सदस्य ने हरएक जिले में मुंह खोलकर इस बात को कहा कि अध्यक्ष बतायें कि वह गोपनीय आदेश क्या है। मगर जिलाधीश ने यह गोपनीय आदेश नहीं बताया। आज सदन में तीन दिन से उसकी चर्चा हो रही है तो भी सदन में माननीय मंत्री जी ने उस गोपनीय आदेश को गुप्त रखा। तो फिर शंका नहीं होगी तो क्या होगा। आप अगर किसी चीज को अपनी जेब में रखें और जेब ही में खड़खड़ाते रहें तो हम जरूर शंका करेंगे कि आपकी जेब में क्या है पता नहीं कि पिस्तौल है, रिवाल्वर है या क्या है। हमें जरूर शंका रहेगी और हम जरूर नीयत पर शंका करेंगे। जब आप गोपनीय बात को सामने रख कर स्पष्ट नहीं करते तो हम शंका नहीं करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पावर डेलिगेशन के ऊपर धारा ४६ में यह साफ-साफ लिखा है कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर डेलिगेट नहीं की जा सकती तो फिर क्या कारण है कि आप पावर डेलिगेट करें? अगर आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट की धारा ४३,४१ को बिलकुल एबालिश कर दें तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिये जहां पर आप वैधीकरण करने का प्रश्न लाये हैं उस वैधीकरण से जितने मेम्बर थे उन सब को वैधानिक करार दिया गया है। उसमें एक एक मेम्बर ३,४ कांस्टीट्यूएन्सी से आया है। एम० एल० ए० की हैसियत से भी वहां सदस्य हैं, म्युनिसिपल बोर्ड का चैयरमैन होने की हैसियत से उसका सदस्य है, गांव सभा का सभापति होने की हैसियत से उसका सदस्य है, चेयरमैन टाउन एरिया की हैसियत से भी सदस्य है। एक एक मेम्बर ३,४ कांस्टीट्यूएंसी से आया है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट धारा ५/३ में यह साफ लिखा है कि कोई भी एक सदस्य कांस्टीट्यूएंसी से नहीं आ सकता। दफा ३४ में इसका ब्योरा पूरा दिया गया है। दफा ९०–९२–९४ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में भी बताया गया है, लेकिन किसी बात का कोई लिहाज नहीं किया गया और उसके बाद भी तीन तीन चार चार कांस्टीट्यूयेंसीज से एक ही सदस्य वहां प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा जो लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से किसी प्रकार का अनुदान पाते हैं, वैद्य आदि, जो किसी प्रकार की एड पाते हैं या ग्रांट पाते हैं वह सदस्य भी उसके अन्दर मौजूद हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट १९२२ धारा १२–सी०एफ धारा ३१–सी०एफ और ३४–१ के मुताबिक वह किसी प्रकार भी जिला बोर्ड के सदस्य नहीं रह सकते, लेकिन आज वह मेम्बर हैं और सिर्फ इसलिये कि वह कांग्रेस के सदस्य हैं और उनके बैठने से कांग्रेस का पल्ला भारी हो जाता है। तो इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा, शपथ के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में १५१ पन्ने पर साफ लिखा है कि "Rule of making oath or affirmation of allegiance to the Constitution of India." यह नोटिफिकेशन ८ मई १९५१ का है। आपने उसका लिहाज क्यों नहीं रखा। क्या वजह है कि सब जगह जहां प्रजातंत्र की प्रणाली है, वहां संविधान पुकार पुकार कर कहता है कि लेजिस्लेटिव असेम्बली से लेकर ग्राम सभाओं तक शपथ लेना जरूरी है, लेकिन फिर भी आपने जिला परिषदों

म शपथ का कोई प्राविजन नहीं रखा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट जब साफ साफ कह रहा है तो उसको क्यों एवायड किया गया। इसके माने हैं कि नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ होती तो कसम खा कर आप उस कुर्सी पर बैठते।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय स्वायत्त शासन मंत्री चूंकि चार बजे विवाद समाप्त होगा इसलिये आप के लिये आधे घंटे का समय है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, जो पूर्व वक्ता थे वे तो एक एक घंटे तक बोलते रहे और मुझसे आशा की जाती है कि मैं आधे घंटे में उन सबकी बातों का जवाब दे लूं। आपका आशीर्वाद अगर सही निकला तो शायद ऐसा ही हो क्योंकि वास्तव में जितने भाषण यहां हुये हैं उनके अन्दर हवा ज्यादा थी और सार बहुत कम था। इसीलिये मेरा काम बहुत आसान हो गया।

श्रीमन्, पालीवाल जी बदकिस्मती से यहां नहीं है। मैं तो समझता था कि उन्हीं के भाषण को आधार बना कर मैं सब भाइयों की बातों का जवाब दे दूंगा। सब से ज्यादा जो शिकायत मुझे मालूम हुई वह इस वजह से है कि लोगों को विश्वास नहीं है कि हम फरवरी-मार्च तक एलेक्शन करा सकेंगे। नगर निगम की बाबत कहा गया। दूसरे बहुत से उदाहरण दिये गये और पालीवाल जी ने तो जिस समय वह मिनिस्टर थे, उस समय की बात का भी हवाला दिया। मैं श्रीमन्, कोई भी वायदा अगर करता हूं तो वह इस माननीय सदन की सद्भावना, सहयोग और उसके आशीर्वाद को ले कर ही कर सकता हूं। कोई अधिकार मुझे नहीं है कि जो बिल अभी पास भी नहीं हुआ, आया भी नहीं, उस की बाबत मैं यहां यह आश्वासन दे दूं कि मैं फरवरी में एलेक्शन करा ही दूंगा। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। और यह विश्वास भी बेशक उन लोगों को नहीं कि जो बिना जाने हुये केवल नीयत पर संदेह ही नहीं करते, बल्कि निश्चयपूर्वक सोचते हैं कि हमारी नीयत बुरी मालूम होती है। उनको तो मैं विश्वास नहीं दिला सकता, ईश्वर भी उनको विश्वास दिला सकेगा इसमें मुझे संदेह है, लेकिन मैं कम से कम वह प्रयत्न भी नहीं करना चाहूंगा। हां, जहां तक कोशिश हम कर सकते हैं, कर रहे हैं और उसी के आधार पर मैंने वह बात कही थी। मुख्य मंत्री जी के आश्वासन पर यह बात कही थी। वह चाहते थे कि इसी सत्र में यह जिला परिषद् बिल आ जाय और प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। लेकिन मुझे इसमें संदेह जरूर होता है। जो रवैया मैं देख रहा हूं, जैसा कि पालीवाल जी ने कहा, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता जो काम है, उसके जो परिणाम निकलते हैं उस के ऊपर ही अपने अनुमानों को और अपनी बातों को आधारित करता हूं।

बड़ा शोर रहा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बिल को जनमत के लिये भेज दिया जाय, किसी ने कहा कि दोनों सदनों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। किसी ने एक महीना कहा, किसी ने ७ दिन कहा और एक महाशय ने कृपा करके ३ दिन ही कह दिया। यदि सचमुच में हम विधेयक के दोषों को दूर करने के लिये अपने विचारों को केंद्रित करते तो कितना ज्यादा लाभ होता।

इस विधेयक में कुल १७ क्लाज हैं, उनमें कुछ तो बिलकुल ऐसे हैं, जिनमें प्रवर समिति या सारा हाउस भी शायद इधर से उधर कुछ नहीं करना चाहे। मुश्किल से १० या ११ क्लाजेज ऐसे हैं जिनमें मतभेद हो सकता है, विचार किया जा सकता है। लेकिन श्रीमन्, इसमें हमने तीन दिन खर्च किये। किस काम के लिये? जिसके लिये यह हाउस पहले ही अपना आशीर्वाद दे चुका था, पहले ही अपनी कन्सेंट दे चुका था। मैं इस चीज को लाना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब परसों इस हाउस में आर्डिनेंस का अनुमोदन हुआ तो मैंने पीछे के रिकार्ड्स देखे और मैंने यह किताब मंगाई। जितना ही इसको मैं पढ़ता हूं उतना ही मुझे यह पता चलता है कि जो पार्टीज पहले ही अपने को कमिट कर चुकी थीं वही अब एतराज कर रही है। अभी पालीवाल जी ने कहा कि सलाह तो नेताओं से की गयी और

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

निर्णय सदस्यों से कराया गया, इसलिये वह पार्टी का निर्णय नहीं कहा जा सकता। यह मुझे बिलकुल मंजूर है। लेकिन जब वह सलाह सदस्यों से किसी प्राइवेट चेम्बर में न ली जाकर इस ओपेन हाउस में ली जाय तो उसे पार्टी की कंसेंट कहेंगे या क्या कहेंगे? जब कि उसमें नोट आफ डिसेंट भी मौजूद न हों तो मेरे विचार से तो वह प्रायः सर्वसम्मत ही हुई। और इसीलिये माननीय नेता सदन ने कहा कि वह राय प्रायः सर्वसम्मत थी, हो सकता है कि कुछ लोगों की राय उसमें न हो।

अब उसका जो खाका हमने आज लाकर रखा है कोई नई चीज उसमें हमने नहीं रखी। बल्कि उसमें कुछ अच्छी चीजें ही करने की चेष्टा की गयी है। कदम-कदम पर इस बिल को पढ़ने से यह साबित होता है कि इसमें सुधार हुआ है। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसकी सोल अथारिटी होने वाला था, लेकिन हमने इसमें अन्तरिम जिला परिषद को अथारिटी दी। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सिर्फ प्रोसाइडिंग अथारिटी ही रखा है। जहां वह समझे कि जिला परिषद् का निर्माण जनहित के विरुद्ध हुआ है तो वह उसको हमारे पास रिफरेंस कर सकता है। क्या यह रेट्रोगेटिव स्टेप कहा जा सकता है? कहा गया कि एम० पी० और एम० एल० एज० उससे नीचे बैठेंगे। हो सकता है किसी जिले में बदकिस्मती से ऐसा हुआ हो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ७ तख्तों के ऊपर बैठा हो। लेकिन फिर भी मैं उनकी किसी बात को क्वेश्चन नहीं करता। मैं तो यह समझता हूं कि जो कुछ भी माननीय सदस्य कहते हैं चाहे वे गलतफहमी से ही क्यों न कहते हों, सद्भावना से ही कहते हैं। चाहे नासमझी से ही कहते हों, लेकिन मैं समझता हूं कि वह उनकी नासमझी ईमानदारी के साथ है। लेकिन उससे क्या नतीजा निकलता है यह देखने की बात है। जब हमारी वह इज्जत नहीं करता था, जब हम सलाहकार की हैसियत से ही जाते थे, उस समय तो हमारी इज्जत खत्म नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त जिस समय इसका निर्देश यहां पर किया गया तो उस समय किसी को भी यह नहीं लगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, उस वक्त किसी ने कुछ नहीं कहा और उसके बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब यह मान लिया मैंने कि हमने नेताओं की राय नहीं ली, शायद उनकी राय नहीं थी, लेकिन जब इस माननीय सदन की एक बार कंसेन्ट हो जाती है, उसकी मुहर लग जाती है तो फिर कोई दोष नहीं है अगर हमने नेताओं की राय नहीं ली।

सोशलिस्ट पार्टी का बहुत शोर था कि हम चाहते नहीं थे कि इसको भंग किया जाय और यहां पर मैं उसी रोज की स्पीच से बतला सकता हूं कि उनकी तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि इसको तुरन्त भंग किया जाय।

एक सदस्य--किसने कहा था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--नाम मैं पढ़कर बतला सकता हूं, मेरे पास उस रोज की प्रोसीडिंग मौजूद है। जो रेकर्ड मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको पढ़ कर बतला दूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--पर्सनल एक्सप्लेनेशन का कोई प्रश्न नहीं है, आप तो इस विषय पर बोले भी नहीं। फिर निजी स्पष्टीकरण का प्रश्न कैसे उठता है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्री राजनारायण, उनको शायद आप जानते होंगे। उन्होंने कहा "इसलिये मेरा कहना है कि आज ही भंग हो ताकि लेजिस्लेटिव कौंसिल के चुनाव में वे वोट न दे पायें"।

श्री रामस्वरूप वर्मा--यह तो हम लोग बराबर ही कहते हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही ? उन्होंने कहा कि आज ही भंग हो, मैंने १० दिन के बाद भंग किया, तो इसमें क्या बात हो गयी ? इसके अलावा श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह जी हैं, उनका कहना है कि जो जिला परिषदें बनाने की घोषणा की गयी है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आज सबसे पहले वही थे जो कि विरोध करने के लिये और अनुमोदन करने के लिये खड़े हुये। भूल जाते हैं लोग कि एक मिनट में हम क्या कहते हैं और दूसरे मिनट में हम क्या कहते हैं। इसके बाद श्री मोतीलाल अवस्थी हैं, उनको भी शायद आप जानते होंगे। उनका कहना है "मेरा प्रश्न यह है कि ३० अप्रैल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भंग कर देने में माननीय मुख्य मंत्री को क्या आपत्ति है ?" यह सब बातें होने के बाद ये आपत्तियां जो आज ध्यान में लायी जा रही हैं और जो इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है, कभी भी अब तक किसी ने नहीं दिया था। इस हाउस में जनरल पालिसी के डिक्लेरेशन के बाद ऐसा रेप्रेजेंटेशन होता तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि इस बिल को इस हाउस में विचार करने के लिये प्रस्तुत करते समय मैंने निवेदन किया था कि हमारे सामने कोई चारा नहीं है कि काम चलाने के लिये उसको एकदम से बीच में हम नहीं बदल सकते हैं। थोड़ी देर के लिये अगर मान लें और यह खतरा उठा लें कि चुने हुये अध्यक्ष के हाथ में ही काम सौंप दें, लेकिन हम सर्विसेज का क्या करेंगे। यह बिलकुल एक अलग बाडी है। जो परमानेंट सर्विसेज में हैं उनको हम इस तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। सर्विसेज के अन्दर हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको रखें। या तो हमें उनको अलग करना पड़ेगा या उनकी सम्मति से हम उनका ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन सारा मसला ऐसा है जिसको कोई भी अक्लमन्द से अक्लमंद आदमी एक दिन में, दो दिन में या १० दिन में तय नहीं कर सकता है। सिर्फ इस वास्ते समय मांगा गया है कि हम बीच के समय में, संक्रमण काल में, इस आर्डिनेंस को लेकर, इस विधेयक को लेकर आये।

अब यह कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय तो क्या श्री राजनारायण जी चाहेंगे कि इस सड़ी गली लाश को जैसा कि वे इसके लिये कहते हैं, हमारी छाती पर या उनकी छाती पर पड़े रहने दिया जाय ? कहने के लिये चाहे जो कुछ भी कहा जाय बाहर की बातें मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन श्री राजनारायण जी से मैंने पूछा था इसी सदन में कि आप क्या चाहेंगे। क्या वे इस सड़ी गली लाश को साल भर तक और अपने सर पर लादना पसन्द करेंगे ? उन्होंने फरमाया कि नहीं, लेकिन बाहर बात कुछ और, यहां बात कुछ और। लोगों का खयाल है कि यह पालिटिक्स है।

तीसरी बात यह है जिस पर बड़ा जोर दिया गया कि आपने ५ आदमी तो प्रोपोर्शनल वोटिंग से सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट से लिया है ताकि हर पार्टी के प्रतिनिधि हो जायं, लेकिन कार्यकारिणी में आपने यह क्या किया। पालीवाल जी ने इस पर बड़ा जोर दिया। श्रीमन्, सब कुछ सुनने के बाद भी मेरी ईमानदारी की राय यही है कि जहां सबका मत आ सके वहां वह स्थान पालिसी मेकिंग बाडी हो सकती है, लेकिन जहां कन्सल्टेशन और रिकमेंडेशन दी जाती हैं, जहां एक्जीक्यूटिव बाडी हो, जहां डिसीजंस लेने हों, जहां यह हो कि इधर चलना है या उधर चलना है वहां पर "रिप्रेजेंटेशन आफ डिफरेंट व्यूज" नहीं हो सकता। खयाल कीजिय थोड़ी देर के लिय हमारी केबिनट में श्री राजनारायण जी होते, इस पार्टी से गेंदासिंह जी होते, एक जनसंघ की तरफ से होते तो इस कैबिनेट का क्या हाल होता। जहन्नुम में जाती या न जाती, लेकिन इस प्रदेश का क्या हाल होता ? क्या हम लोग उस दिन को भूल सकते हैं जब सेंटर के अन्दर इसी तरह से दो पार्टीज का गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का। एक डिपार्टमेंट एक आर्डर निकालता था और दूसरा मिनिस्टर का दूसरा डिपार्टमेंट पहले आर्डर के खिलाफ आर्डर निकालता था। जिस तरह से परिणामस्वरूप आदमी मरे और खत्म हुए वह इतिहास में दोहराना नहीं चाहता हूं—आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति हो जायगी अगर एक आदमी के दो तीन हेंड हो जायं। एक दो मील इधर चले और दूसरा दो मील उधर चले। मैं उस स्थिति की कल्पना नहीं कर

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

सकता। आज भला बुरा जो कुछ है एक तो है। मैं कहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी को इस देश का प्रबन्ध दे दिया जाय तो भी अच्छा होगा बनिस्बत इसके कि दो-तीन आदमी सोशलिस्ट पार्टी की छाती पर रख दिये जायं और वह भला बुरा जो कुछ करना चाहे न कर सके। इस लिये जो कुछ भी कहा गया हो मेरा अब भी यही खयाल है कि जिम्मेदारी एक ही बाडी पर होनी चाहिये। जिससे एक्सप्लेनेशन काल कर सकें, जिसको जिम्मेदार ठहरा सकें। अगर जिम्मेदारी न मेरी, न आपकी और न किसी दूसरे की तो सिवा इसके कि काम सफर करेगा और परिणाम न निकलेगा, कोई भी आदमी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होगा। गलती मानना किसे पसन्द है, गाली खाना किसे पसन्द है और कोई भी आदमी चाहे कितना ही अच्छा हो उससे गलती होगी नहीं यह कोई वायदा नहीं कर सकता, न कोई इसके लिये आश्वासन ही दे सकता है। तो फिर कौन गलती मानेगा, कौन जिम्मेदारी उठाना चाहेगा? लिहाजा उनकी यह बात मेरे दिमाग में अभी तक बैठी नहीं है। अगर लोग यह समझते हैं कि क्यामत तक इस जगह पर कांग्रेस को ही बैठना है, यह काम्प्लीमेंट अगर विरोधी दल हमको देना चाहता है तो मैं गुनहगार जरूर हूं कि मैंने एक ही पार्टी को इसमें रखा है और जो सरकार है उसी को रखा है, लेकिन यह बिल जो हम आगे के लिये बनाने जा रहे हैं, या नगर निगम बनाने जा रहे हैं, ईश्वर करे यह प्रदेश किसी तरह से ठीक से चलता रहे, वे सैकड़ों साल तक चलते रहेंगे, उनमें सुधार होंगे, उनमें इजाफा होगा, लेकिन ढांचा यही बना रहेगा। कम से कम मेरे दिमाग में कभी यह बात आई नहीं कि अपने हाथ में या एक पार्टी के हाथ में ताकत रखने के लिये यह प्राविजन मैंने रखा है। केवल सच्चाई यही है जिसकी जिम्मेदारी हो, जो यहां से बजट पास करे या जो अनुदान दे, जो कि कुछ रुपये दे, कुछ कंडीशन्स के साथ दे उसका यह फर्ज होना चाहिये कि जिस व्यक्ति को वह रुपया दे वहां पर उसका हाथ रहे, वह देख सके कि ठीक से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। साल भर बाद कहे कि हमने रुपया दिया था साहब काम नहीं हुआ। यह कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। इससे हम केन्द्रीय सरकार को संतुष्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नियोजन का सारा काम केन्द्रित है। और जब नियोजन का काम विकेन्द्रित करते हैं तो उसी हद तक कर सकते हैं जहां तक कि हमको उसमें औप्शन हो। लेकिन जहां उस काम के अन्दर कुछ मजबूरियां हैं, वह हमारी भी हैं। हम भी चाहते हैं कि ऐसा न करके ऐसा कर दिया जाय। लेकिन प्लानिंग कमीशन देश का खाका अपने सामने रखते हुए उनको नहीं मानता। हम उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं, कभी कभी दोष भी देते हैं, चाहे अक्ल से चाहे बेअक्ल से। लेकिन जिसके ऊपर आखिरी जिम्मेदारी है उसके आगे सिर झुकाना पड़ता है। जैसे हमें झुकना पड़ता है वैसे ही उस दर्जे तक जहां तक हम और आप बेबस हैं वहां तक जिला बोर्डों को भी उसको स्वीकार करना पड़ेगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक उनका पैसा वहां तक उनकी राय चले, जहां तक कोई शिकायत नहीं देखते हैं वहां तक काम करें। तो यह खाका रखा गया है। इस खाके में कहीं भी यह खयाल नहीं रखा गया इस पार्टी का या उस पार्टी का। शिकायतें हुई हैं कि फलानी जगह यह हुआ, उस जगह पर यह हुआ।

मुझे तो खुशी हुई, एक काम्प्लीमेंट मिला कि ५१ जिलों में से मुश्किल से ३ या ४ जिलों के भाई कोई खास शिकायत बता सके। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि कार्यकारिणी में हम लोग नहीं आ सके। मेरा तो खयाल है कि उसके लिये उन्हें खुश होना चाहिये कि मेजोरिटी हो दूसरे की कार्यकारिणी में। उन पर उसकी जिम्मेदारी पड़ जाय। अच्छा है जिम्मेदारी दूसरे पर रहे, लेकिन मान लीजिये अगर शिकायतें हैं, ४, ५ जिलों में, और भी कुछ शिकायतें हैं तो श्रीमन्, यह कोई वायदा कर सकता है कि जो पापूलेरिली एलेक्टेड बाडीज होंगी उनमें यह शिकायतें नहीं होंगी? मुश्किल से एक साल हुआ है म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव कराये हुए और आज शिकायतें हैं कि फलानी जगह रुपया खा लिया, फलानी जगह बजट पास नहीं होता, फलानी जगह एक आदमी को डिसमिस कर दिया बिना कारण

बताये और दूसरी जगह उसको ऐप्वाइन्ट कर लिया ऊंची तनख्वाह पर, शिकायत है कि डेढ़-डेढ़ साल तक क्वालीफाइड इंजीनियर्स को नहीं रखा जाता है, ऐसी जगह स्कूल खोल दिये १, १ फर्लांग पर, अनक्वालीफाइड आदमियों को टीचर्स रख लिया। मेरे पास क्या यह शिकायतें नहीं हैं? उसकी वजह से आगे जो प्रोग्राम हम प्रयोग करने जा रहे हैं इसे हम दूषित कह देंगे। कौन इस बात का वायदा कर सकता है कि डी० एम० गलती नहीं करेगा। हम लोग जो लाख, डेढ़ लाख आदमियों द्वारा चुने गये हैं। गारेंटी ले सकते हैं कि गलती नहीं करेंगे? और इस सदन के अन्दर नहीं करेंगे? एक या दो उदाहरण को लेकर सारी क्लास को बदनाम कर देना, अगर मैं बहुत ही जिम्मेदारी का शब्द इस्तेमाल करूं, जिम्मेदारी का काम नहीं है और अगर इजाजत हो तो कह सकता हूं कि समझदारी का काम भी नहीं है। लेकिन नीयत पर मैं किसी को आक्षेप नहीं करता।

एक शिकायत बार-बार और की गई जो सबसे बाद में माननीय सदस्य बोले कि न मालूम आपकी पीकेट में क्या था तमंचा था, रुपये थे या छुरा था, क्या था वह एक बड़ा मासूम, बेकसूर, निर्दोष जी० ओ० था जिसमें सिर्फ यह सिपारिश की गई थी लोगों से कि आफिसर्स नियोजन समिति में हों। अब आगे जो विधेयक आने वाला है उसमें अभी हम सोच रहे हैं कि उनको मेम्बर रखें या न रखें और उन्हें वोटिंग का अधिकार दें या न दें, लेकिन हमारा ऐसा विचार है कि उनका वोट देना तो अधिक जनहित में न होगा। ऐसी अवस्था में हम चाहेंगे कि हम उस अधिकार का प्रयोग न करें कि वह वोट को एक्सरसाइज न करें, लेकिन इस समय हम सिर्फ सलाह दे सकते थे। अगर हम इस बीच को पहले से फोरसी कर लिये होते तो हम इसे आर्डिनेंस में रख देते, लेकिन उसमें तो हमने यही रखा है कि वह सभी सदस्य जो प्लानिंग कमेटी के सदस्य होंगे वे सब इप्सो-फेक्टो परिषद् के सदस्य हो सकेंगे और इस तरह से उनको कानूनी और कांस्टीटयूशनली तरीके से हमने एक दर्जे पर रखा। उस के बाद जो हमने और कुछ बातें डिसकवर कीं उनके बारे में जो कुछ मेक्जिमम हम कर सकते थे वह हमने किया। इस बीच में जरा जरा सी बात के लिये हम कोई दूसरा आर्डिनेन्स तो ला नहीं सकते थे सिवा इसके कि हम उनसे प्रार्थना करें या उनको सलाह दें और सिवा दो-एक स्थानों के जैसा कि यहां माननीय सदस्यों ने बताया, सभी जगह हमारी प्रार्थना और सलाह को माना जाता है, उस की कद्र होती है और उसके मुताबिक वहां काम होता है। सिवा दो एक जिलों के जैसे बिल्ली चूहों को खिलाती है, कुछ मजाक सा हो जाता है कि हम सीक्रेट बैलट से चाहते हैं और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख भी किया। हम किसी से कहते नहीं कि वोट दें या न दें, हम उन को रोक भी नहीं सकते थे। अब जैसे ही हमें इस सदन में आने का मौका मिला हमने प्राविजन कर दिया कि वह अब वोट न दे सकेंगे। जहां पर यह आजादी थी उन लोगों को वहां गवर्नमेंट ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकती थी कि सरकार अलग अलग जी० ओज० मुखतलिफ जिलों में भेजती। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जैसे सभी स्टेट्स के लिये एक ही जी० ओ० जाते हैं चाहे वहां मिनिस्ट्री कांग्रेस की हो या किसी और दल की हो। वह सोच समझ कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करके काम करते हैं। प्राविजन था कि वह पावर डेलीगेट कर सकते हैं। क्या इसमें कोई शिकायत कर सकता है? वह उपाध्यक्ष रहे हैं, अगर वह काम कर सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं, कोई दोष की बात नहीं है बावजूद इसके कि वह कांग्रेस मैन थे या दस साल पहले के चुने हुये थे। हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि पावर देना ही होगा क्योंकि यह चीज भी गलत हो जायगी। कहीं-कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि बिल पे हो गये और सामान आया ही नहीं। हम उसकी अभी इन्क्वायरी करा रहे हैं और हम अभी जी० ओ० भेज दें कि आप फौरन अपनी पावर डेलीगेट कर दें तो यह कितना गलत होगा और इसका नतीजा क्या होगा? जब हम कानूनन जिलाधीश को जिम्मेदार ठहराते हैं तो अत्यन्त उचित बात है कि हम उस पर कुछ आप्शन छोड़ें और जो हमारी तरफ से बन्दिशें और हिदायतें हैं उन के मातहत वह काम करें। अगर कोई गलती होती है तो यह सरकार आन्सरेबिल है और जिस क्षण हम इस सदन का विश्वास खो बैठेंगे उसी क्षण हम यहां पर रह नहीं सकते। हम डी० एम० को पावर देते हैं और उसके लिये हम आन्सरेबिल हैं और जब तक इस सदन का आशीर्वाद, सहयोग,

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

सहानुभूति और सद्भावना हमें प्राप्त है तब तक हमें थोड़ी बहुत गलती करने का भी अधिकार है, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं। हम से गलती नहीं होगी यह दावा हमने कभी नहीं किया। तो इस सेटिंग में मैं चाहता हूं कि इस बिल को समझा जाय और यह ३ दिन जो हमने बरबाद किये, क्योंकि पहले दिन जो बातें कही गयीं वही बातें कल भी दुहराई गयीं और आज भी...

श्री रामस्वरूप वर्मा---व्यवस्था का प्रश्न। श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि "यह ३ दिन जो हमने बरबाद किये" तो क्या कोई इस माननीय सदन का सदस्य यह कह सकता है कि इस सदन ने ३ दिन या २ दिन बरबाद किये हैं ?

(इस समय ३ बजकर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष---आप जरा फिर दोहरा दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस बिल के विचार करने में ३ दिन बरबाद हुए हैं। क्या वह ऐसा कह सकते हैं ? मैं कहूंगा कि वह वापस लें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उसके लिए क्या पार्लियामेंटरी शब्द होगा वह मुझको बता देंगे तो इस वाक्य को मैं वापस ले लूंगा। यह प्रस्ताव जो आये हैं जन-मत संग्रह इत्यादि के इनमें जो समय लगा विवाद करने में, वह समय बच जाता, समय जो इसमें ३ दिन खर्च हुआ---"बरबाद किये" मैं वापस लेता हूं उसका हम सदुपयोग कर सकते थे। इसमें ८-१० क्लाजेज ऐसे हैं जिन पर मतभेद हो सकता है। अगर २-२ क्लाज को एक एक दिन में ले लेते तो इतना परफेक्ट बिल बन कर यहां से जाता कि बाहर वाले भी कहते कि वाह। हाउस ने कैसा अच्छा बिल पास किया है। लेकिन वह समय तो चला गया, फिर आ नहीं सकता है। इन शब्दों के साथ....

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय नागर जी ने अभी-अभी कहा था कि.....

श्री अध्यक्ष---पिछली बात अब नहीं उठायी जा सकती। अब मंत्री जी भाषण दे रहे हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इस वास्ते मेरा निवेदन यह है कि अब भी जो कल का समय हमारे पास है और आज का जो बचा है उसको हम इस बिल को इम्प्रूव करने में खर्च करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव किया है कि इस बिल पर विचार किया जाय उसको यह सदन स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष---अब मैं संशोधनों पर राय ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ जनमत जानने के लिए प्रकाशित किया जाय और एक मास पश्चात् इसको पुनः सदन में प्रस्तुत किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का भी हक हो और जो २० दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन ३ दिन के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ तथा ३

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषा

यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

(क) "अन्तरिम जिला परिषद्" का अर्थ है धारा ४ के अधीन संघटित अन्तरिम जिला परिषद्;

(ख) "कलेक्टर" का अर्थ है यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा १४ के अधीन नियुक्त कलेक्टर;

(ग) "जिला नियोजन समिति" का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित तथा अनुसूची में उद्धृत शासकीय स्मृति-पत्र संख्या १०१७८-पी०/३५—१५२-पी०-५५, दिनांक २२ अक्तूबर, १९५५ के अधीन संघटित जिला नियोजन समिति;

(घ) "सरकारी सदस्य" का अर्थ है जिला परिषद् के वे सदस्य जो राज्य सरकार की सेवा में हैं;

(ङ) "आदेश" का अर्थ है शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश;

(च) "राज्य सरकार" का अर्थ है उत्तर प्रदेश की सरकार; और

यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२।

(छ) शब्द तथा अभिव्यक्ति "बोर्ड", "कमेटी", "जिला बोर्ड", "प्रेसीडेन्ट" और "ग्रामीण क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में शब्द तथा अभिव्यक्ति "बोर्ड" (Board), "कमेटी" (Committee), "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" (District Board), "प्रेसीडेंट" (President) और "रूरल एरिया" (Rural Area), को क्रमशः दिये गये हैं।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२।

३—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी, पहली मई, १९५८ ई० से— जिला बोर्ड का कृत्य-सम्पादन समाप्त करना।

(क) उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बोर्ड, जिनके अन्तर्गत भदोही का उप-जिला बोर्ड (Sub-District Board) भी है, तथा उपर्युक्त ऐक्ट के अधीन संघटित ऐसे बोर्डों की समस्त कमेटियां कृत्य-संपादन समाप्त कर देंगी तथा ऐसे प्रत्येक बोर्ड के सब सदस्य और प्रेसीडेंट तथा ऐसी प्रत्येक कमेटी के सब सदस्य अपना-

अपना पद रिक्त कर देंगे और उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने अपने-अपने पद रिक्त कर दिये हैं, तथा

(ख) खंड (क) द्वारा प्रभावित प्रत्येक बोर्ड के विषय में, कलेक्टर बोर्ड के मामलों का प्रशासन संभाल लेगा तथा जब तक इस अधिनियम के अधीन उसके जिले के लिए अन्तरिम जिला परिषद् संघटित न हो जाय तब तक वह यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अथवा अन्य किसी विधि के अधीन बोर्ड, प्रेसीडेंट तथा बोर्ड की कमेटियों के समस्त विषयों से, जिसके अन्तर्गत निधि और संपत्ति भी हैं, सम्बद्ध अधिकारों, कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का प्रयोग, सम्पादन तथा पालन करेगा, जैसे कि कलेक्टर ही यथावसर बोर्ड, प्रेसीडेंट अथवा कमेटी हो। यू० पी० ऐक्ट, १२, १९२२।

श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)—मान्यवर, यह जो मैंने परिभाषा के हेतु शब्द "कमिश्नर" बढ़ाने के लिये कहा है वह आगे के खंड के लिये आवश्यक है, जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है। यदि वह संशोधन स्वीकृत हो गया तब मैं इसे प्रस्तुत करूंगा अन्यथा नहीं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैंने भी खंड २ में संशोधन दिये हैं, वे प्रकाशित नहीं हुये हैं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं पेश करूं।

श्री अध्यक्ष—यह संशोधन आपका अभी आया है। यह तो देर में आया है। आपने मंत्री जी के पास भेज दिया ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—यहां आफिस में दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—यदि इस विषय में सर्वसम्मति हो तो मैं उनको ले लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—एक तो यह है कि सरकारी अफसर सदस्य न हों और दूसरे यह है कि भदोही उपजिला बोर्ड की परिभाषा नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको ले नहीं रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

अन्तरिम जिला परिषदों का संघटन।

४—(१) आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं जिले के स्वायत्त शासन के कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिए जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने तथा निर्विघ्न संक्रमण सुनिश्चित करने के विचार से राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अन्तरिम जिला परिषद् संघटित करेगी जो..... (जिले का नाम) जिले की अन्तरिम जिला परिषद् कहलायेगी और जो सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली एक एक निगमित निकाय होगी तथा वह इसी नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध इसी नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(२) जिले की अन्तरिम जिला परिषद् में निम्नलिखित होंगे :—

(क) जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य;

(ख) पांच सदस्य, जो उन व्यक्तियों के निर्वाचक-गण द्वारा निर्वाचित हों, जो ३० अप्रैल सन् १९५८ ई० को

भूतपूर्व जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसीडेंट थे अथवा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन नाम निर्दिष्ट हों ; और

(ग) केवल वाराणसी जिले के विषय में, दो सदस्य जो व्यक्तियों के निर्वाचक-गण द्वारा निर्वाचित हों, जो ३० अप्रैल सन् १९५८ ई० को भदोही के भूतपूर्व उप-जिला बोर्ड (Sub-District Board) के सदस्य तथा प्रेसीडेंण्ट थे, अथवा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन नाम निर्दिष्ट हों ।

(३) कलेक्टर अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित होगा तो जिला परिषद् की सब बैठकों में सभापतित्व करेगा ।

(४) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, अन्तरिम जिला परिषद् के सरकारी सदस्यों को उसकी बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अन्तरिम जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करते समय निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ में निम्न संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं :—

खंड ४ के उपखंड (२) का भाग (क) के शब्द "जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

" जिले की उस जिला नियोजन समिति के सब सदस्य, जो शासकीय आज्ञा संख्या १०१७८–पी/३५—१५२–पी–५५, दिनांक २२ अक्तूबर, १९५५ के अनुसार २९ अप्रैल, १९५८ को गठित की गई है ।"

मान्यवर, आज जो अन्तरिम जिला परिषद् बनी है उसमें जिला नियोजन समिति के सारे सदस्य और उसके साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ५ सदस्य सम्मिलित किये गये हैं । यह जिला नियोजन समिति २२ अक्तूबर, १९५५ को एक शासकीय आदेश द्वारा गठित की गयी थी । इसके बाद इस जिला नियोजन समिति में बहुत से परिवर्तन हुये । कई माननीय सदस्य ऐसे थे जिनके स्थान रिक्त रहे, कई माननीय सदस्य ऐसे थे जिनकी नियुक्ति में कई तरह के दोष थे । लेकिन उन सब बातों का बिना खयाल किये हुये इस अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गयी कि जिला नियोजन समिति के सभी सदस्य अन्तरिम जिला परिषद् में सम्मिलित कर दिये जायंगे । मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि खासतौर से उन्नाव जिले में इस तरह के दोष विद्यमान हैं लेकिन उन दोषों के रहते हुये भी जिला नियोजन समिति के सभी सदस्यों को अन्तरिम जिला परिषद् में सम्मिलित कर दिया गया । इसी सम्बन्ध में एक बात और निवेदन कर दूं, यह बात सरकार को भी अच्छी तरह से विदित है कि अन्तरिम जिला परिषद् में जो जिला नियोजन समिति सम्मिलित की गयी है उसमें बहुत से स्थानों में दोष थे और इसलिये इस दोष को दूर करने के लिये इस विधेयक की धारा १३ में अंकित कर दिया है कि अगर कहीं पर किसी तरह का दोष था तो वह विद्यमान रहते हुये यह अंतरिम जिला परिषद् सही माने जायंगे और यह भी कहा है कि कोई स्थान रिक्त था तो भी जिला नियोजन समिति में ज्यों के त्यों स्थान ग्रहण किये जायंगे । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब अध्यादेश जारी किया गया और उसकी पूर्ति के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है तो आवश्यकता इस बात की है कि जिस दिन से यह अध्यादेश लागू किया गया तो फिर से उसी शासकीय आज्ञा के अनुसार जिला नियोजन समिति का गठन हो जाय और यह २९ अप्रैल को गठित हो जायंगी तो जो जिला नियोजन समिति नें दोष थे वह सारे के सारे दूर हो जांयगे ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। यह संशोधन गलतफहमी पर मबनी है। वास्तव में जिला परिषदों का संगठन २९ अप्रैल को नहीं हुआ था.....

श्री भगवतीसिंह विशारद—२२ अक्तूबर, १९५५ को हुआ। २९ अप्रैल, १९५८ को जिला नियोजन समितियों के गठित होने की सूचना हुई और मई में संगठन हुआ।

श्री अध्यक्ष—संशोधन आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, मैंने तो एक ऐसी बात कही थी जिसका जिक्र स्वयं सरकार की ओर से अध्यादेश जारी करते हुये किया गया था। मैं पुनः अनुरोध करूंगा और उनको तमाम जिलों की जानकारी है कि जो जिला नियोजन समितियां काम कर रही थीं उनमें गड़बड़ी थी, उनको दूर करने के किये अध्यादेश में यह अंकित कर दिया गया था कि अगर नियोजन समितियों के गठन में कोई त्रुटि है तो उसके रहते हुये अंतरिम जिला परिषदों में सभी सदस्य सम्मिलित कर दिये जायेंगे। मैंने अपने संशोधन में यही मांग की है कि उसी शासकीय आज्ञा के अनुसार फिर से जिला नियोजन समितियों का गठन कर लिया जाय और इससे जो उनमें दोष थे वह सब दूर हो जायेंगे और उनके दूर होने पर अंतरिम जिला परिषद् की कार्य-प्रणाली में जो दोष आने वाले हैं, वह भी दूर हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) का भाग (क) के शब्द "जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

"जिले की उस नियोजन समिति के सब सदस्य, जो शासकीय आज्ञा संख्या १०१७८-पी०/३५—१५२-पी-५५, दिनांक २२ अक्तूबर, १९५५ के अनुसार २९ अप्रैल, १९५८ को गठित की गई है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[श्री अध्यक्ष के सर्वश्री गौरीशंकर राय, शिवराज बहादुर तथा मुनीन्द्रपालसिंह के नामों के पुकारने पर श्री भगवतीसिंह विशारद ने खड़े होकर कहा कि मैं इसको पेश करना चाहता हूं।]

श्री अध्यक्ष—आपके पास उनकी अथारिटी है ?

श्री भगवतीसिंह विशारद—जी हां।

श्री अध्यक्ष—अच्छा तो आप पेश कीजिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं कि :—

खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) में निम्न प्रतिबंध जोड़ दिये जायं :—

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त जिला नियोजन समिति के सरकार अथवा जिलाधीश द्वारा नामांकित होने वाले व्यक्ति उनके द्वारा नामांकित न होंगे और वे अंतरिम जिला परिषद् की पहली बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा चुने जायेंगे।

किन्तु प्रतिबंध यह भी है कि जो व्यक्ति किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा वह बहुमत से चुना जायगा।"

मान्यवर, इस अंतरिम परिषद् की नियोजन समिति के जो सदस्य हैं और जिस प्रकार उसका गठन हुआ है उसमें ७ सदस्य होते हैं। उनमें से ५ सरकार द्वारा नामांकित होंगे और २ व्यक्ति जिलाधीश द्वारा नामांकित किये जायंगे। मैंने इस संशोधन द्वारा यह सुझाव रखा है कि जो व्यक्ति नामांकित होने वाले हैं उनको नामांकित न किया जाय बल्कि जिस समय अंतरिम जिला परिषद् की पहली बैठक हो तो उसमें इस प्रकार के नामांकित होने वाले व्यक्तियों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाय और इस प्रकार जो व्यक्ति चुन कर आयेंगे वह अंतरिम जिला परिषद् के सदस्य मान लिये जायेंगे। मैंने इस बात का भी सुझाव दिया है कि जो व्यक्ति किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हो वह बहुमत से चुना जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था जिला नियोजन समिति के विधान में भी है। एक व्यक्ति जिसको विकास कार्यों में रुचि हो और एक जिसको गृह-उद्योगों और कुटीर-उद्योगों में दिलचस्पी हो, इन दोनों व्यक्तियों का चुनाव बहुमत के आधार पर किया जाय। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे और यह स्वीकार करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों का चुनाव अंतरिम जिला परिषद् की पहली बैठक में करा लिया जाय। क्योंकि उस बैठक में जिले के सभी माननीय सदस्य इकट्ठे रहते हैं और उनको पूर्ण ज्ञान रहता है कि कौन सार्वजनिक कार्यकर्ता है और कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको रचनात्मक कार्यों में रुचि है। मैं आपसे निवेदन करूं कि इसकी जानकारी न होने के कारण बहुत सी जगहों में जो अच्छे-अच्छे रचनात्मक काम करने वाले हैं वह इन नियोजन समितियों में नहीं आ पाते हैं। वह अपने रचनात्मक कार्यों का सहयोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर हमारे संशोधन को माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लेते हैं तो फिर इस बात की सुविधा रहेगी कि वह व्यक्ति जो रचनात्मक कार्यों में विश्वास करने वाले हैं वह सम्मिलित हो सकेंगे। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदन के सम्मुख रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं। इस संशोधन में यह बात कही गयी है कि सरकार या जिलाधीश जो व्यक्तियों को मानोनीत करता है वह न करेंगे। मैं यह समझता हूं कि शायद प्रस्तावक महोदय की मंशा तो दूसरी थी इस वजह से कि सरकार और जिलाधीश को जिन व्यक्तियों को मनोनीत करना था वह कर चुके और वह उसके सदस्य हैं। उसके लिये कोई संशोधन नहीं लाया गया है कि वह हटा दिये जायेंगे और उनका स्थान रिक्त समझा जायगा। ऐसा संशोधन नहीं है। जो यह संशोधन इस वक्त किया जा रहा है उससे आपकी मंशा बिलकुल नहीं पूरी होती है और यह बिलकुल अनावश्यक है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं बिलकुल अनावश्यक समझता हूं। समिति बन चुकी है। इसलिये बिलकुल अनावश्यक है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—मान्यवर, जो कमेटियां बन चुकी हैं वह एक अध्यादेश के द्वारा बनी हैं। अगर किसी अध्यादेश में किसी तरह की त्रुटि है तो आवश्यक नहीं है कि हम उस त्रुटि को जो विधेयक उसका स्थान ग्रहण कर रहा है उसमें भी स्थान देते रहें। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हर जगह नियोजन समिति में पांच व्यक्ति सरकार द्वारा और दो व्यक्ति जिलाधीश द्वारा नामांकित होते हैं। माननीय सदस्य भी नियोजन समिति में हैं। उन्हें भी जिले का अच्छा ज्ञान रहता है। इसमें विकेन्द्रीकरण की बात कही गयी है। मैं तो जो सुझाव दे रहा हूं उन्हीं के हाथ अधिकार दे रहा हूं कि उन व्यक्तियों को चुनें, लेकिन पता नहीं क्यों माननीय सदस्य ने इस संशोधन का विरोध किया। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो शक्ति उनके हाथ में आ रही है, जिस विकेन्द्रीकरण की चर्चा वह करते हैं वह मेरे संशोधन से प्राप्त हो रही है। इसलिये मुझे विश्वास है कि वह इस अपने हाथ में आने वाली शक्ति को ग्रहण करेंगे और मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मुझे अब कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) में निम्न प्रतिबन्ध जोड़ दिये जायें :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त जिला नियोजन समिति के सरकार अथवा जिलाधीश द्वारा नामांकित होने वाले व्यक्ति उनके द्वारा नामांकित न होंगे और वे अन्तरिम जिला परिषद् की पहली बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा चुने जायंगे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि जो व्यक्ति किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा वह बहुमत से चुना जायेगा ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) के बाद निम्न प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :--

" किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिला नियोजन समिति के वे सदस्य अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य नहीं होंगे जो सरकार द्वारा नियोजन समिति में नामजद किये गये तथा जो भारत सेवक समाज के संयोजक की हैसियत से जिला नियोजन समिति के सदस्य थे ।"

श्रीमन्, यह संशोधन प्रजातन्त्र की मौलिकता को ही प्रस्तुत करने के लिये हमने पेश किया है । ३ दिन से बराबर इस सदन में बहस होती रही है । उधर से भी दबी जबान में इस बात को मान लिया गया कि नामिनेटेड एलीमेंट से प्रजातंत्रवाद को बल नहीं मिलता ।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जो यह २२ अक्तूबर सन् ५५ का स्मृति-पत्र इसके साथ दिया है उसमें दिया गया है कि "जिला नियोजन समिति का कार्यकाल १५ नवम्बर से ३ वर्ष तक, कार्य-कारिणी समिति तथा उप-समिति का कार्यकाल १ वर्ष तक रहेगा" । तो यह जो नामजद हुये मेम्बर हैं इनका कार्य-काल १५ नवम्बर, ५८ तक ही रहेगा और उसके बाद नहीं रहेगा । इसके बाद मंत्री महोदय के सामने फिर एक समस्या पेश होगी और वह यह होगी कि उन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाय और फिर नामजद किये जायें । मेरा निवेदन एक तरह से बिलकुल कन्ट्रोवर्शियल नहीं है । मेरा यह संशोधन बिलकुल इन्नोसेण्ट है । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करें कि जो नामजद हुये ५ सदस्य हैं नियोजन समिति के वही नहीं होंगे और बाकी जितने नामजद सदस्य थे वह अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य होंगे । बारबार उनका आना मुनासिब नहीं मालूम होता है । इस सदन में बहस सुनने के बाद मैं यह समझता हूं कि यह सत्य है कि नामिनेटेड एलीमेंट से प्रजातन्त्रवाद आगे नहीं बढ़ता है । हमारी पब्लिक का चार्ज बराबर इस बात में रहा है कि सरकार नामजद करने की जहां ताकत अपने हाथ में रखती है वहां सरकार अपनी पार्टी वालों को नामजद करती है । इस वजह से वहां पर जो चुना हुआ वर्ग होता है उसकी शक्ति को कम किया जाता है । इसलिये हमारा निवेदन यह है कि यह संशोधन बिलकुल उचित है ।

दूसरी बात भारत सेवक समाज की हमारे संशोधन में आई है । मेरा नम्र निवेदन वह है कि भारत सेवक समाज कोई कांस्टीट्यूशनल बाडी नहीं है । एलेक्टेड या रजिस्टर्ड संस्था नहीं है । भारत सेवक समाज का हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है यह मैं जानता हूं और भारत सरकार से उसको पैसा भी बहुत मिलता है । उसका कोई विधान भी हमारे प्रदेश में हो तब भी वह कोई प्रजातान्त्रिक तरीके पर प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं है । मैं सदन की जानकारी के लिये यह बता दूं कि मेरे जिले में एक साल से एक राय साहब भारत सेवक समाज के संयोजक थे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अभी एक महीने से राय साहब के नाती और राय साहब के बेटे भारत सेवक समाज के संयोजक हो गये हैं। भारत सेवक समाज से कोई किसी तरह का लाभ स्टैंडर्ड तरीके पर नहीं होता है। कहीं भी जिसने राष्ट्र की थोड़ी सी भी सेवा की हो वही भारत सेवक समाज का कन्वीनर बन जायगा। तब भी एक दफा यह सोचा जा सकता था कि राजनीति के वह कार्यकर्ता कि जो भारतवर्ष की चुनाववादी राजनीति में नहीं पड़ा करते, देश का काम करते हैं और जो भारत सेवक समाज के संयोजक की हैसियत से काम कर रहे हैं उनको अन्तरिम जिला परिषद् में रखा जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाय। जो ५१ जिलों में भारत सेवक समाज के संयोजक हैं वे सब एक्टिव पार्टीमैन हैं और कांग्रेसमैन हैं। ऐसी सूरत में यह ५ सदस्य नामजद किये गये वह भी कांग्रेस वाले होंगे और भारत सेवक समाज की तरफ से जो नामजद किये गये यह भी कांग्रेस वाले होंगे और इसके अलावा उसका कोई प्रजातांत्रिक स्वरूप नहीं है। इसलिये मेरा तात्पर्य यह है कि जो एलेक्टेड एलीमेंट है वह इस में रखा जाय। जो सरकार द्वारा नामजद किये गये ५ सदस्य होंगे और भारत सेवक समाज के कन्वीनर होंगे उनको इस अन्तरिम जिला परिषदों में सदस्य के तौर पर न रखा जाय। इस परिस्थिति में मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी और सदन से यही है कि चूंकि प्रजातंत्रवाद और विकेन्द्रीकरण की बड़ी-बड़ी बातें कही गई हैं इसलिये और इसलिये भी कि इन अन्तरिम जिला परिषदों का काम ठीक से चले और उनमें राजनीतिक कटुता समाप्त हो, इसके लिये आवश्यक है कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करें।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री गोविन्द नारायण तिवारी जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व ब्रिटिश सरकार ने जो शासन-विधि कायम की थी और हम लोगों को जो लोकल बाडीज के अधिकार दिये थे उन सभी ऐक्ट्स में नामिनेशन कंपल्सरी कर दिया था। लेकिन जैसे-जैसे हमारे प्रदेशों में ब्रिटिशर्स के हाथ से सत्ता निकल कर हमारे कांग्रेस मैनों के हाथ में आयी वैसे-वैसे कांग्रेस सरकार ने यह किया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड्स में जहां एलेक्शन के साथ-साथ कुछ सदस्यों को नामिनेट किया जाता था, उस पद्धति को उन्होंने बन्द कर दिया। जिला बोर्डों का चुनाव जो अब समाप्त कर दिये गये हैं और जिनका स्थान यह अन्तरिम परिषदें ले रही हैं, सन् ४८ में हुआ था। उसके पूर्व के जिला बोर्डों में नामिनेशन अवश्य होता था, लेकिन १९४८ के चुनाव के बाद जिला बोर्डों में नामिनेटेड सदस्यों का स्थान बिलकुल नहीं रखा गया और उस के सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे एक बटा दस तक अपने स्दस्यों को कोआप्ट कर लें। म्युनिसिपैलिटीज में तो यह कोआप्शन भी हटा दिया गया और उनमें केवल वही सदस्य रहते हैं कि जो जनता द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं। तो सन् १९५५ में एक शासकीय आदेश द्वारा जिला नियोजन समितियों का गठन हुआ था, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं बताया है। उन के हाथ में कोई एक्जीक्यूटिव पावर्स नहीं थी। वह केवल एक परामर्शदात्री समिति थी और इसलिये उन में नामिनेशन किया जाना तो कुछ उचित मालूम होता है, लेकिन हमारे स्वायत्त शासन मंत्री और सरकार द्वारा अभी बताया गया है कि जो जिला परिषदें बन रही हैं उनका रूप केवल परामर्शदात्री समिति का न होकर उनको एक्जीक्यूटिव पावर्स भी दी जा रही हैं और इसलिये इन में नामिनेटेड सदस्यों का रहना उचित नहीं मालूम होता। हमने अंग्रेजों द्वारा जो नामिनेशन की पद्धति थी उसका विरोध किया और उसको उखाड़ फेंका, लोकल बाडीज के हर ऐक्ट में इस कांग्रेस सरकार ने इसके लिये संशोधन किये, लेकिन आज वह इस जिला अन्तरिम परिषद् के कानून में उसी बात की हिमायत करते हैं। यदि नामिनेशन की प्रथा आज अच्छी हो सकती है तो १९४८ के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के जब चुनाव हुये थे उस समय भी अच्छी हो सकती थी। अभी एक वर्ष पूर्व म्यूनिसिपैलिटीज के जो चुनाव हुये उनके लिये भी अच्छी हो सकती थी। लेकिन हम सभी सदस्य बिना किसी मतभेद के कह सकते हैं कि नामिनेशन की प्रथा अहितकर और घातक है और उसमें किसी पार्टी विशेष को हित पहुंचता है। आज जिला अन्तरिम परिषद् की भी वही परिस्थिति है। कुछ दिनों बाद सरकार जिला परिषद् का विधेयक लाने वाली है जिसका

[श्री जगन्नाथ लहरी]

हमको विश्वास दिलाया गया है कि फरवरी और मार्च में इस विधेयक को पास कराने के बाद चुनाव की तैयारी की जायगी। मैं बड़े विनम्र शब्दों में सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस नामिनेशन की प्रथा को आज ही सदैव के लिये खत्म करदें जैसा कि वह एक बार कर चुकी है। मैं आशा करता हूं कि अपने अच्छे कार्यों को ध्यान में रखते हुये यह कांग्रेसी सरकार तिवारी जी के संशोधन को स्वीकार करेगी।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री तिवारी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। उसके साथ ही दो एक बातें भी अर्ज करना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से पूछूंगा कि अगर नामिनेटेड लोग इन जिला परिषदों में न रहें तो क्या अनर्थ हो जायगा। यदि ये विशेषज्ञ होते जैसी कि एक सदस्य के लिये व्यवस्था है तो वे अच्छे हो सकते थे। इसके विपरीत होता यह है कि कांग्रेस में जो एक दल शक्ति में है उसके लोग नामजद होते हैं। भारत सेवक समाज के ऊपर चाहे कितने ही बड़े और जिम्मेदार लोग हों, मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिलों की शाखाओं में मैं जनता हूं, भारत सेवक समाज के लक्ष्यों से सम्बन्ध न रखने वाले व्यक्ति उनमें हैं। हमारे जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अपनी तबियत से इसमें है। यह एक सिद्धांत का प्रश्न है। इस पर मंत्री जी को जवाब देना चाहिये कि उनके पास क्या उत्तर है कि यदि इन पांचों आदमियों का नामिनेशन न होता तो क्या गड़-बड़ी होती। मैंने इससे पहले संशोधन में यह बात भी इस सम्बन्ध में रखी थी कि वे व्यक्ति अन्तरिम जिला परिषद् की पहली बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा चुने जावेंगे। ऊपर से पांच आदमी जो कि किसी भी तरह के चुनाव में हिस्सा लेने से असमर्थ हैं उन्हें रखना बुनियादी सवाल है। जहां पर सारी नीयत की बात आकर जुट जाती है। मंत्री जी बतलावें कि अगर इनका नामिनेशन नहीं होगा तो जिला परिषद् का काम कैसे रुक जायगा। जब यह स्टैट्यूटरी बाडी होने जा रहा है, लेकिन जब यह होने जा रहा है तो इस प्रकार के नामांकित व्यक्ति रहें इसकी क्या आवश्यकता है? आशा तो यह है कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे, लेकिन अगर वे इसको न मानें तो बतायें कि उन के इसको स्वीकार न करने का औचित्य क्या है। अगर उन्होंने इस संशोधन को नहीं माना तो, क्षमा करें मंत्री जी, निश्चित रूप से हम ही नहीं बल्कि उधर के बैठने वालों को भी यही स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी एक दल विशेष या गुट विशेष को लादने के लिये ही ऐसा किया गया है।

इसके अतिरिक्त आज साधारण बुद्धि में यह विश्वास नहीं है कि फरवरी में चुनाव हो जायगा। ४–५ महीने की बात होती तो समझ में आ सकती थी। इस सेशन में तो वह बिल आ नहीं रहा है। दूसरा सैशन अक्तूबर-नवम्बर में कहीं होगा। नोटीफिकेशन होगा तथा और भी कार्य हमें करने होंगे। इसलिये मेरे विचार से वह फरवरी, मार्च तक होने वाले नहीं हैं। ऐसी हालत में वस्तु-स्थिति को देखते हुए और जब कि वे इस बिल को विकेन्द्रीकरण की इच्छा से प्रेरित होकर लाये हैं, माननीय मंत्री जी को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मुझे दुःख है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि ये जिला परिषद् बन चुकी हैं और नये नामीनेशन हमको करना नहीं हैं। इसके अलावा हम जो नया बिल ला रहे हैं उसमें नामीनेशन का नाम नहीं होगा और नगर निगम विधेयक में भी नामीनेशन नहीं रखा गया है। इसलिये यह कहना गलत है कि हमने पार्टी को बल देने के लिये ऐसा किया है। अभी मैंने जो हाल ही में नामीनेशन्स किये उनमें न सिर्फ ऐसे आदमी नामीनेट किये जो कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं बल्कि ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस के खिलाफ हैं। लेकिन मैंने उनको रखा है क्योंकि मैं समझता था कि उनसे कुछ जिले का भला होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अतिरिक्त जो लोग आजकल वहां काम कर रहे हैं उनको निकालना इंसानियत के खिलाफ होगा और फिर यह दोष उन पर लगा कर कि वे पार्टी बाजी करते हैं ।

भारत सेवक समाज के बारे में भी कहा गया । जो विधान सभा के विरोधी दल के नेता थे, वह भी इसके एक सदस्य थे । जो भी काम करना चाहता है, भारत सेवक समाज उसका स्वागत करता है । ऐसी बातों में उसको घसीटना उचित नहीं है ।

जो लोग प्लानिंग कमेटी में थे, उनको ही इसमें रखा गया । हमने इस बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी । तीन तारीख को जो घोषणा की जाती है उसमें भी इसकी चर्चा है । उसके बाद भी इसमें किसी ने आपत्ति नहीं की । इसलिये उनको इस प्रकार से अपमानित करके हटाना ठीक नहीं है ।

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी---अध्यक्ष महोदय मुझे अत्यन्त दुःख है कि माननीय मंत्री महोदय ने यह संशोधन स्वीकार नहीं किया है और संशोधन स्वीकार न करने का सब से बड़ा कारण यह बताया कि अन्तरिम जिला परिषद् बन चुकी है । श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि आज अभी तक तो आर्डिनेंस था, गवर्नर ने अध्यादेश जारी किया था, उस पर यहां डिस्कशन नहीं हुआ था, किसी पक्ष के विचार जाने बगैर ही उसको लागू किया गया था, ऐसी परिस्थिति में जिला परिषद् का निर्माण हुआ था । कांस्टीट्यूशन की मंशा है कि अध्यादेश जारी होने के ६ हफ्ते के अन्दर सदन बैठे और ६ हफ्ते बाद अध्यादेश समाप्त हो जायगा और उसी बीच में बिल आ जाना चाहिये । अब यह विधेयक जो इस सदन में पेश किया गया है वह इसलिये पेश किया गया है ताकि बहस मुबाहिसा होकर विरोधी दल के लोगों का मत भी उसके लिये प्राप्त हो सके । माननीय मन्त्री जी ने यह भी बताया कि आने वाले नगर निगम विधेयक में नामीनेशन को नहीं रखा गया है । तो फिर उनको यह संशोधन मानने में क्या अड़चन थी क्योंकि नामांकन करने की प्रथा जनतंत्र को मजबूत बनाने वाली तो है नहीं । तो आखिर फिर इतनी बात कि चन्द आदमियों को बुरा लग जायगा, सिद्धान्त की रक्षा करने के लिये प्रजातंत्रवादी परम्पराओं को मजबूत करने के लिये हो सकता है कि ऐसे मौके आयें जिस में कुछ आदमियों को नाराज कर लिया जाय । जैसा कि श्रीमन्, मैं आप से निवेदन करूं कि जब आर० टी० ओज० थे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमेंन बैठा करते थे सदस्य की हैसियत से । जब डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् डिजाल्व हो गये तो यहां से हुक्म गया कि अब वे वहां नहीं बैठेंगे, तो फिर इस में तो कोई ऐसी बात है नहीं जिसके लिये बुरा माना जाय । इसमें तो कोई तुक नहीं दिखलायी देती कि चूंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसिडेंट सदस्य की हैसियत से उस कमेटी में बैठा करते थे इसलिये फिर भी उनको बैठने दिया जाय । अध्यादेश के द्वारा जिला परिषदें बनी हैं, इसके सिद्धान्त के ऊपर कोई विचार विमर्श भी नहीं हुआ तब तक हम लोग नामिनेशन की बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं । जब माननीय मन्त्री जी स्वयं इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि नामिनेशन नहीं होना चाहिये तो ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन यह है कि पुनः माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार करें, केवल इस बात को न सोचें कि चूंकि कुछ आदमी नाराज हो गये हैं उनको बुरा लगेगा । ऐसे तो बहुत से एलेक्शन पेटिशन्स पार्लियामेंट के और असेम्बली के मेम्बरों के खिलाफ हुआ करते हैं, और जज कहीं यह सोचें कि चूंकि एक आदमी चुन कर आ गया है, इसलिये उसे अलग न किया जाय, तो फिर न्याय कैसे हो सकता है । सिद्धान्त की रक्षा के लिये मुमकिन है कि कुछ आदमियों को दुख भी हो जाय, मुमकिन है कि कुछ आदमी जो देहात से चुन कर आये हैं वे ग्राम सभाओं में चुन लिये जायं, इसलिये इस सिद्धान्त को मानते हुए केवल इस दलील पर कि चूंकि अन्तरिम जिला परिषदें बन चुकी हैं, इस पर विचार न किया जाय यह ठीक नहीं है । माननीय मन्त्री जी से मेरा पुनः निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्दनारायण तिवारी]

श्रीमन्, भारत सेवक समाज का यहां बहुत नाम लिया गया। यह सही है कि भारत सेवक समाज एक बहुत बड़ी संस्था है। यह मैं नहीं कहता कि भारत सेवक समाज में जितने आदमी हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनमें बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनकी देश के लिये अच्छी सेवा हो, उनमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो अत्यन्त सच्चरित्र हों, मगर साथ ही साथ उसमें ऐसे भी आदमी हो सकते हैं जिनकी फालोइंग १० आदमी की भी न हो। भारत सेवक समाज की मैं यहां कोई आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि यह बहुत कंट्रोवर्सी की बात हो जायगी। वह बहुत अच्छी संस्था है, उसकी सेवायें बहुत हैं, इसको मैं मानता हूं फिर भी सिद्धान्त की बात यह है कि नामिनेशन नहीं होना चाहिये। अगर किसी चुनाव के जरिये कोई आदमी कमेटी में आ जाय तो ठीक है, लेकिन नामजदगी नहीं होनी चाहिये क्योंकि उसकी कहीं परिभाषा नहीं दी गयी है।

मैं इस बात को मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के दो चार सौ आदमी, हजार दो हजार आदमी एक आदमी के पीछे हों, लेकिन एक आदमी को नामजद करके प्रजातांत्रिक पद्धति में उसे कोई बड़ी भारी शक्ति नहीं माननी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस पर सोचें। मैं सदन की जानकारी के लिये एक रिपोर्ट का हवाला दे देना चाहता हूं वह है--"रिपोर्ट बाई दि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एप्वाइंटेड बाई दि यू० पी० गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नं० ११४६/११=४५७ (म्युनिसिपल डिपार्टमेंट) डेटेड मार्च २४, १९३८ का पार्ट २।

Thirdly the nomination system has had a most demoralizing influence. It corrupted the people as well as the Government.

श्रीमन्, इस कसौटी पर अगर इस बात को कसा जाय तो नामिनेशन जो हैं वह पिपुल को डिमोरेलाइज करता है, सरकार को करप्ट करता है और इस चार्ज को सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये। अगर कोई आदमी कहीं चुना न जाय और वह बिना जरूरत खुशामद करके सरकार का दरवाजा खटखटाता फिरे कि उसका नामिनेशन सिस्टम से कहीं हो जाय, मैं इस सिद्धान्त को मानता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश की ६ करोड़ ३२ लाख जनता डिमोरलाइज होती है और उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार को वह करप्ट करती है जिसके लीडर सम्पूर्णानन्द जी जैसे आदमी हों जिस सरकार के स्वायत्त शासन मन्त्री विचित्रनारायण शर्मा हों उसमें नामिनेशन सिस्टम को फलते-फूलते देख कर ताज्जुब होता है। अंग्रेज भी जब अपने आदमियों को कमेटीज में या हाउस में नहीं ला सकते थे तो उन्होंने नामिनेशन सिस्टम को रायज किया। इससे गवर्नमेंट करप्ट होती थी और पिपुल्स भी करप्ट होते थे। इसलिये माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से निवेदन है कि इस डर से कि कुछ आदमियों को बुरा लगेगा वे नाराज हो जायंगे, इसलिये उनको अन्तरिम जिला परिषद् में अवश्य नामिनेट किया जाय यह बात मेरी समझ में न्यायसंगत नहीं है। अगर यह चीज अपनी जगह कायम रही तो फिर नवम्बर, १९५८ में वही सवाल उठेगा और जो आदमी एक दफा नामिनेट कर दिया जाय उसे बुरा न लगे इसलिये उसे फिर नामिनेट कर दिया जाय, ऐसा हम से कहा जायगा। प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिये माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से मेरा निवेदन है कि वे इस रिपोर्ट को वेद वाक्य मान कर, बाइबिल के अल्फाज मान कर चलें ताकि लोग करप्ट न हों, गवर्नमेंट करप्ट न हो और पिपुल्स डिमारेलाइज न हों। इसलिये गवर्नमेंट मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेगी।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--माननीय सदस्य इतनी सरगर्मी से एक छोटी-सी बात पर भाषण कर गये कि मैं उस पर विचार भी नहीं कर सका। जहां तक सिद्धान्त की बात है उसे मैं मान रहा हूं। उसे मनवाने के लिये माननीय सदस्य ने इतनी अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया जिसको मैं अपव्यय समझता हूं। उन्होंने कहा कि नामिनेशन्स करके सरकार ने बड़ा बुरा काम किया, लेकिन जिस वक्त ये नामिनेशन्स हुए थे यह चीज पिक्चर में भी नहीं थी कि इनके हाथ में

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की पावर्स ट्रान्सफर कर दी जायंगी। उस समय तो सेवा का भाव था, उनकी विशेष योग्यता समझ कर उनको नामजद किया गया था। पर चूंकि उनके ऊपर एक दूसरी चीज़ लादी जा रही है तो हम अब उनसे कह दें कि तुम सब निकम्मे हो, खराब हो और उनकी सेवाओं के लिये हम उनको पारितोषिक दें यह अनुचित मालूम होता है। कहां से कहां वह जातें हैं जोश में आकर, यह मैं समझ नहीं पाता, अगर आज नामिनेशन होते तो दूसरी बात थी, लेकिन यह बिलकुल दूसरी चीज़ है। हां, इतना मैं आश्वासन दे सकता हूं जहां तक नवम्बर, १९५८ की बात कही गयी उस समय जिनको पहले दूसरी दृष्टि से नामिनेट किया गया था उनकी एक विशेष योग्यता समझ कर और सेवा भाव को देख कर उन्हीं को फिर रिपीट कर दिया जायगा, कोई दूसरा नामिनेशन नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (क) के बाद निम्न-प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जिला नियोजन समिति के वे सदस्य अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य नहीं होंगे जो सरकार द्वारा नियोजन समिति में नामजद किये गये तथा जो भारत सेवक समाज के संयोजक की हैसियत से जिला नियोजन समिति के सदस्य थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:--

खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ग) के बाद नया उपखंड (घ) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(घ) परिगणित जाति प्रतिनिधियों का नामांकन उत्तर प्रदेश सरकार जन-गणना १९५१ ई० के आधार पर जिले की परिगणित जाति की संख्या के अनुपात से करेगी।"

इस संशोधन को रखने का मेरा आशय यह है कि सरकार ने परिगणित जाति के लिये जो कुछ कार्य किया और कर रही है उस से किसी को इन्कार नहीं है और उस में उन्नति भी हो रही है। सको मानते हुए भी मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में परिगणित जाति के सदस्यों की सीट सुरक्षित थी और उस संरक्षण में उनको काफी मौका था कि वह हरिजन परिगणित जाति की सेवा अपने हल्के में कर सकें। किन्तु सवाल इस बात का है कि अब जिला बोर्ड टूट गया और अन्तरिम जिला परिषद् बन गई। तो सवाल यह है कि इसमें भी कोई प्राविजन इस प्रकार का नहीं है जिससे हरिजनों का पूर्णतः क्षेत्रवाइज़ प्रतिनिधित्व हो सके। हर जिले में किसी में ७, किसी में ८, किसी में ९ परिगणित जाति के सदस्य थे। लेकिन नियोजन समिति में वैधानिक रूप से कोई भी हरिजन प्रतिनिधि नहीं है। केवल अब तक एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, एम० पीज़० की दशा में ही वह नियोजन समिति का सदस्य रहा। अब सरकार ने आगे जाकर नियोजन समिति में एक सदस्य को लेने का इसमें विधान किया है वह उस दशा में कि अगर एम० एल० ए०, एम० एल० सी० या एम० पीज़० में कोई हरिजन मेम्बर नहीं है तब हरिजनों का प्रतिनिधि रखा जायगा। इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजनों की परिस्थिति आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक जो हमारे प्रदेश में और देश में है यह हमसे छिपी नहीं है।

मैं पहले कह चुका कि सरकार इसके उत्थान के लिये प्रयत्नशील है और प्रयत्न कर रही है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनकी उन्नति और हो। अभी तक हरिजनों की तंग दशा का दिग्दर्शन ठीक प्रकार से उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि उनका प्रतिनिधि किसी स्थान पर न दिखा सके। आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सारा कार्य अन्तरिम जिला परिषद् में चला गया और सब कार्य चाहे शिक्षा का हो, टैक्स का हो, सड़कों का हो उसको अन्तरिम जिला परिषद् करेगी। अब देखा जाय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जब टैक्स लगते थे और उधर गांव पंचायत

[श्री रामदास आर्य]

के टैक्स लगते थे, इस प्रकार से दोहरे टैक्स लगते थे तो गरीबों के लिये बड़ी भारी परेशानी थी कि किस प्रकार से टैक्स अदा करें। जब टैक्स की सुनवाई होती थी तो टैक्स आफिसर स्थान पर जाता था और वहां के हल्के के सदस्य को सूचित किया जाता था कि जो दिक्कत तुम्हारे हल्के में हो उसको बतलाओ। तो उस हल्के का सदस्य होने के नाते उसकी सारी वाकफियत होती थी और वह उन चीजों को ठीक प्रकार से बता करके कोशिश करता था कि उचित रूप से जाय। लेकिन इस में एम० एल० ए०, एम० एल० सी०, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य टैक्स रखा आयेंगे जो अपने क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करते हैं। उनमें कितने परिगणित जाति के हैं? तो वह तो अपने क्षेत्र को ही रिप्रेजेन्ट करते हुए दूसरे को भी रिप्रेजेन्ट करते हैं। वह वास्तविक रूप में अपनी कांस्टीट्युएंसी की हालत अच्छी जानते हैं। जो नामिनेशन हो, जैसा कहा गया नामजदगी क्षेत्रवार या जिले के उन हरिजनों की इस प्रकार से हो जाय तो तहसील की हर जगह की पूरी परिस्थिति हरिजनों के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद् में आ सकती हैं जिस पर विचार किया जा सकता है, ऐसा किया जाय पूरे तरीके से।

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, उस में काफी उन्नति हो रही है फिर भी एक दिक्कत अभी हमारे सामने है और वह इसी वर्ष आई है कि १०० रुपये की आय से ऊपर वाले हरिजनों पर भी फीस माफी लागू हो रही है .....

श्री अध्यक्ष---यह जरा कुछ असंगत सा हो रहा है।

श्री रामदास आर्य---मैं परिगणित जातियों के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति के लिये जो रिजर्वेशन का नियम है उस को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझता हूं कि न अन्तरिम जिला परिषदों में भी इस बात की जरूरत है कि इन जातियों का समुचित सुधार करने के लिये उन का नामांकन सरकार द्वारा किया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप यह चाहते हैं तो आप को अपने संशोधन में जरा-सा अन्तर करना होगा, यह इसमें चस्पां नहीं होता। क्या खंड में जो ५ सदस्यों के नांमाकन का जिक्र है उन में आप यह अनुपात चाहते हैं या स्वतन्त्र चाहते हैं?

श्री रामदास आर्य---मेरा उन ५ में लाने का आशय नहीं है, उन से अलग मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---यदि आप यह चाहते हैं तो आप को ऐसा करना पड़ेगा कि खंड ४ के उपखंड (२) के भाग (ग) के बाद शब्द "और" जोड़ा जाय और नया उपखंड (घ) निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय---

"(घ) परिगणित जाति के प्रतिनिधि जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार जन-गणना, १९५१ ई० के आधार पर जिले की परिगणित जाति की संख्या के अनुपात से नामांकित करेगी।"

श्री रामदास आर्य---श्रीमन्, मैंने अपने संशोधन में अन्त में यह भी दिया था कि यह नया खंड जोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो इस को मैं दुरुस्त कर दूंगा।

श्री रामदास आर्य---मुझे स्वीकार है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आइन्दा भी यदि किसी माननीय सदस्य के संशोधन में गलती हो जाय तो जनाब उसको ठीक कर दिया करेंगे....

श्री अध्यक्ष---आप के लिये मैं नहीं करूंगा, मतलब यह है कि जिनको जरा थोड़ी सी सहायता प्राप्त करने की आवश्यकता है केवल उन्हीं के लिये यह बात है । जो विद्वान लोग हैं उनके लिये भी मैं ऐसी सहायता करूंगा ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामदास आर्य---अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे संशोधन के शब्द उचित ढंग से कर दिये और मेरा जो विचार था उस को उस में ठीक से निहित कर दिया । मैं आगे अब केवल इतना ही कहूंगा कि जिला बोर्ड से जो ५ मेम्बर चुने जायं उन में भी लिस्ट मांग कर देख लें कि उन में परिगणित जाति के लोग आ सके हैं या नहीं और उस में उन का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हुआ है या नहीं । उन का ठीक से प्रतिनिधित्व तभी हो सकता है जब सरकार ठीक तौर से इस तरफ ध्यान देगी और उनकी जन-गणना के आधार पर उनको परिषद् में लाने का प्रयत्न करेगी । इस संशोधन को लाने की आवश्यकता इसलिये हुई कि जहां तक उनकी शिक्षा, आर्थिक दशा और सामाजिक उत्थान का सवाल है उसके विषय में उनका जो प्रतिनिधि हरिजनों में से आयेगा वह अपने विचार और उनकी दिक्कतें वहां रख सकेगा और उसको वोट का हक वहां होगा तो उस हालत में अच्छी तरह से उनकी दिक्कतें दूर हो सकेंगी । जैसा कि मैंने कहा कि हर हल्के में जो दिक्कतें होती हैं तो उस हल्के के माननीय सदस्य से पूछा जाता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है और वह कैसे दूर की जाय । तो चूंकि वह जो उनका प्रतिनिधि है वह पूरी तरह से उनसे परिचित है इसलिये ठीक प्रकार से उसे बता सकेगा । अभी हरिजनों की आर्थिक दशा बहुत कमजोर है। सूबे भर में सौ, डेढ़ सौ आदमी ऐसे निकलेंगे जिनकी आमदनी १०० रुपये से ऊपर होगी । तो अब तक यह चीज नहीं थी, आगे को होने जा रही है, इससे काफी परेशानी उन लोगों को होगी जिनके लिये अब तक यह प्राविजन नहीं था । हमारी उदार सरकार ने छठी कक्षा तक सभी की फीस माफ कर दी है चाहे वह लखपति हो, चाहे करोड़पति हो । तो हम पूर्ण आशा करते हैं कि इस चीज का प्रतिबन्ध भी हटेगा और जो हरिजनों की आर्थिक दशा है उसका भी उत्थान होगा ।

श्री अध्यक्ष---अभी आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

श्री रामदास आर्य---जी हां ।

श्री अध्यक्ष---तो अब कल बोलियेगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---एक व्यवस्था मैं चाहता था कि जितने क्लाजेज आज हो गये वे तो हो ही गये । कल के लिये अगर श्रीमन्, आज्ञा दें तो मेरे संशोधन छप सकते हैं और मन्त्री जी को भी मिल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---आज जो संशोधन देंगे तो उनका कल नोटिस २४ ही घंटे का होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---वहां तीन दिन का कानून कहां बरता गया ?

श्री अध्यक्ष---तीन दिन का कानून बरतने का सवाल नहीं है । मैं तो सिर्फ यही पूछूंगा कि अगर किसी को आपत्ति न होगी तो उन्हें उपस्थित करने की इजाजत दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---आपत्ति किस को होगी ?

श्री अध्यक्ष---आपत्ति कुछ सदस्यों को इसलिये होगी कि समय की कमी है ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---आपत्ति तो किसी ने नहीं की ।

श्री अध्यक्ष---अब आप कृपया बैठें। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर ठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३१ जूलाई, १९५८।

विधान सभा सदस्य दस्तेवर

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९१ पर)

भारतीय विद्याशास्त्र, संस्कृति एवं वैज्ञानिक गवेषणा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण ।

भारतीय विद्याशास्त्र, संस्कृति एवं वैज्ञानिक गवेषणा विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थाएं हैं जिनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण, उनके समक्ष दिया हुआ है ।

१--गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्रैफ्ट्स, लखनऊ :--

यह विद्यालय शिल्प एवं वास्तुकला सिखाने की एक मात्र संस्था है इसके अतिरिक्त चित्रकारी, बढ़ई, सुनार तथा लोहार के कामों में भी प्रशिक्षण प्रदान करती है ।

२--डायरेक्टरेट आफ जियोलयेजी एण्ड माइनिंग, लखनऊ :--

यह विभाग प्रदेश में खनिज पदार्थों की खोज कर रहा है ।

३--राजकीय वेधशाला, नैनीताल:--

राजकीय वेधशाला गृहों, तारागण, इत्यादि पर अनुसंधान काय करती है ।

४--सेन्ट्रल रिकार्ड आफिस, इलाहाबाद :--

यह कार्यालय पुराने हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह करता है इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों के पुराने रिकार्ड भी इस कार्यालय में प्रतिरक्षित होते हैं ।

५-६--राजकीय संग्रहालय, लखनऊ तथा पुरातत्व संग्रहालय, मथुरा :--

यह दोनों संग्रहालय देश की पुरानी सभ्यता के प्रतीक हैं इनमें भारतीय चित्रकला, शिल्पकला एवं वास्तुकला के नमूने, पुराने सिक्के एवं अनेकों पुरातत्व सम्बन्धी कला के नमूने संग्रहीत हैं। यह संस्थाएं प्रदेश में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक इमारतों, मूर्तियों, तथा स्थानों के संरक्षण का कार्य भी करती हैं ।

७--साइंटिफिक रिसर्च कमेटी :--

इस संस्था के अन्तर्गत सरकार हर वर्ष वैज्ञानिक गवेषणा के लिये अनेकों संस्थाओं तथा रिसर्च असिस्टेन्टों को वैज्ञानिक गवेषणा के लिये अनुदान देती है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९७ पर)

No. 2542/II-A—1958

FROM

SRI GOVIND NARAIN, I.C.S.,
MUKHYA SACHIV,
UTTAR PRADESH SHASAN,

TO

ALL HEADS OF DEPARTMENTS/PRINCIPAL HEADS OF OFFICES AND
ALL DEPARTMENTS OF THE SECRETARIAT.

Dated Lucknow, March 28, 1958.

SIR,

NIYUKTI (KA) VIBHAG

I am directed to say that the question regarding the period of stay of gazetted officers in a particular district at one stretch has been engaging the attention of Government for sometime. While in the case of Deputy Collectors and officers of the Public Works and Irrigation Departments it appears that there are specific orders regarding the transfer of gazetted officers from a particular district or project, it appears that there are no such orders in respect of the other departments and in most cases the orders regarding the transfer of Deputy Collectors are generally followed but not rigorously with the result that at times officers have been allowed to stay in a particular district for very long periods and in some cases have been re-posted to the same district after a very brief interval.

2. It has been felt that too long a stay in a particular district is neither good in the interest of efficiency nor in the interest of officers concerned. While on the one hand, too long a stay is at times likely to involve the officer in local politics, it is felt that his experience also becomes limited. Government feel that every gazetted officer should have an opportunity of serving in as many districts as is resasonably possible, so that he can equip himself better for higher assignment in the Department. Considering all these facts, I am to say that it has been decided to lay down the following principles regarding the transfer of officers for your guidance and necessary action :

(1) As a general rule, quick transfers should be avoided, as far as possible, unless necessitated by administrative considerations.

(2) In ordering transfer, due regard should be paid to the home district of the officer concerned. He should not normally be posted to his home district except under exceptional circumstances which should be reported to Government.

(3) An officer should not be kept in a district for more than three years except in very exceptional circumstances which are necessitated by administrative or other reasons regarding which approval of Government shall be taken, but such cases should be exceptions rather than a general rule.

(4) An officer should not be normally re-posted to the same district and in any case not before the expiry of a period of five years of his last posting.

(5) These orders will, however, not apply to officers serving in particular projects of Irrigation and Public Works Department regarding whom orders already exist limiting their stay to five years and in case of need to periods even beyond that.

(6) These orders will apply to the officers of the State Service and Subordinate Gazetted Service equally.

Yours faithfully,
GOVIND NARAIN,
Mukhya Sachiv.

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नन्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०१ पर)

सूची

विलीन किये गये केन्द्र

जिले का नाम	स्थान का नाम
१—बलिया	१—फैफना
,,	२—बांसडीह
,,	३—सिकन्दरपुर
,,	४—मोहम्दाबाद
,,	५—बलिया शहर
,,	६—सोहाओं
,,	७—गायघाट
,,	८—बेल्थरा रोड
,,	९—दिलहौरा
२—गाजीपुर	१०—महापुर
,,	११—यूसफपुर
,,	१२—मरदहा
,,	१३—मेयोरपुर
३—मिर्जापुर	१४—गाजीपुर
४—फतेहपुर	१५—महराजगंज
५—बस्ती	१६—उसकाबाजार
,,	१७—बनकटवा
,,	१८—हैसरबाजार
,,	१९—नागरबाजार
,,	२०—दिवाकरपुर
,,	२१—महदावल
,,	२२—कालेवारी
,,	२३—डोमरियागंज
,,	२४—तितरीबाजार
,,	२५—बिश्वेशरगंज
,,	२६—मटेरा
६—बहराइच	२७—मिहिपुरवा
,,	२८—बिश्वेश्वरगंज
,,	२९—फकेरपुर
,,	३०—परसनपुरवा
,,	३१—बोन्दीराजा
,,	३२—हरदीगौरा
,,	३३—सोनवा
,,	३४—भिन्गा
,,	३५—जैनीपुर
७—गोरखपुर	३६—भाथट (पटेलनगर)
,,	३७—पीपीगंज
,,	३८—केहालन
,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिले का नाम	स्थान का नाम
७—गोरखपुर	३९—थूनीबाजार
,,	४०—कुष्ट सेवा आश्रम
,,	४१—पिपरौली बाजार
,,	४२—जगतबेला
,,	४३—मिर्जापुर
,,	४४—शाहपुर
,,	४५—ब्रिजमानगंज
,,	४६—सिसवाबाजार
,,	४७—लक्ष्मीपुर
,,	४८—मलहानपार,
,,	४९—देमारपार
,,	५०—निचलौल
८—देवरिया	५१—देवरिया सदर
,,	५२—रुद्रपुर
,,	५३—सलीमपुर
,,	५४—भागलपुर
,,	५५—अम्बादीगर
,,	५६—भाटनी
,,	५७—भाटपाररानी
,,	५८—तारीआमृजान
,,	५९—कपटेनगंज
,,	६०—लक्ष्मीगंज
,,	६१—धुदुधाई
,,	६२—तमकोही रोड
,,	६३—पथेरदेवा
,,	६४—फजिलनगर
,,	६५—गदेरा
,,	६६—बरहजबाजार
,,	६७—पडरौना
,,	६८—खड्डा
,,	६९—सेखोपार
९—फैजाबाद	७०—चौराबाचार
१०—सुल्तानपुर	७१—गुप्तारगंज
,,	७२—सेमारी सुमेरपुर
११—आजमगढ़	७३—अतरौलिया
,,	७४—अहरौला
,,	७५—कोयलसा
,,	७६—घोसी
,,	७७—थेकमा
,,	७८—जनीपुर
,,	७९—मरोदासपुर
,,	८०—मोहम्मदाबाद
,,	८१—मऊनाथभंजन
,,	८२—मरयादपुर

जिले का नाम		स्थान का नाम
११--आजमगढ़	.. ..	८३--महनाजपुर
,,	.. ..	८४--सिधारी
१२--मिर्जापुर	.. ..	८५--चुनार
	ऊन कताई केन्द्र	
१३--बिजनौर	.. ..	१--नगीना
,,	.. ..	२--नहटौर
,,	.. ..	३--बिजनौर
१४--मुजफ्फरनगर	.. ..	४--बागरा
,,	.. ..	५--बद्दरी
,,	.. ..	६--शामली
,,	.. ..	७--कैराना
,,	.. ..	८--पुरकाजी
,,	.. ..	९--मंगलौर
१५--मिर्जापुर	.. ..	१०--मिर्जापुर
,,	.. ..	११--कछवा
,,	.. ..	१२--चुनार
,,	.. ..	१३--ग्यानपुर
,,	.. ..	१४--अकोरही
,,	.. ..	१५--भरतगंज
	कुल केंद्र	१००

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०१ पर)

Copy of letter no. 15949—51, *dated 4th February, 1958, from Sri S. N. Pandey, P. CS. I/C District Magistrate, Shahjahanpur to the Secretary, Hind Provincial Flying Club Ltd., Lucknow, etc.*

I have the honour to inform you that an aeroplane bearing the identification mark as VT—DCH and numbered HPFC—219 crashed in the town of Powayan in this district to-day at about 9. 15 a.m. An examination of the records available in the plane indicates that the plane started at about 7.45 a.m. to-day from Lucknow and the places fixed for its landing were Bareilly and Haldwani. It is reported that the plane was flying very low near about the town of Powayan which is at a distance of about 18 miles from Shahjahanpur towards north and it made about two rounds of Powayan town before it crashed at about 9.15 a.m. after colliding against a wall standing in the compound of Rajkumar Surendra Vikram Singh, M.L.A. The plane, however, did not catch fire. Its only occupants Sri V. V. Singh and his mother Rani Sahiba of Jagdishpur died instantly. Rani Sahiba is the sister of the wife of H. E. the Lt. Governor of Himachal Pradesh and Rajkumar Surendra Vikram Singh referred to above in whose compound the plane crashed is himself related to the Rani Sahiba as his mother is also her real sister. On receipt of information from Powayan about the crash I along with other officers arrived at the spot. The bodies were later taken out from the plane and are in the custody of the Police for further formal proceedings. An inventory of the articles which were available with the occupants and in the plane has also been prepared.

You are requested to please make arrangements for taking charge of the crashed plane after making enquiries if necessary into the cause of the accident.

Copy of latter no. 1/7/58/Acc. dated 21st March, 1958, from the Director General of Civil Aviation, New Delhi to the Managing Director, Hind Provincial Club, Ltd., Lucknow.

Fatal accident to Luscombe Ovserver aircraft VT—DCH belonging to Hind Provincial Flying Club Ltd., at Powanyan on 4th February, 1958.

The investigation into the above-mentioned accident to your aircraft has been finalized and the opinion as to the cause of the accident is as follows:

"The accident is attributed to the aircraft striking a wall during the course of a steep turn executed by the pilot to avoid hitting a building when intentionally flying low."

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०२ पर)

१९५६-५७ तथा १९५७-५८ में उत्तर प्रदेश के निवासियों को छोटे उद्योग-धंधों के लिये अनुदान स्वरूप दिये गये धन की जिलेवार सूची

	१९५६-५७ रु०	१९५७-५८ रु०
१--इलाहाबाद	१,२५०	१५,५५०
२--आगरा	--	१०,०००
३--अल्मोड़ा	५००	३,२५०
४--आजमगढ़ .	५००	--
५--अलीगढ़	--	६,०००
६--बस्ती	१,५००	१,०००
७--वाराणसी	५००	११,५५०
८--बलिया	--	४,०००
९--बिजनौर	--	१,५००
१०--बरेली	--	२,०००
११--बाराबंकी	--	५,९००
१२--बांदा	--	३००
१३--बहराइच	--	१,६००
१४--बुलन्दशहर . .	--	७,०००
१५--देवरिया	१,०००	५००
१६--इटावा	६००	४,३००
१७--एटा	२,०००	--
१८--फर्रुखाबाद . .	४,०००	--
१९--फैजाबाद . .	१,५००	३००
२०--गोंडा	७५०	--
२१--फतेहपुर	--	४००
२२--टेहरी-गढ़वाल . .	२५०	१,२००
२३--पौरी-गढ़वाल . .	--	२,३००
२४--गोरखपुर	१,०००	६,०००
२५--गाजीपुर . .	--	८५०
२६--देहरादून . .	--	८,०००
२७--जालौन	१,०००	३,२५०
२८--जौनपुर	--	१,०००
२९--कानपुर	९,९००	१३,७५०
३०--लखनऊ	५,२५०	१६,७५०
३१--हरदोई	--	४,०००
३२--मिर्जापुर	३००	--
३३--मुरादाबाद . .	३,०००	७,०००
३४--मेरठ	१,५५०	७,४००
३५--मैनपुरी	--	२००
३६--मुजफ्फरनगर . .	--	५,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	१९५६–५७	१९५७–५८
	रु०	रु०
३७—मथुरा	—	१२,०००
३८—नैनीताल	१,०००	५००
३९—पीलीभीत ..	—	३००
४०—रामपुर	२५०	४,०००
४१—सहारनपुर ..	—	५,०००
४२—शाहजहांपुर ..	—	३,०००
४३—सीतापुर	—	८००
योग ..	३७,६००	१,७७,४५०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०४ पर)

कानपुर जिले में श्रमदान से बनी सड़कों में से निम्नलिखित १२ मील लम्बी सड़कों को पक्का करना सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है:--

	मील	फर्लांग
१--नौबस्ता-मछरिहा रोड	०	७
२--चिरौरा रोड	१	०
३--परास रोड	१	०
४--नौनापुर रोड	१	०
५--बिसायकपुर	१	०
६--इटर्रा रोड	२	३
७--शोभन रोड	४	०
८--मटियारा रोड	०	६
योग ..	१२	०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६०५ पर)

रोडवेज के प्रत्येक रीजन में कर्मचारियों की संख्या

रीजन	आगरा		बरेली		मेरठ		लखनऊ	
कुल कर्मचारी	२०१४		१७४७		१४४६		१२४६	
कर्मचारियों की श्रेणी	परिगणित जाति	प्रति-शत	परिगणित जाति	प्रति-शत	परिगणित जाति	प्रति-शत	परिगणित जाति	प्रति-शत
क्लर्क ..	—	—	६	१.६०	२	.५५	—	—
कंडक्टर ..	१३	३.८८	१२	४.७०	६	४.५२	३	१.३५
चपरासी ..	—	—	—	—.	—	—	१	४.७६
असिस्टेंट ट्रेफिक इंसपेक्टर ..	२	६.६६	१	४.००	१	३.१२	—	—
सुपरिंटेंडेंट ..	—	—	—	—.	—	—	—	—

रीजन	कानपुर		इलाहाबाद		गोरखपुर	
कुल कर्मचारी	१२१५		१२५०		५५६५	
कर्मचारियों की श्रेणी	परिगणित जाति	प्रति-शत	परिगणित जाति	प्रति-शत	परिगणि जाति	प्रति-शत
कलर्क ..	२	.८०	४	१.४४	६	१.७३
कंडक्टर ..	५	२.२१	१२	५.८५	१२	४.२१
चपरासी ..	१	२.७०	१	१२.६०	६	२४.००
असिस्टेंट ट्रेफिक इंसपेक्टर ..	—	—	—	—	—	—
सुपरिंटेंडेंट ..	—	—	—	—	—	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१०५ एल० ए०—१६५८—८३७।